



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी.) लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS [P.] LTD.

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J & K Enterprise)



12वीं वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

वार्षिक आम बैठक का आयोजन मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न
11.00 बजे चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड
कॉम्प्लेक्स जम्मू-180012 जम्मू और कश्मीर में।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321

निदेशक मंडल

श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष (22.11.2019 से)
श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक (20.10.2022 से)
श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्या, आईएएस	निदेशक (31.08.2023 से)
श्री आर पी गोयल	निदेशक (01.10.2020 से)
श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (02.03.2023 से)
श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक (27.06.2022 से)
श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक (21.12.2022 से)
श्री अटल डुल्लू, आईएएस	निदेशक *
श्री रजत गुप्ता	प्रबंध निदेशक **
श्री नितीस्वर कुमार, आईएएस	निदेशक ***
श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस	निदेशक ****
श्री वाई के चौबे	निदेशक *****

* श्री अटल डुल्लू 04.05.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

** श्री रजत गुप्ता 09.06.2022 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

*** श्री नितीस्वर कुमार 22.09.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

**** श्री विवेक भारद्वाज 30.09.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

***** श्री वाई के चौबे 02.03.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

कंपनी सचिव

श्री सुधीर आनंद

विषय-वस्तु :

1. एजीएम सूचना।
2. बोर्ड का प्रतिवेदन
- अनुबंध I - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- अनुबंध II - फॉर्म सं. एओसी-2।
- अनुबंध III - प्रबंधन के उत्तरों के साथ सीएजी की टिप्पणियां।
- अनुबंध IV - फॉर्म एमजीटी -9।
- अनुबंध V - सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट- 2022-23।
- अनुबंध VI - प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।
3. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा।
4. प्रतिनिधि फॉर्म (एमजीटी - 11)।

पंजीकृत कार्यालय और निवेशक संबंध प्रकोष्ठ

चिनाब जल शक्ति भवन सरस्वती धाम रेलहेड कॉम्प्लेक्स के सामने, जम्मू-180012-जम्मू और कश्मीर।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स पी सी बिंदल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट।

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स रमित माम एंड एसोसिएट्स

निदेशक मंडल



श्री सुरेश कुमार, आईएएस-सेवानिवृत्त
अध्यक्ष और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 06440021

श्री सुरेश कुमार, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी (जेके 1986) हैं और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है। उन्हें वर्ष 1996 में चुनावों के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करने और उनके सफल संचालन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया और वर्ष 2011 में ईमानदारी/सत्यनिष्ठा और मेधावी सार्वजनिक सेवा के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

श्री सुरेश कुमार 22 नवंबर, 2019 को सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस
निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 06516512

श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस, 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री. प्रसाद ने वाणिज्य विषयक्षेत्र में स्नातक किया है और इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर, से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से एम.पी.एम. और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से एल.एल.बी. का अध्ययन पूर्ण किया। वह वर्तमान में प्रधान सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार हैं।

श्री एच. राजेश प्रसाद 20 अक्टूबर, 2022 को सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस

निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 05340193

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस, 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री वैद्य, वर्तमान में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके पास जेकेआईडीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य 31 अगस्त, 2023 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल

निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 08645380

श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल की विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि है और वे एक अर्हक सीएमए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड में कार्य करते हुए उनके पास वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, साथ ही उन्हें जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में शामिल वित्तीय, संविदात्मक और विनियामक मुद्दों की भी गहन समझ है। वर्तमान में वह एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं।

श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल 1 अक्टूबर, 2020 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।




श्री विश्वजीत बसु

निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 09003080

श्री विश्वजीत बसु त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी, अगरतला) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उनके पास जलविद्युत के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह एनएचपीसी लिमिटेड में निदेशक (परियोजनाएं) हैं।

श्री विश्वजीत बसु 2 मार्च, 2023 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री हसन नदीम

प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति

डीआईएन: 09653321

श्री हसन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व-छात्र हैं और उन्होंने 1987 में सिविल इंजीनियरिंग स्नातक का अध्ययन पूर्ण किया। उन्होंने वर्ष 1989 में टनकपुर पावर स्टेशन से प्रशिक्षु इंजीनियर (सिविल) के रूप में अपना करियर शुरू किया तथा एनएचपीसी लिमिटेड की दुलहस्ती एचई परियोजना, पार्वती-द्वितीय एचई परियोजना और चुटक पावर स्टेशन में अपनी सेवाएं प्रदान कीं तथा खरीद और संविदा, टीबीएम के साथ एचआरटी के निर्माण और प्रमुख कार्यों की मध्यस्थता सहित जलविद्युत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। उन्हें जलविद्युत विकास के क्षेत्र में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

श्री हसन नदीम ने 09 जून 2022 (अपराहन) को प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल का कार्यभार ग्रहण किया।



श्रीमती मधुस्मिता पानी
एनएचपीसी लिमिटेड की नामिति
डीआईएन: 09319007

श्रीमती मधुस्मिता पानी एनएचपीसी लिमिटेड में महाप्रबंधक-विधि है।

श्रीमती मधुस्मिता पानी 21 दिसम्बर, 2022 को सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुई।

अध्यक्ष का भाषण



"समावेशी और सतत विकास लाने के लिए परानुभूति और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा संगठन बनना"

प्रिय शेयरधारको

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीवीपीपीपीएल की 12वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सीवीपीपीपीएल बोर्ड की ओर से, मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा।

मैं मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सीवीपीपीपीएल की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख करूंगा।

- वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त विवरण

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, जो अभी भी निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने केवल 'अन्य आय' अर्जित की है अर्थात् बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर ब्याज आय।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन और अन्य आय से राजस्व 53.47 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में यह 31.39 करोड़ रुपये था।

- वर्ष की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, सीवीपीपीपीएल ने अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. पकल डुल एचई परियोजना के प्रमुख कार्यों में भूमिगत पावर हाउस केवर्न, ट्रांसफार्मर केवर्न, और एमआईवी केवर्न उत्खनन कार्य का पूर्ण होना शामिल है।

2. नवंबर 2022 में, यूनिट-3 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर को सफलतापूर्वक उतारा गया, और यूनिट-1 और यूनिट-2 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण कार्य क्रमशः अगस्त और सितंबर 2022 में पूरा किया गया। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम)-1 की असेंबली साइट पर फ्रंट शील्ड बॉटम सेगमेंट की सफल स्थापना के साथ शुरू हुई। कास्टिंग यार्ड में बैचिंग प्लांट और क्रशर प्लांट चालू किया गया, और टीबीएम पोर्टल पर ढलान विफलता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद एचआरटी एडिट-1 और एडिट-2 का उत्खनन कार्य जारी है।

वर्तमान में, पकल जल विद्युत परियोजनाओं में कट ऑफ वॉल का उत्खनन, सरफेस स्पिलवे का उत्खनन और सीएफआरडी की रॉक फिलिंग जैसे गतिविधि चल रही हैं।

3. किरू जल विद्युत् परियोजना के संबंध में, पावर इनटेक की ओर डे लाइटिंग प्रेशर शाफ्ट #3 की स्थापना द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। प्री-कॉन्फरडेंस के निर्माण के बाद अक्टूबर 2022 में विपथन कंदरा के माध्यम से मानसून के बाद नदी का डायवर्जन सफलतापूर्वक हासिल किया गया।

4. एस5 ब्लॉक में 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण दिसंबर 2022 में डाउनस्ट्रीम भाग से शुरू हुआ। वर्तमान में, एचएम और ईएंडएम घटकों की विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/विनिर्माण और आपूर्ति के कार्य के साथ-साथ टॉवर बेल्ट सिस्टम का निर्माण, बांध कंक्रीटिंग, बांध, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल कंदरा उत्खनन का कार्य भी प्रगति पर है।

5. क्वार जल विद्युत परियोजना के संबंध में, परियोजना की आधारशिला 24 अप्रैल, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी 10 मई, 2022 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई थी, जिसकी लागत सितंबर 2020 पीएल पर 4526.12 करोड़ रुपए थी। 540 मेगावाट क्वार एचई परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के निष्पादन के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड और मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच 2461.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचएम पैकेज वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है, जबकि ईएंडएम पैकेज के लिए बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन भी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि पिछली निविदा निम्न प्रतिक्रिया के कारण रद्द कर दी गई थी।

6. मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) ने 12% निःशुल्क विद्युत और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के अलावा 350 मेगावाट की दर से पकल दुल से और 100 मेगावाट की दर से क्वार एचईपी से विद्युत की खरीद के लिए सहमति प्रदान कर दी है।

7. 31 मार्च 2023 तक, सभी चार परियोजनाओं पर कुल पूंजीगत व्यय 4318.72 करोड़ रुपए व्यय किया गया। प्रवर्तकों, एनएचपीसी और जेकेपीएसडीसी द्वारा लगाई गई इक्विटी क्रमशः 55.45% (2172.08 करोड़ रुपए) और 44.55% (1745.00 करोड़ रुपए) है।

• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीवीपीपीएल अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को प्रोत्साहित करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजनार्थ निरंतर प्रयास

करता है। सीएसआर क्रियाकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जैसा कि बोर्ड की रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रवर्तकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके बिना कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति अपना आभार व्यक्त स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

मैं सीवीपीपीएल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए भी हृदय से सराहना करता हूँ।

धन्यवाद।

हस्ता./-

स्थान : जम्मू

सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त)

दिनांक: 31.08.2023

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सीवीपीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, में निम्नलिखित कार्यो का संव्यवहार करने के लिए सीवीपीपीपीएल कार्यालय से होस्ट की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य:

मद सं. 1: वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखाओं का अंगीकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना, जिसमें 31 मार्च, 2023 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखाओं का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट तथा उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के निबंधनों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां भी शामिल है।

मद सं. 2: लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का नियतन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2023-2023 के लिए नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों, सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के उपबंधों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें उसके तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं) के अन्य सभी लागू उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल को वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और अधिकृत किया जाता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान: जम्मू

(सुधीर आनंद)

दिनांक: 31.08.2023

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,

सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स,

जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर

टिप्पणियां:

1. एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और उसकी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि एजीएम को परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथापि, फिर भी प्रतिनिधि का फॉर्म संलग्न है।
2. प्रतिनिधि के लिखत को पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर में बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं, जिनमें निदेशकों की रुचि है, का रजिस्टर कंपनी की एजीएम के समय निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।
4. सीवीपीपीपीएल का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।
5. कंपनी का कोई भी निदेशक व्यावसायिक/नियोजन क्षमता को छोड़कर किसी भी तरह से एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।
6. वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - क) बैठक जूम एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
 - ख) सदस्य जूम ऐप या डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
 - ग) आपको पंजीकृत ईमेल आईडी पर लिंक प्राप्त होगा अर्थात् उस ईमेल पर जिसमें आपको बैठक में शामिल होने के लिए एजीएम की सूचना प्राप्त हुई है।
 - घ) एंड्रॉइड/आईफोन कनेक्शन के मामले में, साझेदारों को मेल में दिए गए उपयुक्त एप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
- ड.) इसके अलावा, सदस्यों को मोबाइल ऐप पर बैठक को व्यवस्थित करते समय कैमरे की अनुमति देने और इंटरनेट ऑडियो सेटिंग्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- च) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से बैठक में जुड़ने वाले साझेदारों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए किसी समुचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

- छ) बैठक में शामिल होने की सुविधा सुबह 10.30 बजे से खुली रखी जाएगी और दोपहर 1.00 बजे बंद कर दी जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति की गणना के लिए की जाएगी।
- ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के अंतर्गत किसी ऐसे सदस्य की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है। चूंकि, वीसी के माध्यम से आम बैठक आयोजित की जा रही है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसरण में, वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने और मतदान के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।
- झ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और उसके उपरांत सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए पश्चातवर्ती परिपत्र, जिनमें नवीनतम परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 है (जिन्हें सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से किसी आम स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
- ञ) मतदान पहली बार में हाथ दिखाकर किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न लें। यदि अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय लिया जाता है या मांग की जाती है, तो मतदान तुरंत आयोजित किया जाएगा और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक के दौरान मतदान संचालित किए जाने के समय मद संख्यावार अपनी सहमति या असहमति cs@cvpindia.com पर उस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजें, जिस पर उन्हें एजीएम के दौरान एजीएम की सूचना मिली है।
- ट) बैठक के दौरान निरीक्षण के लिए खोले गए सभी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- ठ) कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम की धारा 113 के अनुसरण में, अपने प्रतिनिधि को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार कंपनी सचिव को पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल द्वारा cs@cvppindia.com को भेजा जाएगा।
- ड) सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में अपनी पूछताछ ईमेल आईडी cs@cvpindia.com पर बैठक से पूर्व करें या +919419181543 पर कॉल करें।

**बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू

दिनांक: 31.08.2023

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,

सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर

सेवा में,

1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयरधारक।
2. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशक।
3. कंपनी के सांविधिक और सचिवीय लेखापरीक्षक।

भवदीय,

बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थान: जम्मू

दिनांक: 31.08.2023

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

पंजीकृत कार्यालय:

चिनाब जल शक्ति भवन,

सरस्वती धाम के सामने, रेल हैड कॉम्प्लेक्स,

जम्मू-180012, जम्मू-कश्मीर

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

हमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीवीपीपीपीएल के कार्य-निष्पादन पर 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा शामिल है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, पकल दुल, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पकल दुल एचई परियोजना के प्रमुख कार्यों में भूमिगत पावरहाउस केवर्न, ट्रांसफार्मर केवर्न और एमआईवी केवर्न उत्खनन कार्य का पूर्ण होना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, नवंबर 2022 में, यूनिट-3 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर को सफलतापूर्वक उतारा गया, और यूनिट-1 और यूनिट-2 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण क्रमशः अगस्त और सितंबर 2022 में पूरा किया गया। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम)-1 की असेंबली साइट पर फ्रंट शील्ड बॉटम सेगमेंट की सफल स्थापना के साथ शुरू हुई। कास्टिंग यार्ड में बैचिंग प्लांट और क्रशर प्लांट चालू किया गया था, और टीबीएम पोर्टल पर ढलान की विफलता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद एचआरटी एडिट-1 और एडिट-2 का उत्खनन कार्य जारी है। वर्तमान में, पकल दुल जल विद्युत परियोजनाओं में कट ऑफ वॉल उत्खनन, सरफेस स्पिलवे उत्खनन और सीएफआरडी की रॉक फिलिंग जैसे क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

किरू एचई परियोजना के संबंध में, पावर इनटेक की दिशा में डे लाइटिंग प्रेशर शाफ्ट #3 की स्थापना द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। प्री-कॉन्क्रीट के निर्माण के बाद अक्टूबर 2022 में विपथन कंदरा के माध्यम से मानसून के बाद नदी के विपथन को सफलतापूर्वक हासिल किया गया था। एस5 ब्लॉक में 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में डाउनस्ट्रीम भाग से शुरू हुआ। वर्तमान में, एचएम और ईएंडएम घटकों की विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/विनिर्माण और आपूर्ति के कार्य के साथ-साथ टॉवर बेल्ट सिस्टम का निर्माण, बांध कंक्रीटिंग, बांध, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल कंदरा उत्खनन का कार्य भी प्रगति पर है। विभिन्न सामग्रियां और उपकरण, जैसे 2 ईओटी क्रेन, अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम सामग्री, और प्रथम चरण और द्वितीय चरण एंबेडमेंट भाग, सभी इकाइयों के ऊपरी और निचले पिट लाइनर, यू # 1 के ड्राफ्ट ट्यूब और यू # 1 के स्टेटर बार, साइट पर उपलब्ध हैं।

क्वार जल विद्युत परियोजना के संबंध में, परियोजना की आधारशिला 24 अप्रैल, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी 10 मई, 2022 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई थी, जिसकी लागत सितंबर 2020 पीएल पर 4526.12 करोड़ रुपए थी। 540 मेगावाट क्वार एचई परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के निष्पादन के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड और मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच 2461.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचएम पैकेज वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है, जबकि ईएंडएम पैकेज के लिए बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन भी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि पिछली निविदा निम्न प्रतिक्रिया के कारण रद्द कर दी गई थी।

वर्तमान में, हम विभिन्न क्रियाकलाप संचालित करते हुए प्रगति कर रहे हैं, जिसमें इनलेट साइड और आउटलेट साइड से डीटी उत्खनन, डैम स्ट्रिपिंग और पोथेड यार्ड क्षेत्र, सीवीटी क्षेत्र और सर्ज गैलरी क्षेत्र में संचालित किए जा रहे कार्य शामिल हैं।

कंपनी आपको सूचित करना चाहती है कि जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) ने 12% निःशुल्क विद्युत और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के अलावा 350 मेगावाट की दर से पकल डुल से और 100 मेगावाट की दर से क्वार एचईपी से विद्युत की खरीद के लिए सहमति प्रदान कर दी है।

31 मार्च 2023 तक, सभी चार परियोजनाओं पर कुल पूंजीगत व्यय 4318.72 करोड़ रुपए उपगत किया गया। प्रवर्तकों, एनएचपीसी और जेकेपीएसडीसी द्वारा लगाई गई इक्विटी क्रमशः 55.45% (2172.08 करोड़ रुपये) और 44.55% (1745.00 करोड़ रुपये) है।

भूवैज्ञानिक, संभार-तंत्र और सामाजिक मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी के अनुभवी और समर्पित इंजीनियर सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं के निष्पादन में मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2022-23	2021-22
प्रचालन से राजस्व और अन्य आय	53.47	31.39
कर पूर्व लाभ	38.14	12.47
कर व्यय	13.45	7.90
नियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ	24.69	4.57
नियामक आस्थगित लेखा शेष (कर का निवल)	0.46	0.10
वर्ष के लिए लाभ	25.15	4.67
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00
कुल व्यापक आय	25.15	4.67
घटाएं विनियोजन	0.00	0.00
आरक्षित और अधिशेष को अग्रणीत प्रतिधारित आय का अंतिम शेष	25.15	4.67

2. कार्यों की स्थिति:

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है जो अभी भी निर्माणाधीन हैं और प्रचालनों से राजस्व शून्य है। कंपनी ने केवल अन्य आय अर्जित की है अर्थात बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधि पर ब्याज के रूप में आय।

3. परियोजनाओं की स्थिति:


I. पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय:

पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी मरुसुदर पर निर्माणाधीन है। परियोजना को एक भंडारण योजना के रूप में नियोजित किया गया है और इसमें सिंधु जल संधि के तहत 0.1 एमएफ के अनुमेय भंडारण का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में 167 मीटर ऊंचे कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध, 7.20 मीटर व्यास और 9.6 किमी लंबाई प्रत्येक की 2 हेड रेस टनलों, 6 मीटर व्यास, 423 मीटर (मैनिफोल्ड से पहले) के 2, 3.9 व्यास, 1500 मीटर (मैनिफोल्ड के बाद) के 4, 2.9 मीटर व्यास 220 मीटर (एमआईवी के बाद) के 4 प्रेशर शाफ्ट तथा 250 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटों और वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन 125 मीटर लंबी टेल रेस सुरंग प्रत्येक की 5.5 मीटर व्यास के 4 हॉर्सशू शेप के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसका वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 3230 एमयू होगा।

परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

परियोजना विन्यास



परियोजना की स्थिति:

i. सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं अर्थात सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, मत्स्य विभाग और हाइड्रोलिक डिवीजन (पीएचई और सिंचाई)

जम्मू-कश्मीर सरकार से मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पकल दुल परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि।

ii. सीसीईए अनुमोदन

भारत सरकार से 2500 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण तथा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा डब्ल्यूसीटी/प्रवेश कर से छूट और परियोजना के पूरा होने की तारीख से पहले दस वर्षों के लिए 12% निःशुल्क बिजली और पानी के उपयोग शुल्क की छूट को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 को मूल्य स्तर पर 8112.12 करोड़ की स्वीकृत लागत पर 28.10.2014 को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अधिसूचना एसओ 281 जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के लागू होने के पश्चात कंपनी द्वारा भुगतान किए गए डब्ल्यूसीटी/जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने परियोजना में जेकेएसपीडीसी की ओर से सीवीपीपीएल को अनुदान के रूप में 1192 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। पूर्ण इक्विटी राशि पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है और सीवीपीपीएल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है।

iii. भूमि अधिग्रहण

आज की तारीख तक, परियोजना द्वारा लगभग 177.8 हेक्टेयर राजस्व भूमि (निजी और राज्य भूमि) का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके लिए जिला प्रशासन के पास 115.84 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस राशि में से, 91.6 करोड़ रुपए का वितरण जिला प्रशासन द्वारा किश्तवाड़ के वास्तविक भूमि मालिकों को कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इन भूमियों का अंतिम अवार्ड और परियोजना को सौंपने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, लगभग 38.155 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, किश्तवाड़ द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत है।

iv. पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 22.02.2017 के आदेश द्वारा परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दे दी है। मुआवजे में वृद्धि को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2019 के आदेश के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

v. आर एंड आर लाभों का संवितरण

सीवीपीपीएल द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को संवितरण के लिए संबंधित राज्य राजस्व प्राधिकरण के पास 69.09 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई थी और आज की तारीख तक कुल 60.50 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है।

परियोजना की आरएंडआर योजना के अंतर्गत पीएएफ को आगे संवितरण और अन्य घटकों के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त (आरएंडआर) अर्थात् डीसी किश्तवाड़ के साथ मामले को आगे उठाया जा रहा है।


vi. **31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्रगति**

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 19 मई, 2018 को परियोजना की आधारशिला रखी है। पावर हाउस पैकेज, बांध पैकेज, ई एण्ड एम पैकेज, एचएम पैकेज और एचआरटी-टीबीएम पैकेज के लिए एलओए क्रमशः 21.02.2018, 21.06.2018, 02.01.2019, 26.08.2019 और 03.07.2020 को जारी किया गया है।

पावर हाउस साइट, बांध साइट पर निर्माण कार्य, टीबीएम-एचआरटी पैकेज, ईएंडएम कार्य और एचएम कार्य प्रगति पर हैं।


प्रमुख कार्यों की स्थिति :

पावर हाउस कॉम्प्लेक्स का योजनाबद्ध 3डी लेआउट



पावर हाउस कॉम्प्लेक्स में कार्य की घटकवार स्थिति:

क्रमांक	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% अनुपालन	चित्र
31.03.2023 तक पावर हाउस कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति							
1.1	यूजी उत्खनन पावर हाउस कैवर्न	घन मीटर	145693.4	145693.4	0.00	100.00	
1.2	4 गड्ढों की खुदाई	घन मीटर	5600.0	5600	0.00	100.00	
1.3	नियंत्रण ब्लाक और सर्विस बे सहित पावर हाउस मशीन हॉल कंक्रीटिंग	घन मीटर	54000.0	10421	43579	19.29	
2	एमआईवी कैवर्न						


2.1	यूजी उत्खनन एमआईवी केवर्न	घन मीटर	19024.89	19024.9	0.00	100.00	
3	ट्रांसफार्मर हॉल						
3.1	यूजी उत्खनन ट्रांसफार्मर केवर्न	घन मीटर	28175.00	28175.0	0.00	100.00	
3.2	बस डक्ट - 1,2,3 और 4 की खुदाई ईएल 1260.70 मीटर	मीटर	48.50	48.5	0.00	100.00	
3.3	ट्रांसफार्मर केवर्न कंक्रीट	घन मीटर	3600.5	3600.5	0.00	100.00	
3.4	सभी 4 बस डक्ट की क्रक्रीटिंग	घन मीटर	2800	2593.5	206.5	92.63	
4	सर्ज शाफ्ट						
4.1	अपर सर्ज गैलरी-1	मीटर	257	152.2	104.8	59.22	
4.2	अपर सर्ज गैलरी-2 का एडिट	मीटर	94.3	94.3	0.00	100.00	
4.3	अपर सर्ज गैलरी-2	मीटर	257	102.6	154.4	39.22	
4.4	सर्ज शाफ्ट-1 की रीमिंग (600 एमएम व्यास)	मीटर	200	106.65	93.35	53.32	
4.5	सर्ज शाफ्ट-1 की रीमिंग (1000 एमएम व्यास)	मीटर	200	15.00	185.0 0	7.5	
4.6	सर्ज शाफ्ट-1 की रीमिंग (1400 एमएम व्यास)	मीटर	200	13.90	186.1 0	6.95	
4.7	सर्ज शाफ्ट- 1 की रीमिंग (1800 एमएम व्यास)	मीटर	200	7.10	192.9 0	3.55	
5	वाल्व हाउस						
5.1	वाल्व हाउस (सेंट्रल)	मीटर	102	101.50	0.50	99.5	

	हैडिंग्स) की खुदाई						
5.2	वाल्व हाउस की खुदाई (बड़ा करना) एडिट की बेंचिंग डाउन सहित	घन मीटर	17000	9855	7145	57.97	
6	प्रेसर शाफ्ट						
6.1	प्रेसर शाफ्ट-वर्टिकल पीएस#4	मीटर	291	291	0	100	
6.2	पीएस#4 की रीमिंग (वर्टिकल) - 1800 एमएम व्यास	मीटर	291	291	0	100	
6.3	पीएस-3 की पायलट होल ड्रिलिंग (279.4 एमएम व्यास)	मीटर	291	291	0	100	
6.4	पीएस-3 की रीमिंग (वर्टिकल) - 1800 एमएम व्यास	मीटर	29 1	291	0	100	
6.5	पीएस-3 (वर्टिकल) की स्लैशिंग	मीटर	29 1	53.6	237.4	18.42	
6.6	पीएस-4 (वर्टिकल) की स्लैशिंग	मीटर	29 1	53	238	18.21	
6.7	पीएस-2 की पायलट होल ड्रिलिंग (279.4 एमएम व्यास)	मीटर	29 1	291	00	100	
6.8	पीएस-1 के क्षैतिज हिस्से की बैकफिलिंग क्रक्रीटिंग	घन मीटर	4228.6	557.5	3671	13.18	
6.9	पीएस-2 के क्षैतिज हिस्से की बैकफिलिंग क्रक्रीटिंग	घन मीटर	3472	1750	1722	50.40	
7	केबल/वेंटिलेशन टनल						
7.1	वीटी/केबल टनल की	मीटर	198.0	75.50	122.50	38.13	

	खुदाई।						
8	ड्रेनेज गैलरी						
8.1	अपस्ट्रीम ड्रेनेज गैलरी की खुदाई	मीटर	186.24	186.24	0	100	
9	टीआरटी						
9.1	ड्राफ्ट ट्यूब के साथ टीआरटी-1 की खुदाई	मीटर	104	104	0	100	
9.2	ड्राफ्ट ट्यूब के साथ टीआरटी-2 की खुदाई	मीटर	104	104	0	100	
9.3	ड्राफ्ट ट्यूब के साथ टीआरटी-4 की खुदाई	मीटर	104	104	0	100	
9.4	ड्राफ्ट ट्यूब के साथ टीआरटी-3 की खुदाई	मीटर	104	104	0	100	
10	पॉट हेड और स्विच यार्ड						
10.1	ईएल 1300 मीटर पर पॉट हेड और स्विच यार्ड खुली खुदाई	घन मीटर	95000	47942.5	47057.5	50.46	
11	कॉफर डाइक ग्राउटिंग (टीआरटी आउटलेट)						
11.1	ड्रिलिंग	संख्या	301	301	0	100	
11.2	टीएएम ग्राउटिंग	संख्या	301	301	0	100	

बांध परिसर में कार्यों की स्थिति:

बांध परिसर का योजनाबद्ध लेआउट



बांध परिसर में कार्यों की घटक-वार स्थिति:

नदी अपवर्तन 01.11.2021 को प्राप्त किया गया

क्रम सं.	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% पूर्णता	चित्र
31.03.2023 तक बांध कार्यों की भौतिक प्रगति की स्थिति							
1. एचआरटी और एडिट की खुदाई							
1.1	एचआरटी-1 की खुदाई	मीटर	2034.2	1630.5	403.7	80.15	
1.2	एचआरटी-2 की खुदाई	मीटर	2082.6	1727	355.6	82.92	
1.3	भविष्य की एचआरटी की खुदाई	मीटर	300	289	11	96.34	
1.4	एचआरटी-2 की कंक्रीट लाइनिंग	मीटर	2082.6	446	1636.6	21.42	
2. सतह उत्खनन - सामान्य और रॉक उत्खनन मात्रा :							
2.1	गेट शाफ्ट प्लेटफार्म सहित विद्युत इंटेक ढांचा	घन मीटर	377500	20241 6	175084	53.62	
2.2	टनल स्पिलवे आउटलेट, इनलेट और गेट शाफ्ट प्लेटफार्म	घन मीटर	320000	17441 5	145585	54.50	
2.3	भूतल स्पिलवे	घन मीटर	763000	33009 2	432908	43.26	
3. कॉफ़र बांध							
	परमिशन ग्राउटिंग						

3.1	अपस्ट्रीम ड्रिलिंग होल	संख्या	327	327	0	100	
3.2	अपस्ट्रीम परमिशन ग्राउटिंग			327	0	100	
3.3	डाउनस्ट्रीम ड्रिलिंग होल	संख्या	198	182	16	91.92	
3.4	डाउनस्ट्रीम परमिशन ग्राउटिंग			184	14	92.93	
	तटबंध फिलिंग						
3.5	अपस्ट्रीम तटबंध फिलिंग	घन मीटर	385000	231492	153508	60.12	
3.6	डाउनस्ट्रीम तटबंध फिलिंग	घन मीटर	35000	29510	5490	84.31	
4.	सीएफआरडी						
4.1	बांध नदी बेड स्ट्रिपिंग की खुदाई	घन मीटर	135000	135000	0	100	
4.2	ईएल 1523 तक रेत लेंसों को हटाने के लिए कट ऑफ वॉल क्षेत्र (नदी बेड खुदाई) की खुदाई की जा रही है	घन मीटर	560000	473541	86459	84.56	
4.3	सीएफआरडी की रॉक फिलिंग	घन मीटर	7546000	839813	6706187	11.13	
5.	टनल स्पिलवे						
5.1	1 हेडिंग टनल स्पिलवे (आउटलेट साइड से)	मीटर	456	264.5	191.5	58.00	

चित्र :



अपस्ट्रीम कॉफर बांध फिलिंग



डाउनस्ट्रीम कॉफर बांध

एचआरटी-टीएमबी कार्य:

- दिनांक 03.07.2020 को मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को एलओए जारी किया गया है। टीबीएम की डिटेल इंजीनियरिंग पूर्ण हो गई है। टीबीएम-1 का फैक्टरी स्वीकृति परीक्षण जर्मनी में 7-15 नवंबर, 2021 के बीच सफलतापूर्वक पूरा हुआ और टीबीएम-2 का यह परीक्षण 17-21 जनवरी, 2022 के बीच पूरा हुआ।
- टीबीएम-1 के सभी 97 एसाइनमेंट और टीबीएम-2 के 95 एसाइनमेंट भी साइट पर पहुंच गए हैं।
- टीबीएम की शुरुआत के लिए टीबीएम एडिट पोर्टल का निर्माण, प्लेटफॉर्म का विकास और संबंधित आधारभूत संरचना कार्य प्रगति पर हैं।
- कास्टिंग यार्ड: फाउंडेशन का काम 05.08.2022 को पूरा हुआ। सुपरस्ट्रक्चर निर्माण कार्य 21.09.2022 को पूरा हो गया है और कास्टिंग यार्ड में ईओटी क्रेन निर्माण 16.10.2022 को पूरा हो गया है। सुपरस्ट्रक्चर की रूफिंग और सभी 48 मोल्डों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा, कास्टिंग यार्ड में बैचिंग प्लांट और क्रशर प्लांट भी क्रमशः 23-11-2022 और 28-11-2022 को चालू कर दिए गए हैं।
- स्टैकिंग यार्ड: वन क्षेत्र में 1 गैन्ट्री क्रेन फाउंडेशन और निर्माण कार्य का काम भी पूरा हो चुका है। एडिट्स (एम25 ग्रेड) और एचआरटी (एम50 ग्रेड) के लिए क्रमशः 1272 और 6 सेगमेंट कास्ट किए गए हैं।
- टीबीएम-01 (मार्सू) की असेंबली दिनांक 07.12.2022 को शुरू हुई, जिसमें मुख्य ड्राइव के साथ फ्रंट शील्ड को असेंबल किया गया है। टेलीस्कोपिक शील्डों के संरेखण की जांच और वेल्डिंग का काम पूरा हो गया है और उन्हें स्थापित कर दिया गया है। मुख्य थ्रस्ट सिलेंडर की स्थापना भी पूरी हो गई। इसके अलावा, गैन्ट्री-03 से 07 का निर्माण, कटर हेड पार्ट्स की वेल्डिंग, ग्रिपर शील्ड पार्ट्स असेंबली, टेल शील्ड एलाइनमेंट भी पूरा हो गया। जल आपूर्ति व्यवस्था, डीजी

स्थापना आदि जैसे अन्य संबंधित कार्य प्रगति पर हैं।

एचआरटी एडिट पोर्टल कार्य - 1





एचएम कार्य:

- दिनांक 21.10.2019 को सीवीपीपीपीएल और मेसर्स पीईएस के बीच संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए। एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग/विनिर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- इनटेक ट्रेश रैक पैनलों के प्रथम चरण के एम्बेडेड भागों की आपूर्ति की गई है।
- बैकफिलिंग के साथ निम्न क्षैतिज भाग पीएस1बी की 2.9 मीटर व्यास वाली और 54.6 मीटर प्रत्येक की पीएस2 प्रेशर शाफ्ट लाइनरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसे अंतिम कंक्रीटिंग के लिए सौंप दिया गया है। इसके अलावा, 54.6 मीटर के एमआईवी-पीएस1ए के साथ कनेक्शन सहित 2.9 मीटर व्यास वाले निचले क्षैतिज भाग का निर्माण कार्य भी 23.07.2022 को पूर्ण कर लिया गया है।
- 6 मीटर व्यास के पीएस-2 और पीएस-1 की शीर्ष क्षैतिज भाग लाइनिंग का निर्माण क्रमशः

25.08.2022 और 21.09.2022 को शुरू किया गया तथा 173.66 मीटर और 211.43 मीटर की संचयी लंबाई की तुलना में क्रमशः 95 मीटर एवं 45 मीटर की प्राप्ति हासिल की गई।



ऊपरी क्षैतिज प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर पीएस2



ई एंड एम कार्य:

- i. मैसर्स वोइथ हाइड्रो लिमिटेड को 02.01.2019 को कार्य प्रदान किया गया और निर्धारित गतिविधि प्रगति पर हैं।
- ई एंड एम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें ड्राइंग, लेआउट प्लान आदि प्रस्तुत किया जाना/उनकी जांच और उपकरण निर्माण/निरीक्षण/आपूर्ति भी शामिल है।
- साइट पर प्राप्त हुए उपकरण:-

- साइट पर प्राप्त सभी यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर और अन्य संबंधित सहायक उपकरण।
- जीएसयू ट्रांसफार्मर कंदरा में तेल और जल निकासी प्रणाली के लिए एंबेडेड पाइप साइट पर प्राप्त हुए।
- पीएच ईओटी क्रैन-1, एमआईवी क्रैन और पीपी वाल्व क्रैन की समस्त सामग्रियां कार्य स्थल पर प्राप्त हुईं।
- ग्राउंडिंग सिस्टम, सभी चार (04) यूनिटों के स्टेटर बार और संबंधित उपकरण, यू#1 और 2 के रोटार पोल, यू#1 के रनर, यू#1 और 2 की स्पाइरल केसिंग, यू#1 और स्टेटर फ्रेम और U#1 और U#2 के बल्क हेड गेट भी साइट पर प्राप्त हो गए हैं।
- स्थापन कार्य
 - पीएच सर्विस बे, एमआईवी सर्विस बे, जीटी इंटरकनेक्टिंग टनल, बस डक्ट यू#1, बस डक्ट यू#2 और ट्रांसफार्मर कैवर्न में बस डक्ट #2 तक अर्थमैट बिछाने का काम पूरा हो चुका है।
 - सर्विस बे, कनेक्टिंग टनल और ट्रांसफार्मर कैवर्न में जीटी-4 (ग्रिड-9) तक जीटी रेल और एंबेडमेंट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है।
 - पीएच क्रैन-1 और एमआईवी क्रैन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
 - ट्रांसफार्मर कैवर्न में ग्रिड 14 से 17 तक ऑयल ड्रेन एंबेडेड पाइप, रेल एंबेडमेंट और जैकिंग प्लेट्स बिछाने का काम पूरा हो गया है।
 - यूनिट-1 के ईएल1242 तक के सभी जीरो स्टेज एंबेडमेंट की स्थापना का काम 09.07.2022 को पूरा हो चुका है।
 - एमआईवी कनेक्टिंग कंदरा में 25 मीटर की लंबाई तक अर्थमैट बिछाने का काम भी 26.07.2022 को पूरा हो गया है।
 - यूनिट-1 और 2 की ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण कार्य क्रमशः 30.08.22 और 20.09.22 को पूरा हुआ।
 - ट्रांसफार्मर कैवर्न में ग्रिड 18 से 21 तक जीएसयू रेल एंबेडमेंट बिछाने का काम 22.09.2022 को पूरा हो गया है।
 - एमआईवी कंदरा में यूनिट-1 और यूनिट-2 के बीच रॉकलेज पर अर्थमैट बिछाने का काम 27.10.2022 को पूरा हो गया है।
 - यूनिट#3 के ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण कार्य 22.11.2022 को शुरू किया गया और 11.01.2023 को पूरा किया गया।
 - यूनिट#4 में अर्थमैट इरेक्शन का कार्य भी 30.03.2023 को पूरा हो गया है।



एमआईवी ईओटी क्रेन का भार परीक्षण



जीटी रेल लाइन का संस्थापन



ड्राफ्ट ट्यूब # 3 का इरेक्शन

II. किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय:

यह परियोजना एक तालाब सहित एक रन-ऑफ-रिवर स्कीम है जो जिला किश्तवाड़, जम्मू-कश्मीर में स्थित है। किरू जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर प्रस्तावित है और इसमें किरू/पथरनक्की गांव के पास 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसमें 9 मीटर

व्यास वाली और 666 मीटर लंबी हॉर्सशू आकार की विपथन सुरंग, 5.5 मीटर व्यास और 304 मीटर लंबे भूमिगत गोलाकार स्टील लाइंड 4 प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक, 7 मीटर व्यास वाले 4 हॉर्सशू आकार की कंक्रीट लाइंड टीआरटी जिसकी लंबाई 165 मीटर से 190 मीटर तक है तथा 182 मीटर x 23.6 मीटर x 51.2 मीटर के आकार की एक भूमिगत पावर हाउस कंदरा शामिल है जिसमें 156 मीटर प्रत्येक की 4 यूनिटें शामिल हैं। इसका वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2272 एमयू होगा। परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

परियोजना की स्थिति निम्न प्रकार है:

परियोजना की स्थिति:

i) सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त की गई है जैसे सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, मत्स्यपालन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि ।

ii) सीसीईए अनुमोदन

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला **03.02.2019** को रखी गई।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **08.03.2019** के पत्र के माध्यम से जुलाई **2018** मूल्य स्तर पर परियोजना के निर्माण के लिए **4287.59 करोड़ रुपये** की लागत के निवेश को मंजूरी दी है।

● जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई छूटें

- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्षों की अवधि के लिए।
- 9% एसजीएसटी की छूट: जम्मू और कश्मीर सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है।
- पथकर में छूट: जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के अनुसार।

● भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता

- भारत सरकार से अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर सरकार की इक्विटी।
- जेकेएसपीडीसी के इक्विटी योगदान के लिए सीवीपीपीएल को अद्यतन तिथि तक 500.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

iii) भूमि अधिग्रहण

परियोजना के निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ अंतिम निर्णय दिनांक 01.07.2017 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया है और मुआवजे के संवितरण के लिए 32.47 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। अभी तक 30.72 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि संवितरित की गई है।

वन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अपवर्तित वन भूमि सीवीपीपीएल को 14.03.2018 को

हस्तांतरित कर दी गई है।

iv) **पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना**

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 07.03.2019 के आदेश के माध्यम से परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को अनुमोदित किया है।


पीएएफ को संवितरण और स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया है जिसमें से 40 करोड़ में से पीएएफ को अद्यतन तिथि तक 32.71 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

v) **प्रमुख कार्य प्रदान किया जाना**

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 03 फरवरी 2019 को परियोजना की आधारशिला रखी है।
- सभी प्रमुख कार्य पैकेजों अर्थात सिविल वर्क्स पैकेज, एचएम पैकेज और ईएंडएम पैकेज के लिए एलओए 24.02.2020 को जारी किया गया है।
- सभी पैकेजों के संविदा करारों पर जून 2020 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
- नदी का विपथन 31.12.2021 को हासिल किया गया।
- यू/एस एंड डी/एस कॉफ़र डैम, पीएच कैवर्न, टीएच कैवर्न, प्रेशर शाफ्ट का निर्माण प्रगति पर है। नदी के तल के नीचे बांध की स्ट्रिपिंग और बांध की खुदाई भी प्रगति पर है।
- एचएम घटकों की विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/विनिर्माण/आपूर्ति और विस्तृत डिजाइन इंजीनियरिंग/ई एंड एम उपकरण का निर्माण/निरीक्षण प्रगति पर है।


vi) **31 मार्च, 2023 के अनुसार प्रमुख कार्यों की प्रगति**


परियोजना का योजनाबद्ध लेआउट



क. प्रमुख सिविल कार्यों की स्थिति

क्रम सं.	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% पूर्णता	चित्र
1.	कॉफ़र बांध						
1.1	पी कॉफ़र बांध का निर्माण	घन मीटर	15000	15000	0	100	
1.2	कोफर बांध यू/एस का निर्माण	घन मीटर	75000	67242	0	100	
1.3	पी कॉफ़र बांध का निर्माण (वर्तमान सीजन)	घन मीटर	15000	11555	3445	77.03	

1.4	कोफर बांध का निर्माण (यू/एस और डी/एस) (वर्तमान सीजन)	घन मीटर	75000	45388	29612	60.52	
2.	बांध कार्य						
2.1	नदी तल के नीचे बांध की खुदाई	घन मीटर	230000	227913	0	100	
2.2	पावर इंटेक - खुदाई	घन मीटर	56000	21130	34870	37.73	
3.	कंक्रीटिंग						
3.1	बांध कंक्रीटिंग - नदी तट में निर्माण स्लूआइस के ऊपर तक	घन मीटर	209000	33335	175665	15.95	
4.	पावर हाउस खुदाई						
4.1	पीएच पायलट उत्खनन	मीटर	182	182	0	100	
4.2	पीएच क्राउन चौड़ीकरण	मीटर	182	182	0	100	
4.3	मैट शीर्ष स्तर अर्थात ईएल 1401.1 मीटर तक पीएच-बेंचिंग	घन मीटर	28400	28400	0	100	
4.4	मैट शीर्ष स्तर अर्थात ईएल 1390.8 मीटर तक पीएच-बेंचिंग	घन मीटर	54000	48450	5550	89.73	
4.5	जनरेटर तल स्तर अर्थात ईएल 1385.70 मीटर तक पीएच-बेंचिंग	घन मीटर	10000	3300	6700	33.00	
4.6	मैट से पीएच - इन्वर्ट कंक्रीट	घन मीटर	715	415	300	58.04	
5	ट्रांसफार्मर हॉल केवर्न खुदाई						
5.1	टीसी-पायलट उत्खनन	मीटर	137	137	0	100	
5.2	टीसी क्राउन चौड़ीकरण	मीटर	137	137	0	100	
5.3	मैट स्तर तक टीसी बेंचिंग	घन मीटर	36000	29450	6550	81.80	
5.4	मैट से टीसी - पोर्टल विकास	घन मीटर	75	75	0	100	
5.5	टीसी - बस डक्ट सं. 4	मीटर	55	7	48	12.73	
5.6	टीसी - बचाव गैलरी (टीसी के माध्यम से)	मीटर	50	50	0	100	

6 प्रेशर शाफ्ट							
6.1	निचला क्षैतिज पीएस-3 - यूजी खुदाई	मीटर	112.4	112.4	0	100	
6.2	निचला क्षैतिज पीएस-4 - यूजी खुदाई	मीटर	126	126	0	100	
6.3	शीर्ष क्षैतिज पीएस-1 - यूजी खुदाई	मीटर	53.9	53.9	0	100	
6.4	शीर्ष क्षैतिज पीएस-3 - यूजी खुदाई	मीटर	28	28	0	100	इन्क्लाइंड प्रेशर शाफ्ट - 3 की स्लैशिंग
6.5	शीर्ष क्षैतिज पीएस-2 - यूजी खुदाई	मीटर	40.631	40.631	0	100	
6.6	शीर्ष क्षैतिज पीएस-1 - यूजी खुदाई (इंटेक की ओर)	मीटर	26.1	26.1	0	100	
6.7	शीर्ष क्षैतिज पीएस-3 - यूजी खुदाई (इंटेक की ओर)	मीटर	26.1	26.1	0	100	
6.8	शीर्ष क्षैतिज पीएस-4 - यूजी खुदाई (इंटेक की ओर)	मीटर	26.1	26.1	0	100	इन्क्लाइंड प्रेशर शाफ्ट - 1 की स्लैशिंग
6.9	शीर्ष क्षैतिज पीएस-2 - यूजी खुदाई (इंटेक की ओर)		26.1	26.1	0	100	
6.10	शीर्ष क्षैतिज पीएस-4 - यूजी खुदाई		14	14	0	100	
6.11	झुका हुआ पीएस - 1 पायलट खुदाई		125	125	0	100	
6.12	निचला क्षैतिज पीएस - 2 - यूजी खुदाई		96.334	96.334	0	100	
6.13	झुका हुआ पीएस - 3 पायलट खुदाई		125	125	0	100	
6.14	झुका हुआ पीएस - 4 पायलट खुदाई		125	125	0	100	- 4 की स्लैशिंग
6.15	झुका हुआ पीएस - 2 पायलट खुदाई		125	125	0	100	
6.16	झुका हुआ पीएस - 1 चौड़ाकरण/ स्लैशिंग		125	33	92	26.4	
6.17	झुका हुआ पीएस - 4 चौड़ाकरण/ स्लैशिंग		125	21.9	103.1	17.52	

ख. हाइड्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-II)

- मैसर्स पीईएस इंजीनियर्स को एलओए 24.02.2020 को जारी किया गया।
- एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निरीक्षण और आपूर्ति प्रगति पर है।

ग. इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-III)

- मैसर्स एंड्रिट्ज़ हाइड्रो लिमिटेड को एलओए 24.02.2020 को जारी किया गया।
- ईएंडएम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निरीक्षण और आपूर्ति प्रगति पर है।
- 2 ईओटी क्रेनें, अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम सामग्री तथा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के एंबेडमेंट भाग, सभी यूनिटों के ऊपरी और निचले पिट लाइनर, यू#1 की ड्राफ्ट ट्यूब और यू#1 और 2 के स्टेटर बार, यू#1 और 2 के डीटी लाइनर डिफ्यूज़र, स्पाइरल केस और यू#1 के लिए स्टे रिंग, एमआईवी एंकरेज वाल्व एंबेडमेंट साइट पर पहुंच गए हैं।


चित्र :



एस5 ब्लॉक में नदी बेड खुदाई कंक्रीट की पोरिंग



बांध का अपस्ट्रीम दृश्य



एस3 ब्लॉक में चट्टान सतह की मैनुअल सफाई
एस2 ब्लॉक में हाई प्रेशर वॉटर जेट के साथ कंक्रीट की ग्रीन कटिंग



600 टीपीएच क्रशर संयंत्र का इरेक्शन

अवसंरचना कार्य

डैम टॉप (215 मीटर), डीटी इनलेट (1.6 किमी) और आउटलेट पोर्टल (1.2 किमी) के लिए संपर्क सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दुल-गलहर रोड पर दो पुलों के उन्नयन का काम सौंपा गया है। उक्त कार्यों का एलओए दिनांक **05.08.2019** को बीआरओ द्वारा जारी कर दिया गया है।

नाग्रा ब्रिज - कार्य पूरा हो चुका है।


मिथाल गढ़ ब्रिज - कार्य पूरा हो चुका है।

III. क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय

यह परियोजना जम्मू-कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। क्वार एचर्ड परियोजना (540 मेगावाट) में 109 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसमें 9.5 मीटर व्यास वाली और 685 मीटर लंबी हॉर्सशू आकार की विपथन केवर्न, 108 से 182 मीटर लंबाई और 5.65 मीटर व्यास के भूमिगत स्टील लाइंड 4 पेनस्टॉक, 135 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटों के साथ एक भूमिगत पावर हाउस और 9.5 मीटर व्यास के हॉर्सशू आकार की 2786 मीटर और 2963 मीटर की कंक्रीट लाइन टीआरटी शामिल हैं। इससे वार्षिक उत्पादन 1975 एमयू होगा।

परियोजना का लेआउट



परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

i) सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक मंजूरियां प्राप्त की गई है, जैसे सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, मत्स्यपालन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग जम्मू-कश्मीर सरकार से एनओसी, जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना स्थापित करने की सहमति आदि ।

ii) सीसीईए अनुमोदन

दिनांक 24.04.2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10.05.2022 के पत्र के माध्यम से सितंबर'2020 पीएल पर 4526.12 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है। ।

- **भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता**

- परियोजना के लिए इक्विटी शेयर : भारत सरकार से अनुदान के रूप में जेकेपीडीसी की इक्विटी।
- आज की तारीख तक, जेकेपीडीसी के इक्विटी योगदान के रूप में 52.50 करोड़ रुपए की राशि जेकेपीडीसी के इक्विटी योगदान के रूप में सीवीपीपीपीएल को जारी की गई है।

- **जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता:**

- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट।
- 12% निःशुल्क विद्युत: पहले वर्ष में निःशुल्क विद्युत की छूट 10% होगी और परियोजना के सीओडी के बाद 5वें वर्ष तक हर साल यह 2% घट जाएगी। छठे वर्ष से निःशुल्क विद्युत का हिस्सा 12% पर बहाल हो जाएगा।
- 9% एसजीएसटी की छूट: प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- पथकर में छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई।

- **भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता**

- परियोजना के लिए इक्विटी शेयर : भारत सरकार से अनुदान के रूप में जेकेपीडीसी से 655.08 करोड़ रुपए की इक्विटी।
- भारत सरकार सीवीपीपीपीएल के लिए 7.3% प्रति वर्ष की दर से 3119.42 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था करेगी, जिसमें परियोजना के चालू होने के पश्चात सात वर्ष की अवधि होगी तथा यह आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विस्तारणीय होगा।

iii) भूमि अधिग्रहण

परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अंतिम अवार्ड दिनांक 22.03.2018 के पत्र द्वारा जारी कर दिया गया है। सीवीपीपीपीएल द्वारा 24.34 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं और अब तक 21.23 करोड़ रुपये वितरित किये गए हैं। वन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः 14.03.2018 और 25.01.2022 को सीवीपीपीपीएल को विपथित वन भूमि सौंपी गई है।

iv) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 03.08.2018 के आदेश द्वारा 35.83 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ परियोजना की आरएंडआर योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 5 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त डीसी किश्तवाड़ को जारी की गई है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा आयुक्त आरएंडआर के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

v) प्रमुख कार्य प्रदान किया जाना और निविदाएं

परियोजना का निष्पादन निम्नलिखित तीन पैकेजों में किया जाएगा:

- i) सिविल कार्य पैकेज (लॉट-I)
- ii) हाइड्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-II)
- iii) इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट III)

सिविल कार्य पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> • डीटी, बांध, भूमिगत पावर हाउस, टीआरटी, प्रेशर शाफ्ट, डीटी के एचएम कार्यों के लिए सिविल कार्य पैकेज का अवार्ड पत्र दिनांक 11.05.22 को मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को जारी किया गया है। • डीटी आउटलेट और इनलेट पोर्टल का विकास पूरा हो चुका है तथा डीटी आउटलेट साइड और डीटी इनलेट साइड से डायवर्जन कंदरा उत्खनन कार्य, एमएटी पोर्टल विकास और डैम एबटमेंट्स की स्ट्रिपिंग का काम प्रगति पर है।
एचएम पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> • निम्न प्रतिक्रिया के कारण, पूर्व निविदा रद्द कर दी गई थी और अगस्त 2022 में नए सिरे से एनआईटी जारी करके पुनः निविदा शुरू की गई। बोली खोलने की तारीख प्रारंभ में 30.09.2022 तय की गई थी, जिसे फर्मों के अनुरोध पर 5 बार बढ़ाया गया है और अंततः 25.11.2022 को 4 फर्मों की तकनीकी बोलियाँ खोली गईं। कंपनियों से स्पष्टीकरण/पुष्टि प्राप्त करने के उपरांत तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है और कुछ विदेशी प्रतिभागियों के संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा मंजूरी के लिए भी प्रक्रिया चल रही है।
ईएंडएम पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> • नई पुनः निविदा एनआईटी 07.12.2022 को जारी की गई और तकनीकी बोली खोलने की तारीख 30.01.2023 निर्धारित की गई। 21.12.2022 को फर्मों के साथ बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई और 19.01.2023 को आवश्यक संशोधन जारी किए गए। इसके अलावा, संभावित बोलीदाताओं के अनुरोध पर, बोलियां जमा करने और खोलने की नियत तारीख तक तीन बार अर्थात 16.03.2023 और 21.03.2023 तक बढ़ाई गई थी। • जलविद्युत क्षेत्र में संविदाओं के विभिन्न तरीकों और संविदा के प्रासंगिक पुनर्गठन उपबंधों की जांच करने के विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति की दिनांक 07.03.2023 की रिपोर्ट के बाद शुद्धिपत्र जारी करते हुए इसे 04.05.2023 और 09.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

31.03.2023 के अनुसार सिविल कार्यों की घटक-वार प्रगति

क्रम सं.	गतिविधि का क्षेत्र	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% पूर्णता	चित्र
1.	अपवर्तन टनल खुदाई						
1.1	डीटी खुदाई (हैडिंग) - इनलेट की ओर से	मीटर	343	213	130	62.20	

1.2	डीटी खुदाई (हैडिंग) - आउटलेट की ओर से	मीटर	343	190	153	55.40	
2.	डीटी आउटलेट पोर्टल विकास						
2.1	सतह खुदाई	घन मीटर	8500	5809	2691	68.34	
3.	डीटी इनलेट पोर्टल विकास						
3.1	सतह खुदाई	घन मीटर	7904	3904	4000	49.30	
4.	मैट पोर्टल विकास						
4.1	सतह खुदाई	घन मीटर	2280	2280	0	100	
4.2	मैट खुदाई	मीटर	609	116.5	492.5	19.13	
5.	बांध उत्खनन स्ट्रिपिंग						
5.1	बांध उत्खनन - बांध एब्यूटमेंट की स्ट्रिपिंग	घन मीटर	304500	13100	291400	4.30	
5.2	पॉटहेड खुदाई	घन मीटर	142500	6300	136200	4.42	
5.3	सीवीटी - खुदाई	मीटर	280	46	234	16.43	

5.4	सर्ज एडिट	गैलरी	मीटर	766	21	745	2.74	
-----	-----------	-------	------	-----	----	-----	------	---

चित्र :



दाहिने छोर पर बांध एक्सिस रोड



टीआरटी एडिट रोड का निर्माण

बांध स्ट्रिपिंग

i) आधारभूत सरंचना कार्य

- परियोजना के लिए 4.48 कि.मी. की कुल लंबाई वाली संपर्क सड़क का निर्माण पूरा हो गया है।
- चिनाब नदी पर 90 मीटर स्पैन 70आर डबल लेन पुल के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और दाहिने छोर के क्षेत्र का कार्य दिनांक 25.09.2022 को संविदाकार को सौंप दिया गया है।
- पड़्यारना में साइट कार्यालय का निर्माण पूरा।

IV. किरथाई-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में नई जलविद्युत योजनाओं के निष्पादन के लिए 03.01.2021 को जम्मू में जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के खंड संख्या (I) के अनुसार, किरथाई-II एचईपी (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के कार्य को सीवीपीपीएल को उन्हीं नियमों और शर्तों पर सौंपा गया है, जो पकल डुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहमत की गई हैं।

किरथाई-II एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है जो किश्तवाड़ जिले, जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर किरू जलविद्युत परियोजना के लगभग 25 किमी अपस्ट्रीम पर स्थित है। यह परियोजना 90% भरोसेमंद वर्ष में 3329.52 एमयू का वार्षिक उत्पादन प्रदान करेगी। जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर सीवीपीपीएल के माध्यम से किरथाई-II एचईपी (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए 03.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के लिए सीवीपीपीएल और एनएचपीसी के बीच परामर्श समझौते पर 19.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना की विशेषताएं:


- बांध : 121मीटर उच्च कंक्रीट गैविटी
- एफआरएल पर सबमर्जिस : 1.4 किमी²
- डीसिल्टिंग चैम्बर : 4, 440मी x 19मी x 24.87मी
- पावर हाउस : भूमिगत (6x140=840 मेगावाट) + सतह
(2x10+2x35= 90 मेगावाट)
- मशीन का प्रकार : फ्रांसिस
- मुख्य पीएच केवर्न आयाम: 187.5x22x49.7मी
- एचआरटी : 4.29 केएम
- प्रेशर शाफ्ट : 3 मुख्य पीएच के लिए 5.25 मी व्यास और 827 मी लंबाई के 3 स्टील लाइनर

सीईए द्वारा लागत मूल्यांकन:

- सीईए का टीईए मूल्यांकन : 14.06.2019
- मूल्यांकित लागत : अगस्त 2015 पीएल को 5989.75 करोड़ रुपए
(977.52 करोड़ रुपए की आईडीसी और 88.05 करोड़ रुपए की एफसी सहित)
- टीईए के अनुसार टैरिफ : समानीकृत टैरिफ- 3.53 रुपए/ किलोवाट (डब्ल्यूसी के बिना)
- अद्यतन लागत (एनएचपीसी) : फरवरी, 20 पीएल को 6384.39 करोड़ रुपए
- प्रथम वर्ष टैरिफ : 5.06 रुपए, समानीकृत टैरिफ: 4.58 रुपए (डब्ल्यूसी सहित)
- प्रथम वर्ष टैरिफ : 4.55 रुपए, समानीकृत टैरिफ: 4.08 रुपए (डब्ल्यूसी के बिना)

- पूर्णता अवधि : 60 माह

किरथाई-II जलविद्युत परियोजना का सामान्य लेआउट:



परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

मंजूरीयों की स्थिति:

टीईए	<ul style="list-style-type: none"> • सशर्त टीईसी प्रदान की गई: 14.06.2019 • टीईसी में शर्तें: भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण पहलुओं आदि पर अतिरिक्त जांच। • दिनांक 27.12.2021 के पत्र द्वारा सीईए ने टीईए को सीवीपीपीएल के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। • 13.06.2024 तक टीईसी के मूल्यांकन की विधिमान्यता को सीईए द्वारा दिनांक 29.08.2022 के पत्र के माध्यम से प्रदान किया गया है।
पर्यावरणीय मंजूरी	<ul style="list-style-type: none"> • ईएसी द्वारा सिफारिश : 15.04.2021 • पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 24.5.2021 के पत्र के माध्यम से जेकेएसपीडीसी को सूचित किया है कि चरण-I वन मंजूरी दिए जाने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी प्रदान दी जाएगी। • संबंधित वन प्रभाग को अनुसूची-I प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना प्रस्तुत करने का आगे प्रमाण 30.11.2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
	<ul style="list-style-type: none"> • अनुमोदित सीएटी योजना और जैव विविधता प्रबंधन योजना 03.07.2021 को डीएफओ किशतवाड़ को सौंपी गई। • सीवीपीपीएल के नाम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईसी जारी करने के लिए जेकेएसपीडीसी द्वारा एनओसी 29.11.2021 को जारी की गई।

	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना ने दिनांक 30.11.2021 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सीवीपीपीएल के पक्ष में ईसी जारी करने का अनुरोध किया है। परियोजना द्वारा दिनांक 26.07.2022 को प्रस्ताव के लिए वन विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष पीसीसीएफ कार्यालय में प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान कुछ मुद्दों को अनुपालन के लिए परियोजना को सूचित किया गया था, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, एमडी सीवीपीपीएल कार्यालय, जम्मू द्वारा सीसीएफ/नोडल अधिकारी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई और आगे की प्रक्रिया प्रगति पर है।
वन स्वीकृति	<ul style="list-style-type: none"> जेकेएसपीडीसी द्वारा भाग- I दिनांक 09.03.2021को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। एफसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की लक्ष्य तारीख: अगस्त 2022. वन मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भूमि की आवश्यकता (वन, सरकारी और निजी भूमि) के अनुमोदन का प्रस्ताव 13.12.2021 को प्रस्तुत किया गया था और वह कुछ टिप्पणियों के साथ वापस प्राप्त हो गया है। डीएंडई डिवीजन, एनएचपीसी द्वारा अग्रेषित परियोजना के अस्थायी लेआउट और तहसीलदार, पैडर द्वारा प्रदान किए गए भूमि विवरण के आधार पर संशोधित प्रस्ताव दिनांक 28.05.2022 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखा गया है। इसका अनुमोदन 03.08.2022 को प्रदान किया गया। परिवेश पोर्टल पर एफसी के लिए आवेदन दिनांक 19.10.2022 को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। परियोजना संचालन समिति की बैठक 20.01.23 को हुई और एमओएम जारी किया गया। एमओएम में उल्लिखित मुद्दों पर कार्रवाई प्रगति पर है।
सिंधु जल समझौता	<ul style="list-style-type: none"> आईडब्ल्यूटी मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। आईडब्ल्यूटी मंजूरी के लिए आवेदन टीईए शर्तों के अनुपालन के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे।
रक्षा मंजूरी	<ul style="list-style-type: none"> अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ रक्षा मंजूरी को रक्षा मंत्रालय के दिनांक 24.03.2022 के फा.सं. 22(15)/2021/डी(समन्वय) के माध्यम से संप्रेषित किया गया है।

4. लाभांश:

कंपनी को निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए चार परियोजनाएं सौंपी गई हैं, अर्थात् पकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और किरथाई चरण-II एचईपी (930 मेगावाट)। उपरोक्त में से, पकल दुल और किरू जलविद्युत परियोजनाएं सक्रिय निर्माण चरण में हैं और किरथाई चरण II जलविद्युत परियोजना मंजूरी के प्रक्रियाधीन है। चूंकि कोई परियोजना प्रचालन में नहीं है और बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में निवेशित अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर केवल ब्याज ही आय का स्रोत है, इसलिए, आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

5. पूंजीगत संरचना और निवल मूल्य:

31 मार्च, 2023 को आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3692.39 करोड़ रुपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31.03.2022 को 3336.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 3692.39 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, हमें प्रमोटर, एनएचपीसी से शेयर आवेदन राशि के रूप में 224.69 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका 31 मार्च 2023 को आवंटन किया जाना लंबित है। इस प्रकार, कुल इक्विटी फंड (आवंटन होने तक लंबित आवेदन राशि सहित) और निवल मूल्य 31 मार्च 2023 तक क्रमशः 3917.08 करोड़ रुपये और 3996.23 करोड़ रुपये है।

6. शेयरों का अंतरण:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयरों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था।

7. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों के विवरण:

कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

8. निदेशक मंडल:

कंपनी का बोर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित किया गया था।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	नामिति निदेशक और अध्यक्ष	06440021	22.11.2019
2	श्री एच.राजेश प्रसाद आईएएस	नामिति निदेशक	06516512	20.10.2022
3	श्री आर पी गोयल	नामिति निदेशक	08645380	01.10.2020
4	श्री विश्वजीत बासु	नामिति निदेशक	09003080	02.03.2023
5	श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक	09653321	27.06.2022
6	श्रीमती मधुस्मिता पानी	नामिति निदेशक	09319007	21.12.2022

- श्री अटल डुल्लू, आईएएस 04.05.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री रजत गुप्ता 09.06.2022 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

- श्री नीतेश्वर कुमार, आईएएस 22.09.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस 30.09.2022 को जेकेएसपीडीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री वाई के चौबे, 02.03.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

9. निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकों ने निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की :

बैठक की संख्या और तिथि	बैठक का स्थान	बोर्ड की संख्या	वर्तमान निदेशकों की संख्या			बोर्ड बैठक की उपस्थिति का %
			व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	बोर्ड के सदस्यों का नाम	
65वीं बीओडी बैठक 11 अप्रैल, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	6	4	1	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), नीतेश्वर कुमार - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और रजत गुप्ता।	83.33
66वीं बीओडी बैठक मई 13, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	3	1	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), वाई के चौबे, आर पी गोयल और रजत गुप्ता।	80
67वीं बीओडी बैठक 26 मई, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	3	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), नीतेश्वर कुमार - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और रजत गुप्ता।	100
68वीं बीओडी बैठक 18 अगस्त, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	6	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), नीतेश्वर कुमार - आईएएस, वाई के चौबे, आर पी गोयल और हसन नदीम।	100
69वीं बीओडी बैठक 7 सितंबर, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	2	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), वाई के चौबे, आर पी गोयल और हसन नदीम।	80
70वीं बीओडी बैठक 10 अक्टूबर, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	5	2	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), वाई के चौबे, आर पी गोयल और हसन नदीम।	80
71वीं बीओडी बैठक 29 जनवरी, 2022	कारपोरेट कार्यालय जम्मू	6	2	2	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद, वाई के चौबे, आर पी गोयल, हसन नदीम और मधुस्मित पाने ।	100

10. सामान्य रिजर्व में अंतरण:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है।

12. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मेसर्स रामित माम एंड एसोसिएट्स, वृत्तिक कंपनी सचिव द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुबंध I** में संलग्न है, जो स्वतःपूर्ण है।

13. तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई तात्विक परिवर्तन विद्यमान नहीं हैं जो कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय स्थिति संबंधित है, के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख उत्पन्न हुए हैं।

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31 मार्च 2023 को 3692.39 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 224.69 करोड़ रुपये के शेयर प्रवर्तक, एनएचपीसी को 04.04.2023 (122.14 करोड़ रुपये) और 13.04.2023 (102.55 करोड़ रुपये) को आवंटित किए गए हैं, जिसे 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में आवंटन लंबित होने तक शेयर आवेदन राशि के रूप में दर्शाया गया है। तदनुसार, कंपनी की 3692.39 करोड़ रुपये प्रदत्त शेयर पूंजी वर्ष 2023-24 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड को शेयर जारी करने के बाद 31.03.2023 को बढ़कर 3917.08 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, जेकेएसपीडीसी ने 14.06.2023 को 42.8075 करोड़ रुपये जारी किए हैं जिसके लिए शेयर जारी किए जाने अभी बाकी हैं।

14. सार्वजनिक निक्षेप:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए कंपनी (निक्षेप की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जनता/सदस्यों से कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है और, इस तरह, तुलन पत्र की तारीख और इस रिपोर्ट की तारीख को मूलधन या ब्याज की कोई राशि नहीं बकाया थी।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की अपेक्षानुसार, निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि:

क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि 31 मार्च, 2023 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत कर सके;

ग). निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य

अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;

घ) निदेशकों द्वारा चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

ड) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

16. सचिवालयी मानक:

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवालयी मानकों, अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

17. कंपनी द्वारा ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई प्रतिभूति हासिल नहीं की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन शामिल होती हो।

18. संबंध पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की थी, जिसे तात्त्विक माना जा सकता हो। परामर्श और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी के संबंधित पक्षकार संव्यवहार केवल संयुक्त उद्यम भागीदार (एनएचपीसी लिमिटेड) में से एक के साथ हैं। संबंधित पक्ष के साथ की गई सभी संविदाएं/संव्यवहार व्यवसाय के सामान्य क्रम में और कंपनी के हित में सामान्य आधार पर थे।

ऐसे संव्यवहार विद्यमान हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ज) के अनुसार प्रपत्र एओसी-2 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है, जिसे अनुबंध II के रूप में संलग्न किया गया है।

19. सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हताओं, आरक्षण की गई टिप्पणियों पर निदेशक मंडल की टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में किसी अर्हता या आरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ उन पर प्रबंधन के उत्तर अनुबंध-III के रूप में संलग्न हैं।

20. जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत बनाना:

कंपनी इस तथ्य से अवगत है कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास भू-तकनीकी आश्चर्यों, जलविज्ञान संबंधी अनिश्चितताओं, भूकंपीय जोखिमों, पर्यावरणीय मुद्दों, अप्रत्याशित संविदात्मक मुकदमेबाजी, परियोजना स्थल की दूरस्थता, लंबी सगर्भता अवधि, विनियामक जोखिम आदि जैसी विभिन्न अनिश्चितताओं से जुड़ा है जिससे परियोजना लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, समय की अधिकता हो सकती है, आदि ।

1000 मेगावाट की पकल दुल जलविद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत और निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ, आपकी कंपनी, कंपनी के समक्ष जोखिमों की पहचान करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर रही है जिसमें कार्यान्वयन के लिए जोखिमों के प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाना शामिल हैं।

तथापि, कंपनी ने धोखाधड़ी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने की नीति विकसित और कार्यान्वित की है।

कंपनी द्वारा शुरू की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) रणनीतिक जोखिम:

परियोजनाओं के एचओपी ऐसे जोखिम के प्रबंधन के लिए समय पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) वित्तीय जोखिम:

तुलन-पत्र पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय जोखिम की अब तक पहचान नहीं की गई है।

(ग) प्रचालनात्मक जोखिम:

वर्ष के दौरान पहचाने गए परिचालन जोखिम के लिए किश्तवाड़ में परियोजना के एचओपी द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक हो, शमन के उपाय किए गए हैं।

(घ) अनुपालन जोखिम:

कंपनी वर्ष के दौरान सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

21. सतर्कता गतिविधियां :

सतर्कता कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी कंपनी में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा बनी रहे। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य सतर्क एवं जागरूक रहना तथा मजबूत सतर्कता प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्था को जागृत रखना है। सतर्कता प्रशासन में निवारक और दंडात्मक भ्रष्टाचार विरोधी उपाय शामिल हैं। इसमें अनियमितताओं का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना और ऐसी अनियमितताओं के कारणों का पता लगाना और उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी प्रणालीगत सुधार करना शामिल है। इसमें कदाचार के लिए जिम्मेदार लोक सेवकों की पहचान करना और उचित दंडात्मक कार्रवाई करना भी शामिल है।

सीवीपीपीएल के स्टॉक धारण पैटर्न में बदलाव के बाद, यह सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड के माध्यम से सीवीसी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है, जो किसी भी अन्य केंद्र सरकार के विभाग/पीएसयू की ही भांति सीवीपीपीएल से संबंधित कतिपय अनुपालनों को अनिवार्य करता है। सीवीसी द्वारा जारी परिपत्र/ज्ञापन/दिशानिर्देश सीवीपीपीएल में अनिवार्य अनुपालन के अध्यक्षीन हैं। सतर्कता विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है।

सतर्कता क्रियाकलापों/कार्यों का निपटान सतर्कता विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें शिकायतों/मामलों पर कार्रवाई करना और उनकी जांच कराना, नियमित/औचक निरीक्षण संचालित करना, संगठन की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए गए एनआईटी की नियमित निगरानी करना, निष्पादित की गई निविदाओं, कार्यों के निष्पादन, संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर किए गए भुगतान की निगरानी, जागरूकता कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रणाली में सुधार के लिए सीवीसी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का परिचालन आदि शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कदाचार से संबंधित एक सतर्कता मामले का निपटान किया गया है। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/परीक्षणों के आधार पर परिपत्र और दिशानिर्देश नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड और सीवीसी को भेजी जा रही है। अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिए अद्यतन बनाई जाती है।

कार्यकरण में पारदर्शिता और नीतिशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीवीपीपीपीएल में 31 अक्टूबर से 6 नवम्बर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

22. वार्षिक विवरणी के उद्धरण:

प्ररूप एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी के उद्धरण अनुबंध-IV के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

23. सांविधिक सूचना:

अ. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन:

क. प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था: सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय के अभिविन्यास और ग्लास पैनेलिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रवेश करता है जिससे बिजली के प्रकाश का उपयोग कम होता है और बिजली की खपत कम होती है।

परियोजना के सभी भवनों का निर्माण इस प्रकार किया गया है/ उनके कांच की खिड़कियां मुहैया कराई गई हैं जिससे कि प्राकृतिक प्रकाश भीतर आ सके और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को कम करके ऊर्जा बचाई जा सके।

ख. ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीवीपीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

ग. एचवीएसी: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीओ जम्मू में ऊर्जा कुशल एचवीएसी प्रणाली प्रचालन में है।

घ. मलजल शोधन संयंत्र: जेडीए द्वारा प्रदान की गई भवन अनुमति के अनुसार, मलजल उपचार के लिए केवल सेप्टिक टैंक उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, तथापि, एक सक्रिय कदम उठाते हुए, आपकी कंपनी ने उन्नत तकनीक अपनाने का फैसला किया और पारंपरिक सेप्टिक टैंक के स्थान पर एरोबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना का विकल्प चुना। कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायो रिएक्टर तकनीक से युक्त 70 केएलडी स्थापित क्षमता वाला एसटीपी स्थापित किया गया है। सीवेज के अलावा, यह एसटीपी भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का भी उपचार करेगा।

आ. अनुकूलन और अभिनवता :

क) भवन अभिविन्यास: कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का डिजाइन जम्मू की जलवायु के सर्वोत्तम पहलुओं का लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया है। अग्रभाग इष्टतमीकरण सिद्धांत को दिन के प्रकाश और छायांकन के लिए द्रव्यमान और अभिविन्यास के अनुसार डिजाइन में लागू किया गया है ताकि यह भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सके। इमारत का द्रव्यमान पूर्व-पश्चिम दिशा में

उन्मुख है, जिसके बड़े हिस्से उत्तर और दक्षिण की ओर हैं, जिससे गर्मियों के दौरान सौर ताप की मात्रा कम से कम होती है।

ख) स्थल आयोजना: भवन के ऊर्ध्वाधर विस्तार (ऊपर और भूमिगत दोनों) को अपनाकर भवन के चारों ओर हरे/खुले क्षेत्रों के बड़े भाग की उपलब्धता (अर्थात् कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 30%) सुनिश्चित की गई है। वाहनों की पार्किंग के लिए दो बेसमेंट तल उपलब्ध कराकर भूमिगत क्षेत्र का पूरा उपयोग किया गया है।

ग) बैठने की व्यवस्था: एचवीएसी की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने और बिजली की खपत को कम करने के लिए बैठने की व्यवस्था की योजना इस तरह से बनाई गई है कि बंद कमरों और पूरी ऊंचाई के केबिनो में बाहरी दीवारें/कांच की दीवारें लगाई गई हैं ताकि सूरज की रोशनी का ताप प्रभाव कार्य स्टेशनों और अन्य ऐसे खुले क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं हो पाए, जो फर्श के आंतरिक भाग स्थित हैं।

घ) वर्षा जल संरक्षण प्रणाली: कंक्रीटीकरण में वृद्धि के साथ, शहरी क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश पानी सीधे नालियों में चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा गैर-ठोस क्षेत्रों की पुनर्भरण क्षमता की भारी क्षति होती है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सीवीपीपीपीएल ने भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने का विकल्प चुना है। 2.5 मीटर व्यास और 3.0 मीटर प्रभावी गहराई के 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग गड्ढों के साथ सिस्टम को स्थापित किया गया है जिसमें 160 (ओडी) यूपीवीसी स्लॉटेड पाइप एक परत तक है जहां रेतीले पारगम्य परतें मौजूद हैं।

24. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिःप्रवाह:

विदेशी मुद्रा संव्यवहार को निम्न तालिका में सारांशित किया गया है:

विवरण	2022-23 (राशि रुपए में)	2020-21 (राशि रुपए में)
विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) नवीनतम जानकारी	शून्य	शून्य
ii) ब्याज	शून्य	शून्य
iii) अन्य विविध मामले	48,25,38,912 /- रुपए	37,26,26,792 /- रुपए
विदेशी मुद्रा में आय		
i) ब्याज	शून्य	शून्य
ii) अन्य		

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और मानक:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में एक व्यापक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध "ख" में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता को भी रिपोर्ट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की परियोजनाओं सहित इसके आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य मेसर्स जीएसएम डीएनएसआर एंड कंपनी, फरीदाबाद को आउटसोर्स किया गया है।

26. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन किसी भी संगठन के सफल संचालन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारी समझते हैं कि "लोग मूल्य बनाते हैं" और इस प्रकार, सीवीपीपीपीएल के मानव संसाधन विभाग का लक्ष्य तकनीकी क्षेत्रों, स्वास्थ्य मुद्दों, व्यवहार मॉडल आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सकारात्मक परिवेश तैयार करना है।

उपरोक्त आदर्श-वाक्य को लागू करते हुए, सीवीपीपीपीएल के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 15 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/वेबिनार/ऑनलाइन सत्रों आदि के लिए नामांकित किया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शासकीय दैनिक कार्यों में राजभाषा (हिंदी) के उपयोग को बढ़ावा देने और सीवीपीपीपीएल में राजभाषा (हिंदी) नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मई, 2022 के दौरान पहली हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, निविदाओं और खरीद से संबंधित कार्यों में लगे हमारे कर्मचारियों की सुविधा के लिए, एनआईसी के माध्यम से "सीपीपी पोर्टल पर जलविद्युत परियोजना के प्रमुख पैकेजों की ई-टेंडरिंग" विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रौद्योगिकियों/नवाचारों से परिचित कराने और इस दिशा में उनके ज्ञान को उन्नत करने के लिए मान्यताप्राप्त सीएडीडी केंद्र के माध्यम से प्राइमावेरा और ऑटोकैड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इन प्रौद्योगिकी-उन्मुख कार्यक्रमों के अलावा, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित एजेंसियों जैसे योग मानव विकास ट्रस्ट और संपूर्ण आदि के माध्यम से आयोजित अन्य स्वास्थ्य-संबंधी और जीवन शैली प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए भी नामांकित किया गया था। परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए क्वार एचईपी में "तनाव मुक्त जीवन शैली" पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसके अलावा, एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल में तैनात अपने कर्मचारियों को आईएनसीओएलडी के माध्यम से फ्रांस के मार्सिले में आयोजित 27वीं डैम कांग्रेस एंड सिम्पोज़ियम ऑन वाटर शेयरिंग के लिए भी नामांकित किया है।

आयोजित किए गए सभी कार्यक्रमों की कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त सराहना की गई।

सीवीपीपीएल कारपोरेट कार्यालय, जम्मू में आयोजित पहली हिंदी कार्यशाला






"सीपीपी पोर्टल पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के मुख्य पैकेजों की ई-निविदा" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम




सीवीपीपीएल कारपोरेट कार्यालय में "8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" का आयोजन



सीवीपीपीएल कारपोरेट कार्यालय, जम्मू में "संपूर्णना" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



सीवीपीपीएल कारपोरेट कार्यालय, जम्मू में "ऑटोकैड" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



कवार एचईपी, सीवीपीपीपीएल किशतवाड़ में "तनाव-मुक्त जीवनशैली" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



27. कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, स्थापना अनुभाग :

एक व्यापक अभ्यास संचालित किया गया जिसके तहत 43 कर्मचारियों को 01.04.2023 से अभियंता/अधिकारी (ई2) से सहायक प्रबंधक (ई3) में पदोन्नत किया गया।

28. मानव संसाधन प्रबंधन


1. एचआर नियम और नीतियां:

मानव संसाधन नीतियां कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो बदले में कर्मचारी उत्पादकता और संगठन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022-23 के दौरान, सीवीपीपीपीएल में उभरती आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न मानव संसाधन नियमों और नीतियों को समीक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया है।

ख. सीवीपीपीएल में तैनात संविदा श्रमिकों के विवरण:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 5202 विभिन्न संविदाकारों (जैसे मेसर्स एफ़कॉन्स, मेसर्स जेएएल, मेसर्स पटेल आदि) द्वारा संविदा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिन्हें सीवीपीपीएल परियोजनाओं/इकाइयों में कार्य/सेवाएं प्रदान की गई हैं। कुल 5202 में से, 4593 संविदा श्रमिक जम्मू-कश्मीर से हैं। जम्मू-कश्मीर के इन 4593 श्रमिकों में से 4083 किश्तवाड़ जिले से हैं, जिनमें परियोजना प्रभावित परिवारों के 440 संविदा श्रमिक शामिल हैं।

पिछले वर्ष (31.03.2022) की तुलना में 31.03.2023 को संविदाकारों द्वारा नियुक्त संविदा श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 37.20% है।



ग. औद्योगिक संबंध:

संघों से संबंधित मामलों को प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा आपसी चर्चा और निर्णय के माध्यम से संबोधित किया गया है। वर्ष के दौरान, पूरे संगठन में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

घ. कर्मचारियों की अधिवास स्थिति

सीवीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का अधिवास विवरण (01-06-2023 के अनुसार)						
समूह	संवर्ग	अधिवास स्थिति			जम्मू-कश्मीर से संबद्ध कर्मचारियों का प्रतिशत	अन्य राज्यों से संबद्ध कर्मचारियों का प्रतिशत
		जम्मू और कश्मीर	अन्य	कुल		
क	अधिकारी	115	146	261	43.89	56.11
ख	पर्यवेक्षक	18	24	42		
उप जोड़		133	170	303		
ग और घ	कर्मचारी	17	0	17	100.00	0.00
कुल		150	170	320	46.88	53.13

ड. जनशक्ति आयोजना:

सीवीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का स्थानवार विवरण (01-06-2023 के अनुसार)						
समूह	संवर्ग	सीओ *	पकल दुल एचईपी**	किरु एचईपी	क्वार एचईपी	कुल
क	अधिकारी	79	73	70	39	261
ख	पर्यवेक्षक	4	20	11	7	42
ग और घ	कर्मचारी	3	11	0	3	17
कुल		86	104	81	49	320

च. स्वतंत्रता दिवस 2022

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड (सीवीपीपीएल) को चिनाब बेसिन में 3094 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पनविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का काम सौंपा गया है, जिनके नाम पकल दुल (1000 मेगावाट), किरु (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और किरथाई-II (930 मेगावाट) हैं। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड (सीवीपीपीएल) ने 15 अगस्त, 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रबंध निदेशक श्री हसन नदीम ने कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और स्वतंत्रता हासिल करने में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की।



छ. सीवीपीपीपीएल स्थापना दिवस 2022:



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) ने 13 जून, 2022 को सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू; किश्तवाड़ में परियोजना स्थल और कैंप कार्यालय, फ़रीदाबाद में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। जम्मू-कश्मीर में चिनाब बेसिन की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए वर्ष 2011 में इसी दिन सीवीपीपीपीएल की स्थापना की गई थी। श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और श्री हसन नदीम, प्रबंध निदेशक ने इस अवसर पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी। यह दिन समाज के कमजोर वर्ग के साथ मनाया गया जिसके तहत जम्मू के चन्नी रामा स्थित बालग्यान और मुस्कान-मानसिक रूप से कमजोर बालकों के बालगृह के बच्चों को किराना सामान, लेखन-सामग्री और सैनिटाइज़र आदि वितरित किए गए। अपने संबोधन में श्री हसन नदीम, प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल ने कहा कि पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और किरू एचई परियोजना (624 मेगावाट) पर सभी मोर्चों पर तेजी के साथ काम चल रहा है। क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के सिविल पैकेज के कार्य अवार्ड किए जा रहे हैं, जिसकी आधारशिला अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। वर्ष के दौरान, सीवीपीपीपीएल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। 1.11.2021 और 31.12.2021 को क्रमशः पकल डुल एचई परियोजना में मारुसुदर नदी और किरू जल विद्युत परियोजना में चिनाब नदी का मार्ग विपथित कर देने के साथ ही दोनों परियोजनाओं पर बांध कार्यों को गति देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। किरथाई-II (930 मेगावाट) पर विस्तृत अन्वेषण कार्य जारी है। इस प्रकार, निर्माण के लिए उपलब्ध कुल क्षमता अब 3094 मेगावाट है। श्री नदीम ने कर्मचारियों से कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया। श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष और श्री हसन नदीम, प्रबंध निदेशक ने कामना की कि सीवीपीपीपीएल की परियोजनाएं सभी के समन्वित प्रयासों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएंगी।

कारपोरेट कार्यालय, जम्मू में 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के आयोजन की झलकियां









29. महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दाखिल मामलों की संख्या, यदि कोई हैं, और उनका निपटान:

शून्य।

30. अन्य पहलें:

कोविड प्रोटोकॉल अनुरक्षित करने के संबंध में कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए कोविड-19 वैक्सीन की खुराक-I और खुराक-II लगाने के लिए सीवीपीपीपीएल कार्यालय परिसर में योजनाबद्ध अभियान आयोजित किए गए।

31. परियोजना की निगरानी:

सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली का अनुपालन कर रहा है। प्रभावी निगरानी समय और लागत की अधिकता को रोकने के लिए एक अनिवार्य घटक है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजना के प्रमुख कार्यों की प्रगति की निगरानी परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर अर्थात प्राइमावेरा के माध्यम से की जा रही है जिसे सीओ जम्मू और परियोजना कार्यालय किश्तवाड़ में स्थापित किया गया है और कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। संविदाकारों ने प्राइमावेरा प्रारूप में परियोजनाओं के कार्य पैकेजों के आधारभूत निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और पैकेज की गतिविधियों की निगरानी प्राइमेरा के माध्यम से की जा रही है। प्राइमावेरा में पैकेजों के इंटरफेसिंग शेड्यूल को भी प्रभावी निगरानी के लिए एकीकृत किया जा रहा है और इंटरफेस गतिविधियों के बीच किसी भी विलम्ब को रोका जा रहा है। विलंब, यदि कोई हो, को संविदाकारों को नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि विलंब को दूर करने की योजना बनाई जा सके।

परियोजनाओं की स्थिति से पीएमओ, विद्युत मंत्रालय, सीईए, एनएचपीसी, जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और विभिन्न अन्य केंद्रीय/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों को स्थिति रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है जो नियमित रूप से निश्चित समय-सीमा अर्थात तिमाही/मासिक/साप्ताहिक पर भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की स्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द-से-जल्द सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभागों में विभिन्न समीक्षा बैठकों में प्रकाश डाला जा रहा है।

भेजी गई निर्धारित स्थिति रिपोर्टों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास की गई परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट।
2. जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रधान मंत्री विकास योजना (पीएमडीपी-2015) परियोजनाओं की त्रैमासिक/यथाअपेक्षित प्रगति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
3. 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना परियोजनाओं की संपूर्ण विस्तृत डाटा जानकारी को मासिक अद्यतनीकरण ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को।

4. डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के पोर्टल पर प्रगति और उपलब्धियों तथा मुद्दों को मासिक रूप से अद्यतन किया जाना।
5. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 (च) के अंतर्गत सीईए द्वारा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की निगरानी, एचपीएम, सीईए को मासिक स्थिति।
6. परियोजनाओं की मासिक स्थिति और उनके मूल्यांकन की शर्तों का अनुपालन एचपीएम, सीईए को।
7. प्रगति के मामलों की स्थिति जेकेपीडीडी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
8. कैबिनेट सचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल पर कैबिनेट निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट।
9. तिमाही सीसीईए अनुमोदन शर्त की अनुपालन रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
10. एनएचपीसी (सीवीपीपीपीएल के संबंध में) की परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट एनएचपीसी के आयोजना और पीएमएसजी प्रभागों को।
11. सीवीपीपीपीएल की एनएचपीसी की एसबीएंडडी, योजना और पीएमएसजी डिवीजनों को मासिक एमआईएस रिपोर्ट
12. जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट
13. जेकेपीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट
14. मंडलायुक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार को सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं की साप्ताहिक स्थिति।
15. सीईए अनुमोदित जलविद्युत योजनाएं जिन्हें अभी निर्माण के लिए लिया जाना है, एचपीएम और एचपीए सीईए को।
16. विभिन्न अन्य स्थिति रिपोर्टें भेजी जाती हैं जब कभी वे वैधानिक विभागों से अपेक्षित प्रारूप में अपेक्षित हों।

32. स्थानीय आधारभूत संरचना विकास:

पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की आरएंडआर योजनाओं, जैसा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, में पकल दुल के लिए 40.00 करोड़ रुपए, किरू के लिए 28.87 करोड़ रुपए और क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए 13.54 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। कुल 82.41 करोड़ रुपये की राशि की यह निधि किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र के विकास के लिए वरदान साबित होगी, जिसे स्थानीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन निधियों के उपयोग से, न केवल क्षेत्र के अवसंरचना का विकास किया जाएगा, बल्कि यह स्थानीय इससे लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे और इस प्रकार क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सकेगा।

वर्तमान में पकल दुल एचईपी के स्थानीय आधारभूत संरचना विकास योजना के मामले में ३ करोड़ रुपए की राशि की आधारभूत संरचना उपघटकों की योजना उपायुक्त किशतवाड़ द्वारा तैयार किए की गई थे और इसे कार्यान्वयन के लिए जम्मूकश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपायुक्त किशतवाड़ (अर्थात् आयुक्त आरएंडआर) के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में स्वीकृत अवसंरचना विकास कार्यों का कार्यान्वयन प्रगति पर है और अब तक 11.83 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

33. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें:

सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी संगठन की स्थायी और दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे दुनिया भर के संगठन कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, आईटी पहल का महत्व काफी उपयोगी हो गया है और इस प्रकार, आईटी अधिकारियों ने इसे सफलतापूर्वक डिजाइन, क्रियान्वित और प्रबंधित किया।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, संगठन ने विभिन्न डिजिटल पहलें संचालित की हैं, अर्थात् सीवीपीपीपीएल अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू सहित सभी परियोजना स्थलों पर सरकारी दिशानिर्देशों और ईआरपी के अनुसार एनआईसी के ई-ऑफिस को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए, जिसमें वर्चुअल मीटिंग, सीवीपीपीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट का प्रशासन और संचालन, इंटरनेट और वेबमेल आईडी शामिल हैं, सीवीपीपीपीएल जनता, हितधारकों आदि के लिए आसानी के साथ पहुंचयोग्य है।

सीवीपीपीपीएल ने अधिक पारदर्शिता का समावेश करने और काम करने में आसानी लाने के लिए कागजरहित कामकाज की दिशा में कई अन्य डिजिटल पहलकदम उठाए हैं। इन पहलों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान करते हुए, कोविड लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय की निरंतरता को सक्षम बनाया है। प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एनआईसी द्वारा विकसित और अनुरक्षित ई-रिवर्स नीलामी पोर्टल तथा संसाधनों के अनुकूलन के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जीईएम पोर्टल के कार्यान्वयन सहित सीपीपीपी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का प्रबंधन किया गया और समर्थन प्रदान किया गया।

सीवीपीपीपीएल आईटी पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण और कागजरहित कार्यालय के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक किसी भी सेवा/सूचना के प्रेषण के लिए लगने वाले समय को कम करना है। इसके अलावा, सीवीपीपीपीएल बेहतर ऑनलाइन अवसंरचना के माध्यम से और संपूर्ण सीवीपीपीपीएल कार्यालयों में इंटरनेट संयोजनता में वृद्धि करते हुए आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयोजनार्थ निरंतर काम कर रहा है।

34. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति:

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित करने का प्रयास करता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल बड़े पैमाने पर विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और समाजों का सम्मान करता है और यह अपने सीएसआर और संधारणीय क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संधारणीयता में संवृद्धि करने के लिए सचेत प्रयास करता रहता है।

सीवीपीपीपीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर जारी सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर और संधारणीयता नीति तैयार की है। ।

यह नीति लागू अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के तहत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 20,93,137.00 रुपए की बाध्यकारी राशि के प्रति 20,65,195.00 रुपए का व्यय किया गया है। 27,942.00 रुपए की शेष अव्ययवित्त राशि को 30 सितम्बर, 2023 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किया जाएगा।

सीएसआर समिति के संबंध में सांविधिक प्रकटीकरण और सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-V** के रूप में इस रिपोर्ट का भाग है।

35. न्यायालय मामलों की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए न्याय-निर्णयाधीन होने वाले मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मुकद्दमेबाजी का प्रकार	मामलों की कुल संख्या *	फोरम/ न्यायालय
1.	सेवा मामले	08	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 8 मामले लंबित
2.	सिविल वाद	01	किश्तवाड़, जम्मू एवं कश्मीर जिला न्यायालय में 01
3.	सिविल रिट याचिकाएं **	03	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 3
4.	माध्यस्थम मामले ***	03	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के समक्ष 1 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 2
5.	अवमानना याचिकाएं	01	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 1
6.	लाइसेंस प्रदान करना और पारेषण प्रभारों का अंगीकरण - अन्य मामले	01	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली

* वे सभी मामले शामिल हैं जिनमें मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कार्यवाही लंबित है।

**** भूमि मुआवजा मामले और संविदाकार के पंजीकरण कार्ड के मामले शामिल हैं।**

***** माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन शामिल हैं।**

अवधि 2022-23 (वित्तीय वर्ष) के दौरान निर्णीत मामलों की संख्या : 08 (आठ) थी।

36. सूचना का अधिकार:

सीवीपीपीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन किया है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आरटीआई आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया है और उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया गया है।

आभार:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल प्रधानमंत्री कार्यालय, जम्मू-कश्मीर सरकार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रवर्तकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिसके अभाव में कंपनी अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

आपके निदेशक सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक सीवीपीपीएल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की भी उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 31.08.2023

**सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013
संपर्क सूत्र :- 7006124213, ई-मेल:- csr32703@gmail.com

फार्म सं. एमआर 3

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और
पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुपालन में)**

सेवा में,

सदस्यगण,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,

रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

मैंने, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321) (जिसे आगे “कंपनी“ कहा गया है), जो एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उचित कारपोरेट कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालयीन लेखा-परीक्षा की है।

सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने मुझे कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उस अपनी राय जाहिर करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के सांविधिक रजिस्ट्रारों, बही, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान सूचना, के आधार पर, मैं एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः इसमें

सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा संभव सीमा तक अनुपालन तंत्र मौजूद है, और इनका पालन नीचे सूचित रीति एवं तरीके से किया गया है :

मैंने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों एवं फाइल किए गए रिटर्नों और मुझे मुहैया करवाए गए अन्य रिकार्डों की जांच की है जो निम्न उपबंधों के अनुरूप हैं, और कंपनी ने नीचे उल्लेख किए गए के सिवाय उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है :-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत नियम;

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(iii) डिपोजिट्री अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन तथा उपविधियां;

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियमन;
लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशा-निर्देश :-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों की खरीद एवं वास्तविक अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015;
लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गत करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2018;

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वीट इक्विटी) विनियम, 2022 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014);

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों को निर्गत करना तथा सूचीकरण) विनियमन, 2022 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को निर्गत करना तथा सूचीकरण) विनियमन, 2008;

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यापार के संबंध में जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट के पंजीयक) विनियमन, 1993;

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2021

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापस क्रय) विनियमन, 2018

• लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं

(vi) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य विधियों को व्यापक रूप से अनुपालन किया गया है।

मैंने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक - एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों से संबंधित) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों से संबंधित)। कंपनी ने रिपोर्ट में उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूं कि:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन सम्यक रूप से किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

(ग) सभी निदेशकों को बोर्ड/समिति की निर्धारित बैठकों के पूरे होने के संबंध में कम-से-कम सात दिन पूर्व उसकी पर्याप्त सूचना दी गई थी, सिवाय ऐसे मामलों में, जहां बैठकें अल्प सूचना पर आयोजित की गई थीं। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम तौर पर भेजी गई थीं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मर्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है। निर्णय बहुमत के आधार पर किए गए थी जबकि असहमत सदस्यों के विचार लिए गए थे और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया था।

में यह भी सूचित करता हूं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की अनुवीक्षण करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

में आगे यह भी सूचित करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों के अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों के अनुरक्षण की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी और अन्य अभिहित वृत्तिकों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

में यह भी सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ घटित हुईं जिनका उपरोक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा:

- (i) कंपनी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 10,00,000,000/- रुपए है।
- (ii) कंपनी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 10,00,000,000/- रुपए है।
- (iii) कंपनी ने एनएचपीसी लिमिटेड को पूर्णतः प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 10,79,94,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। जिनकी राशि रुपए 107,94,00,000/- है।
- (iv) कंपनी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 3,20,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 32,00,00,000/- रुपए है।
- (v) कंपनी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को पूर्ण प्रदत्त के रूप में 10/- रुपये मूल्य के 1,60,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जिनकी राशि 16,00,00,000/- रुपए है।

कृते रमित माम एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हस्ता./-

रमित कुमार माम

(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257

फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900

सखा समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 4169/2023

यूडीआईएन : ए032703ई000891748

स्थान : जम्मू

दिनांक : 29 अगस्त, 2023

इस रिपोर्ट को “अनुलग्नक-क” के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

**सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013
संपर्क सूत्र :- 7006124213, ई-मेल:- csr32703@gmail.com

सेवा में,

सदस्यगण,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,

रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएं :

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. मैंने उन लेखा परीक्षा पद्धतियों एवं कार्य-विधियों का अनुपालन किया है जो मेरी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की शुद्धता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मुझे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया था।
3. सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर उनका सत्यापन किया गया। मैं मानता हूं कि पद्धतियों एवं कार्य-विधियों जिनका हमने अनुसरण किया, मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमनों और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों के उपबंधों, नियमों, विनियमनों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षा आधार पर कार्यवहियों के सत्यापन की जांच तक सीमित थीं।

6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का एवं न ही उस क्षमता अथवा प्रभावात्मकता का आश्वासन है जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने मामलों का संचालन किया है।

कृते रमित माम एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता./-

रमित कुमार माम
(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257
फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900
सखा समीक्षा प्रमाण-पत्र सं. 4169/2023
यूडीआईएन : ए032703ई000891748

स्थान : जम्मू

दिनांक : 29 अगस्त, 2023

फार्म संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में) कंपनी अधिनियम, 2013 के तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र लेन-देनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित पक्षों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटन के लिए फार्म 1. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर नहीं किए गए लेन देनों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार को करने का औचित्य	
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	

2. अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर किए गए लेन देनों का विवरण :

(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	एनएचपीसी लिमिटेड, प्रमोटर
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की प्रकृति	परामर्शी प्रभार
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहार की अवधि	परामर्शी अनुबंध के अनुसार
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	परामर्शी प्रभार (2022-23 के लिए 24,06,33,063 रुपए, जीएसटी सहित
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	दिनांक 11.06.2013 (किरू और कवार एचईपी), 09.01.2017 (पकल डुल एचईपी) और 19.03.2021 (कीरथी एचईपी) के अनुबंध के अनुसार।
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-

सुरेश कुमार
अध्यक्ष

डीआईएन - 06440021

दिनांक : 31 अगस्त, 2023

स्थान : जम्मू

अनुबंध-III

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर

पत्र सं. : एमएमजी-1। विंग/2023-2024/डीआईएस-1049823

दिनांक : 23 अगस्त, 2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, जम्मू।

विषय : 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (पीआर-58136)।

महोदय/ महोदया,

मुझे 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि की सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाए जाएं।

भवदीय,

हस्ता./-

जगबीर सिंह

उप महालेखाकार

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 10 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यवाही कागजात की उपलब्धता के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जाँच तक सीमित थी। अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत मेरी जानकारी में आए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाना चाहूंगा और जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।

क. तुलन-पत्र

क.1 गैर-मौजूदा आस्तियां

उपयोग का अधिकार (टिप्पणी सं. 2.3) 798.10 करोड़ रुपए

पट्टाधृति भूमि - 339.13 करोड़ रुपए

उपरोक्त में कंपनी द्वारा कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, किशतवाड़ को क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की भूमि के लिए भूमि मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए 3.11 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं, जिसे अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। चूंकि भूमि सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर परिवर्तित (मई 2022) कर दी गई है, इसलिए 3.11 करोड़ की राशि को बहियों में पट्टाधृति भूमि के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-मौजूदा आस्तियों में 3.11 करोड़ रुपए की अतियुक्ति और पट्टाधृति भूमि में इसी राशि की न्यूनोक्ति हुई।

क.2 गैर-मौजूदा देयताएं

देनदारियां (टिप्पणी सं.16.1) 384.55 करोड़ रुपए

अन्य गैर-मौजूदा देनदारियां (टिप्पणी सं. 19) 667.26 करोड़ रुपए

भारत सरकार ने 1000 मेगावाट पकल डुल एचईपी के निर्माण के लिए एक प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2500 करोड़ रुपए का सावधि ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 2014)। 31 मार्च 2023 तक 1023.49 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया। मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष अर्थात जुलाई 2033 से शुरू किया जाना था (जुलाई 2025 कमीशनिंग की निर्धारित तारीख थी) और इसे 19वें वर्ष तक जारी रहना था।

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाता है। हालाँकि, कंपनी ने अधीनस्थ-ऋण के उचित मूल्य की गणना करते समय ऋण के पुनर्भुगतान की प्रारंभ तिथि को जुलाई 2033 के स्थान पर जुलाई 2034 माना, जिसके परिणामस्वरूप 392.92 करोड़ रुपए के स्थान पर 384.55 करोड़ रुपए का सावधि ऋण खातों में दर्ज किया गया है और सरकारी अनुदान 659.24 करोड़ रुपए के स्थान पर 667.26 करोड़ रुपए (स्थगित आय) दिखाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार से प्राप्त सावधि ऋण (गैर-मौजूदा उधारियां) में 8.37 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई, आस्थगित आय (अन्य गैर-मौजूदा देनदारियाँ) में 8.02 करोड़ रुपए की अतियुक्ति हुई और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी में 0.35 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई।

क.3 इक्विटी और देनदारियां

मौजूदा देनदारियां

प्रावधान - 110.57 करोड़ रुपए (टिप्पणी सं. 22)

प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान - 101.66 करोड़ रुपए

उपरोक्त में क्वार जलविद्युत परियोजना के निर्माण के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बताई गई

भूमि की लागत (अगस्त 2018) के रूप में 30.83 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप, पट्टाधृति भूमि (आस्तियां) में 35.83 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (प्रावधान) के लिए प्रावधानों में 30.83 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई और गैर-मौजूदा आस्तियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिमों में 5.00 करोड़ रुपए की अतियुक्ति हुई।

कृते भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
प्रधान महालेखाकार
जम्मू एवं कश्मीर

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
<p>क.1 गैर-मौजूदा आस्तियां</p> <p>उपयोग का अधिकार (टिप्पणी सं. 2.3) 798.10 करोड़ रुपए</p> <p>पट्टाधृति भूमि - 339.13 करोड़ रुपए</p> <p>उपरोक्त में कंपनी द्वारा कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, किशतवाड़ को क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की भूमि के लिए भूमि मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए 3.11 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं, जिसे अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। चूंकि भूमि सीवीपीपीपीएल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर परिवर्तित (मई 2022) कर दी गई है, इसलिए 3.11 करोड़ की राशि को बहियों में पट्टाधृति भूमि के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-मौजूदा आस्तियों में 3.11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त और पट्टाधृति भूमि में इसी राशि की न्यूनोक्ति हुई।</p>	<p>सीएंडएजी की टिप्पणी नोट कर ली गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत अग्रिम को समायोजित करने के बाद जून 2023 को समाप्त तिमाही खातों में भूमि फ्रीहोल्ड के रूप में 3.11 करोड़ रुपये की राशि को पूंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, सहायक आयुक्त (राजस्व), कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, किशतवाड़ ने दिनांक 15.07.2023 के पत्र के माध्यम से पहले ही पुष्टि कर दी है कि क्वार एचई परियोजना के संबंध में अर्जित भूमि फ्रीहोल्ड भूमि की श्रेणी में आती है (प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है)।</p>
<p>क.2 गैर-मौजूदा देयताएं</p> <p>देनदारियां (टिप्पणी सं.16.1) 384.55 करोड़ रुपए</p> <p>अन्य गैर-मौजूदा देनदारियां (टिप्पणी सं. 19)</p>	

667.26 करोड़ रुपए

भारत सरकार ने 1000 मेगावाट पकल डुल एचईपी के निर्माण के लिए एक प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2500 करोड़ रुपए का सावधि ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 2014)। 31 मार्च 2023 तक 1023.49 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया। मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष अर्थात जुलाई 2033 से शुरू किया जाना था (जुलाई 2025 कमीशनिंग की निर्धारित तारीख थी) और इसे 19वें वर्ष तक जारी रहना था।

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाता है। हालाँकि, कंपनी ने अधीनस्थ-ऋण के उचित मूल्य की गणना करते समय ऋण के पुनर्भुगतान की प्रारंभ तिथि को जुलाई 2033 के स्थान पर जुलाई 2034 माना, जिसके परिणामस्वरूप 392.92 करोड़ रुपए के स्थान पर 384.55 करोड़ रुपए का सावधि ऋण खातों में दर्ज किया गया है और सरकारी अनुदान 659.24 करोड़ रुपए के स्थान पर 667.26 करोड़ रुपए (स्थगित आय) दिखाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार से प्राप्त सावधि ऋण (गैर-मौजूदा उधारियाँ) में 8.37 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई, आस्थगित आय (अन्य गैर-मौजूदा देनदारियाँ) में 8.02 करोड़ रुपए की अतियुक्ति हुई और पूंजीगत डब्ल्यूआईपी में 0.35 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई।

सीएंडएजी की टिप्पणी नोट कर ली गई है। अधीनस्थ-ऋण का उचित मूल्यांकन परियोजना के एससीओडी पर निर्भर है जो जलविद्युत परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं, भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर मुद्दों, प्राकृतिक आपदाओं, कानून और व्यवस्था के मुद्दों, अप्रत्याशित घटना जोखिम आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण संशोधन/परिवर्तन के अध्यधीन है तथा अनुमानित पूर्णता की तारीख प्रबंधन अनुमान पर आधारित होती है। पकल डुल एचईपी के एससीओडी को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जुलाई 2025 से सितंबर 2026 तक संशोधित किया गया है। तदनुसार, सीएजी के अवलोकन और एससीओडी में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, उधार, आस्थगित आय (अन्य गैर-मौजूदा देनदारियाँ) और काल्पनिक ब्याज की बुकिंग के लिए अधीनस्थ-ऋण के उचित मूल्यांकन की उपयुक्त समीक्षा की गई है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जून 2023 को समाप्त तिमाही खातों में इसे हिसाब में लिया गया है।

<p>क.3 इक्विटी और देनदारियां</p> <p>मौजूदा देनदारियां प्रावधान - 110.57 करोड़ रुपए (टिप्पणी सं. 22)</p> <p>प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान - 101.66 करोड़ रुपए</p> <p>उपरोक्त में क्वार जलविद्युत परियोजना के निर्माण के संबंध में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बताई गई भूमि की लागत (अगस्त 2018) के रूप में 30.83 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप, पट्टाधृति भूमि (आस्तियां) में 35.83 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (प्रावधान) के लिए प्रावधानों में 30.83 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई और गैर-मौजूदा आस्तियों के अंतर्गत पूंजीगत अग्रिमों में 5.00 करोड़ रुपए की अतियुक्ति हुई।</p>	<p>सीएंडएजी की टिप्पणी नोट कर ली गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जून 2023 को समाप्त तिमाही खातों में 5.00 करोड़ रुपये के पूंजीगत अग्रिम को समायोजित करने के बाद भूमि फ्रीहोल्ड के रूप में पूंजीकरण करते हुए अनुमोदित आरएंडआर योजना के लिए 35.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सहायक आयुक्त (राजस्व), कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, किश्तवाड़ ने दिनांक 15.07.2023 के पत्र के माध्यम से पहले ही पुष्टि कर दी है कि क्वार एचई परियोजना के संबंध में अर्जित भूमि फ्रीहोल्ड भूमि की श्रेणी में आती है (प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है)।</p>
---	---

कलेक्टर भूमि अधिग्रहण किश्तवार का कार्यालय
सहायक राजस्व आयुक्त किश्तवार

महाप्रबंधक,
क्वार एचई परियोजना.

सं.: - एसीआर/एलए/2023-24/249-50

दिनांक: 15/07/2023.

विषय - क्वार एचई परियोजना की भूमि के प्रकृति (फ्रीहोल्ड या लीज़होल्ड) का उप-वर्गीकरण।

संदर्भ: सीवीपीपी/क्वार/एचओपी/2023-24/99 दिनांक:03-07-2023.

महोदय,

ऊपर उद्धृत विषय और संदर्भ के अनुक्रम में, यह सूचित किया जाता है कि क्वार एचई परियोजना के लिए दिनांक:22-03-2018 के अंतिम अवार्ड संख्या: एसीआर/एलए/2596-2601 के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण सीवीपीपीएल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है और उसका कब्ज़ा सीवीपीपीएल को सौंप दिया गया है।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिग्रहीत भूमि फ्री होल्ड श्रेणी में आती है।

हस्ता;/-

वरुणजीत चरक (जेकेएस),

सहायक आयुक्त (राजस्व),

कलेक्टर भूमि अधिग्रहण, किश्तवार.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जिला कलेक्टर, किश्तवाड़ को सूचनार्थ।

फॉर्म एमजीटी - 9

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उद्धरण का सार
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम
12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

- (i) सीआईएन (कंपनी अधिनिगमन संख्या) : यू40105जेके2011पीटीसी003321
- (ii) पंजीकरण की तारीख : 13/06/2011
- (iii) कंपनी का नाम : चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
- (iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ भारत गैर-सरकारी कंपनी
- (v) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, 180012-जम्मू-कश्मीर
- (vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
- (vii) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को बताया जाए

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद और सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा (जल विद्युत) का उत्पादन	35101	100

III. धारक, अनुषंगी और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक / सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू खंड
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2022 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में 31.03.2023 को शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रमोटर									
भारतीय									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	शून्य	4	4	0.00	-	4	4	0.00	शून्य
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रों)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	3336451282	3336451282	100	शून्य	3692391282	3692391282	100	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1) :-	शून्य	3336451286	3336451286	100		3692391286	3692391286	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (1) :-		शून्य							
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	-	3336451286	3336451286	100	शून्य	3692391286	3692391286	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान		शून्य							
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रुं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप - योग (ख)(1) :-		शून्य							
2. गैर - संस्थान		शून्य							
क) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) 1 लाख रुपये तक नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप - योग (ख)(2): -	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) + (ख)(2)	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-		-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	-	3336451286	3336451286	100	शून्य	3692391286	3692391286	100	शून्य

(ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में% परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/ भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/ भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत	
01.	जम्मू और	1496999999	44.87	शून्य	जम्मू और	1744999999	47.26	शून्य	2.39

	कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड				कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
02.	ए के चौधरी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	रजत गुप्ता (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
03.	एनएचपीसी लिमिटेड	1839451283	55.13	शून्य	एनएचपीसी लिमिटेड	1947391283	52.74	शून्य	शून्य
04.	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसीएल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
05.	वाई.के.चौबे (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	वाई.के.चौबे (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
06.	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
	कुल शेयर	3336451286	100	शून्य	शून्य	3692391286	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की प्रारंभ में	3336451286	100	3692391286	100
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	वर्ष 2022-23 के दौरान जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 2480000000 रुपये और एनएचपीसी लिमिटेड को 1079400000 रुपये के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों का आवंटन। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल अतिरिक्त आवंटन : 3559400000 रुपए (355940000 इक्विटी शेयर)।			
	वर्ष के अंत में	3336451286	100	3692391286	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.		वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष की प्रारंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हो गए हों)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की शेयरधारिता

क्रम सं.	निदेशक और केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2022 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2022 से 31.03.2023 तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	निदेशक				
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	1		1	
2.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		-	
3.	श्री आर पी गोयल (एनएचपीसी की ओर से)	1		1	
4.	श्री विश्वजीत बसु (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
5.	श्री हसन नदीम (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	

6.	श्रीमती मधुस्मिता पानी (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
7.	श्री वाई के चौबे (एनएचपीसी की ओर से)	-		1	
8.	श्री रजत गुप्ता (एनएचपीसी की ओर से)	1		1	
ख.	केएमपी श्री सुधीर आनंद (कंपनी सचिव)	-		-	

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्धत ब्याज किंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	-
iii) प्रोद्धभूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
* वर्धन	-	-	-	-
* कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्धभूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक

1. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ प्रबंधक निदेशक का नाम - रजत गुप्ता (01.04.2022-08.06.2022)	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ प्रबंधक निदेशक का नाम - हसन नदीम (09.06.2022-31.03.2023)	कुल राशि
1.	सकल वेतन		-	-
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन*	8,30,901	42,24,871	50,55,772.00
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	335	28,620	28,955.00
	ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-
2.	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	शून्य
3.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
4.	स्वीट इक्विटी	-	-	शून्य
5.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	(नियोक्ता से पीएफ अंशदान) - अन्य, निर्दिष्ट करें...	-	-	-
6.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	1,25,454	7,76,441	9,01,895.00
	कुल (क)	9,56,690	50,29,932	59,86,622.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में उस अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार भुगतान किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी), उपदान और अर्जित अवकाश नकदीकरण शामिल है।

** अन्य में ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में अंशदान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गैर-करयोग्य) आदि शामिल हैं, जिन्हें बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

2. (ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	शून्य
	* बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	शून्य
	* कमीशन	-	-	-	-	शून्य
	* अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
						शून्य
	कुल (1)	-	-	-	-	शून्य
	2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	सुरेश कुमार (अध्यक्ष)	-	-	-	शून्य
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	शून्य
	कमीशन	-	-	-	-	शून्य
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	शून्य
	* अन्य (निर्दिष्ट करें...।	21,94,362	-	-	-	21,94,362.00
	कुल (2)	21,94,362	-	-	-	21,94,362.00
	कुल (ख) = (1+2)	21,94,362	-	-	-	21,94,362.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	-	-	-	-	शून्य

* पारिश्रमिक 01.04.2022 से 31.03.2023 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी सहित)

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कर्मी		
		कंपनी सचिव (सुधीर आनंद)		कुल
1.	सकल वेतन		-	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	23,45,391	-	23,45,391.00
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	5,235	-	5,235.00

	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
3.	स्वीट इक्विटी	-	-	शून्य
4.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	- अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें*	2,34,054	-	2,34,054.00
	कुल	25,84,680	-	25,84,680.00

* अन्य में अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना अंशदान आदि शामिल हैं, जो बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं थे।

VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दण्ड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी:					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
हस्ता./-

दिनांक : 31.08.2023

स्थान : जम्मू

सुरेश कुमार, आईएएस, (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन- 06440021

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.)लिमिटेड

सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(वित्तीय वर्ष 2022-23)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा। कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है।

सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीवीपीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00*
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00**
2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00***	3,11,627.00
2022-23	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,13,210.00#	29,38,132.00#1
	कुल	1,19,95,534.00	1,07,46,632.00

* व्यय न की गई 9,43,325.00 रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2020-21 में अग्नेीत किया गया।

** इसमें 9,43,325.00 रुपये की अग्रेनीत अव्ययित राशि का व्यय और 3,60,220.00 रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

*** बोर्ड द्वारा, 1,20,070.00 रुपये की अतिरिक्त व्यय की गई राशि को वित्त वर्ष 2022-23 की सीएसआर दायित्व राशि में से घटाने का अनुमोदन किया गया | पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) में से 1,20,073.00 रुपये घटाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व राशि 25,29,757.00 रुपये थी |

#वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय किए जाने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई थी। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 22,13,210.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये समायोजन करने के बाद, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 20,93,137.00 रुपये था।

#1 इसमें वित्त वर्ष 2022-23 की सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये तथा वित्त वर्ष 2021-22 की अव्ययित राशि से वित्त वर्ष 2021-22 के सीएसआर क्रियाकलापों (चालू परियोजनाएं) के लिए 8,72,937.00 रुपये का व्यय शामिल है |

सीवीपीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)					
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	कुल
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	6,98,460.00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00	0.00	0.00	12,39,820.00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00	13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00	0.00	1,99,240.00	42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00	0.00	0.00	3,11,627.00
2022-23	0.00	29,38,132.00	0.00	0.0	0.00	29,38,132.00
कुल	36,92,979.00	63,54,377.00	1,24,125.00	1,76,229.00	3,98,922.00	1,07,46,632.00

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

सीवीपीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत एक सीएसआर

क्रियाकलाप (निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन प्रदान करना) अर्थात "परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना" को मंजूरी दी गई थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलाप के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि 22,13,210.00 रुपए (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर) थी। समायोजन के लिए उपलब्ध राशि 1,20,073.00 रुपए थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (22,13,210.00 रुपए - 1,20,073.00 रु) 20,93, 137.00 रुपये था। इसकी तुलना में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये खर्च किये हैं। शेष रुपए 27,942.00 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के चित्र परिशिष्ट-1में दिए गए हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सम्पन्न सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
1.	श्री एच राजेश प्रसाद, आईएस	अध्यक्ष/ नामिति निदेशक	-	
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य/ नामिति निदेशक	-	
3.	श्री हसन नदीम	सदस्य/ प्रबंध निदेशक	-	

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीएसआर नीति और अन्य ब्यौरों को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ : 11,06,60,517.00 रुपए

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

22,13,210.00 रुपये

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य रुपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन (सेट-ऑफ) हेतु अभीष्ट राशि, यदि कोई हो: 1,20,073.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((ख)+(ग)-(घ)): 20,93,1377.00 रुपए

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) : 20,65,195.00 रुपए

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)) : 20,65,195.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
20,65,195.00	-	-	प्रधानमंत्री राहत कोष	27,942/-	30 सितम्बर 2023 तक अंतरित किया जाएगा।

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्योरा:

1	2	3	4	5	6		7	8	
क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रुपए में)	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
1	2021-22	22,42,494	22,42,494	8,72,937	-	-		13,69,557	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थल)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	निकाय/प्राधिकारी/ स्वामी के लाभार्थी का ब्यौरा	पंजीकृत
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और साथ ही अचल संपत्ति और सीमाओं का क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

एनए: लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसकी कारण निर्दिष्ट करें:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर गतिविधि के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि 22,13,210.00 रुपए (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर) थी। समायोजन के लिए उपलब्ध राशि 1,20,073.00 रुपए थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (22,13,210.00 रुपये - 1,20,073.00 रुपये) 20,93,137.00 रुपये था। इसकी तुलना में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 20,65,195.00 रुपये की राशि व्यय है। इस संबंध में मात्र 27,942.00 रुपये की कमी रही थी और इसका कारण अनुमानित राशि से कम दर पर एल1 बोलीदाता (जीईएम पोर्टल) द्वारा दवा/स्वास्थ्य अनुपूरक उपलब्ध कराया जाना था।

हस्ता/-

एच. राजेश प्रसाद, आईएसएस
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-

हसन नदीम
प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए गए सीएसआर गतिविधि के चित्र



श्री शाम लाल (जेकेएस), सहायक जिला विकास आयुक्त, किश्तवाड़ द्वारा 16 जनवरी 2023 को श्री राजन जयरथ, परियोजना प्रमुख, क्वार एचईपी और डॉ. चंदर परकेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ की उपस्थिति में जनरल मेडिसिन और विशेषीकृत स्त्री रोग चिकित्सा शिविर का उद्घाटन।

JAMMU LINKS NEWS

KISHTWAR

Kwar Hydro Electric Power Project, CVPPPL organise Free Medical Camps under CSR at village Padyarna

Jammu Links News 1/16/2023

KISHTWAR: Kwar Hydro Electric Power Project, CVPPPL in collaboration with District administration & Health Department organized two free health checkup camps (A General Checkup Camp and a specialized Gynecology medical camp) under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav and Corporate Social Responsibility (FY- 2022-23) at Dam Area, village Padyarna block Nagseni District Kishtwar Jammu and Kashmir (J&K).

The General Checkup Camp was inaugurated by Additional District Development Commissioner (ADDC), Sham Lal by cutting the ribbon whereas specialized Gynecology medical camp was inaugurated by Rajan Jairath, Head of the Project, Kwar HEP in presence of Dr. Chander Prakash, Chief Medical Officer and invitee Doctors.

Free medicines were distributed among the patients in this Medical Camp.

The Gynecology and menstrual hygiene awareness campaign was also conducted as a part of this camp.

A medical team from District Hospital Kishtwar was also present on the occasion.

More than 350 persons from the Project affected villages and nearby areas availed the free medical consultation and medicines along with menstrual hygiene material.

The ADDC Kishtwar along with the CMO interacted with the visitors and patients and enquired about the free Medicare facilities and services being provided in the camp.

People showed great satisfaction in the free medical screening, gynecological consultations given by doctors and free medicines provided to them in the said camps besides extended gratitude to Kwar HEP CVPPPL and District Administration and Health authorities for this positive gesture.

Language: 74483

Department of Information & Public Relations
Government of Jammu & Kashmir

Today's Release Departments Districts Features Gallery Events Archives Notifications

Kwar HE Project, CVPPPL organise follow up Medical Camp at village Padyama

19 Feb 19, 2023 in Kothwar



Kwar HE Project, CVPPPL organise follow up Medical Camp at village Padyama

KISHTWAR, FEBRUARY 19: Kwar HE Project, CVPPPL, in association with District Administration Kothwar and District Health department organised a follow up medical camp at the village Padyama, of Block Nuppen under CSR 2022-23.

Follow up Medical Camp was inaugurated by S K Go, General Manager (CH), Kwar HEF.

Previously, two free health checkup camps (A General Checkup Camp and a specialized Gerontology medical camp) were also conducted by Kwar HE Project under CSR at the village Padyama on 08th Jan 2023.

A medical team from District Hospital Kothwar checked up about 250 persons from the Project affected village and nearby areas. They were provided free medical consultation and medicines alongwith menstrual hygiene material.

JK Information
Rangan Thakur visits departmental exhibition at JK Pavilion, Pragati Bhawan NEW DELHI, NOVEMBER 18. Principal Secretary, Industries & Commerce Department, Rangan Prakash Thakur today visited Jammu & Kashmir Pavilion at Pragati Bhawan, New Delhi and inspected the exhibition organized there by the department. He visited the stalls established by the artisans and craftsmen during the exhibition at the Pavilion being organized by the Department and also interacted with the staff. See more



श्री राजेंद्र प्रसाद, समूह महाप्रबंधक एवं प्रभारी, परियोजना प्रमुख, श्री शाम लाल (जेकेएस) एडीडीसी, किश्तवाड़, और डॉ. याकूब मीर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किश्तवाड़ द्वारा दिनांक 14.03.2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरू में सामान्य चिकित्सा शिविर और स्त्री रोग एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन।





अनुबंध - 2

विषय : कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र।

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि सीवीपीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 29,38,132.00 रुपये (उनतीस लाख अड़तीस हजार एक सौ बत्तीस रुपये केवल) की राशि का उपयोग सीवीपीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	चालू परियोजना			चालू परियोजना के अतिरिक्त		वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त कुल राशि (रुपए)
	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	
पकल डुल एचईपी	15,17,714	2,48,985	12,68,729	10,00,000	8,57,363	11,06,348
कीरू एचईपी	7,24,780	6,23,952	1,00,828	8,00,000	7,27,142	13,51,094
क्वार एचईपी	-	-	-	4,95,994	4,80,690	4,80,690
कुल	22,42,494	8,72,937	13,69,557	22,95,994	20,65,195	29,38,132

दिनांक : 24 अगस्त, 2023

हस्ता./-

वित्त प्रमुख

कारपोरेट कार्यालय, सीवीपीपीपीएल

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

• **उद्योग संरचना और विकास**

विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते, भारत को ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ-साथ भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त, संधारणीय, आर्थिक, विश्वसनीय और विद्युत प्रणाली के अनुकूल ऊर्जा स्रोत विकसित करने की आवश्यकता है। क्षमतायुक्त जलविद्युत न केवल नवीकरणीय विद्युत के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सबसे लचीले संसाधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भारत आर्थिक रूप से दोहनयोग्य और व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता से संपन्न है और स्वतंत्रता के बाद से विद्युत क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता इस प्रकार है:

31.03.2023 के अनुसार विद्युत स्टेशनों में अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)					सकल जोड़
संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	थर्मल	नवीकरणीय		परमाणु	
		हाइड्रो	आरईएस		
	237268.91	46850.17	125159.81	6780.00	416058.89
(% में)	57.0%	11.3%	30.1%	1.6%	

स्रोत : राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल

भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है और आज यह विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले राष्ट्र के रूप में रूपांतरित हो गया है। ठोस उपाय संचालित किए जाने की एक श्रृंखला के कारण उत्पादन क्षमता में 49.8% की वृद्धि हुई जो मार्च, 2015 में 275 गीगावाट से बढ़कर मार्च, 2023 में ~416 गीगावाट हो गई। इस क्षमता में प्रमुख वृद्धि पवन और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की है जो कुल अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता का लगभग 30.1% थी।

विद्युत उत्पादन के लिए सौर और पवन की सविराम उपलब्धता के कारण विद्युत ग्रिड को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जलविद्युत को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्थानीय क्षेत्र के विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, जलविद्युत

ऊर्जा लंबी अवधि में जल और ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करने के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पर्यटन आदि जैसी भंडारण परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त पनविद्युत क्षमता मौजूद है, जिसमें से 13,802 मेगावाट की पहचान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले ही की जा चुकी है। संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत उत्पादन क्षमता अगले 3 वर्षों में 3500 मेगावाट की मौजूदा क्षमता से दोगुनी होने की आशा है, जिससे जम्मू-कश्मीर विद्युत भंडार अधिशेष हो जाएगा।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में क्षमता वृद्धि में योगदान देने के लिए, आपकी कंपनी संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में पकल डुल, किरू, क्वार और किरथई-II जलविद्युत परियोजना (3094 मेगावाट) निष्पादित कर रही है। सीवीपीपीएल परियोजनाएं चिनाब नदी पर रन-ऑफ-रिवर स्कीम की हैं तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 के अंतर्गत आती हैं। सीवीपीपीएल परियोजनाओं की कुल मिलाकर संस्थापित क्षमता 3094 मेगावाट है और ये 90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में 10,000 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत का उत्पादन करेगी।

II. सुदृढ़ता

- हमारा मानना है कि निम्न तथ्य कंपनी की प्रमुख प्रतिस्पर्धी सुदृढ़ता को अभिव्यक्त करते हैं:
- एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसीएल और पीपीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच दिनांक 21.11.2022 को हस्ताक्षरित पूरक प्रवर्तक करार के खंड 8.2 (लाभों का बंटवारा) को नीचे उद्धृत किया गया है:
- “जम्मू-कश्मीर सरकार को परियोजनाओं से उत्पन्न कुल विद्युत का 12% निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% निःशुल्क विद्युत भी प्रदान की जाएगी। निधि को हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। इसके अलावा, शेष 87% विद्युत में से, जम्मू-कश्मीर सरकार को कंपनी की इक्विटी में जेकेएसपीडीसी की हिस्सेदारी के अनुपात में कंपनी से विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर विद्युत खरीदने का अधिकार होगा। । इसके बाद, शेष विद्युत एनएचपीसी और पीटीसी द्वारा खरीदार को बाजार मूल्य पर बेची जाएगी और इससे इनकार करने का पहला अधिकार जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास विभाग को दिया जाएगा।”

- विद्युत क्रय करारों की स्थिति
- पकल डुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट):

जेकेपीसीएल ने अपने पत्र दिनांक 06.03.2023 और 08.03.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि पकल डुल से @350 मेगावाट और क्वार एचईपी से @100 मेगावाट विद्युत की मात्रा (12% निःशुल्क विद्युत और एलएडीएफ के लिए 1% को छोड़कर) वित्त विभाग और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर की राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) द्वारा अनुमोदित की गई है।

तदनुसार, सीवीपीपीपीएल ने पकल डुल और क्वार एचई परियोजनाओं से शेष विद्युत खरीदने के लिए एनएचपीसी के माध्यम से अन्य राज्यों/डिस्कॉम जैसे सीएसपीडीसीएल-छत्तीसगढ़, एचपीपीसी-हरियाणा, एमएसईडीसीएल-महाराष्ट्र, जीयूवीएनएल-गुजरात से संपर्क किया है और उन्होंने पकल डुल और क्वार एचई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

- सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के निबंधनों के अनुसार, सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) द्वारा सेकेंडमेंट/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी को प्रदान की जाएगी या उधार दी जाएगी। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल को उद्योग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इन अधिकारियों का कौशल, उद्योग ज्ञान और परिचालन अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

III. अवसर

जल-तापविद्युत मिश्रण असंतुलन, निरंतर बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत की बढ़ती कमी और आवृत्ति भिन्नता ने भारत सरकार का ध्यान जलविद्युत के विकास की ओर आकर्षित किया है। भारत में जलविद्युत की पर्याप्त क्षमता मौजूद है जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है। इससे सीवीपीपीपीएल को आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में संवृद्धि करने का अवसर मिलेगा।

IV. चुनौतियां, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं

प्रबंधन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित चुनौतियों, कमजोरियों, जोखिमों और चिंताओं की परिकल्पना करता है:

- **भूमि अधिग्रहण**

जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी, दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में स्थित होती हैं, जिसके लिए जलमग्न किए जाने और परियोजना के घटकों सहित अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल है।

- **भूगर्भीय आकस्मिकताएं**

जलविद्युत परियोजनाओं में आमतौर पर हेडरेस टनल और सर्ज शाफ्ट तैयार करने संबंधी पर्याप्त भूमिगत कार्य शामिल होते हैं। भूमिगत कार्य से जुड़ी भूगर्भीय आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि हो सकती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

चूँकि जलविद्युत परियोजनाएँ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में प्रस्तावित की जाती हैं और सामान्यतः संबंधित भूवैज्ञानिक प्रतिकूलताओं जैसे पहाड़स्खलन, सड़क अवरोध, अचानक बाढ़ और बादल फटना आदि के अधीन होती हैं, जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं के निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- **अप्रत्याशित जटिलताएं**

किसी परियोजना का विकास अप्रत्याशित जटिलताओं और निष्पादन में विलंब के अध्यधीन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नियत अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिस्थितियों के कारण जलविज्ञान में भिन्नता के कारण उत्पादन क्षमता में काफी भिन्नता हो सकती है, जिससे कंपनी की राजस्व आय में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है।

- **दीर्घ निर्माण अवधि**

जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं पूंजी गहन होती हैं और फलस्वरूप इनकी निर्माण अवधि भी लंबी होती है।

- **लागत में वृद्धि**

जलविद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है और ये विभिन्न भूवैज्ञानिक आकस्मिकताओं और प्रतिकूलताओं के अध्यधीन भी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि होती है। लागत में वृद्धि होने से टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है।

V. खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

चिनाब नदी बेसिन में पकल डुल, किरू, क्वार और किरथाई-II जलविद्युत परियोजनाओं (3094 मेगावाट) का विकास तथा विद्युत के उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए कंपनी को सौंपी गई कोई अन्य परियोजना ही कंपनी का एकमात्र व्यवसाय है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक ही भौगोलिक खंड है क्योंकि यह केवल संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में ही काम कर रही है।

VI. दृष्टिकोण

- विद्युत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है और खुशहाली के लिए अनिवार्य है। भारत में ऊर्जा की मांग और ऊर्जा अवसंरचना में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं। देश के निरंतर औद्योगीकरण और शहरीकरण से इसके ऊर्जा क्षेत्र पर मांग में भारी वृद्धि होगी। आपकी कंपनी संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ स्थान होने के कारण संभार-तंत्र संबंधी चुनौतियां होने और इस तथ्य के बावजूद कि राज्य का इलाका दुर्गम है, आपकी कंपनी इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- देश की अत्यधिक अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जलविद्युत विकास के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। चूंकि पूरी दुनिया अब 'निवल शून्य' उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए जलविद्युत उद्योग के लिए उत्सर्जन में कमी करने की अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त संभावना मौजूद है। इसके अलावा, जलविद्युत संयंत्र आंतरायिक आरई स्रोतों (सौर और पवन) से ग्रिड में विद्युत के बड़े पैमाने पर अंतःक्षेपण के कारण ग्रिड स्थिरता की परिवर्तनशीलता और परिणामी आवश्यकताओं का भी ध्यान रख सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार की पहल देश में जलविद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भावी राह को सुदृढ़ता प्रदान करेगी।

VII. प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

कंपनी के बारे में:

भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की पहल पर, विशाल जलविद्युत का दोहन करने के लिए 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ एनएचपीसी (49%), जेकेएसपीडीसी (49%) और पीटीसी (2%) के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है जिसे प्रारंभ में तीन पनविद्युत परियोजनाओं अर्थात् 1000 मेगावाट पकल डुल, 624 मेगावाट किरू और 540 मेगावाट क्वार के कार्यान्वयन के माध्यम से चिनाब नदी बेसिन की क्षमता के माध्यम से

क्रियान्वित किया जाएगा। इसके बाद, पीडीडी, राजस्थान सरकार ने दिनांक 13.09.2012 के पत्र के माध्यम से सीवीपीपीपीएल को डुलहस्ती चरण-II (550 मेगावाट) का निष्पादन सौंपा है। तदनुसार, समझौता ज्ञापन (एमओयू) और प्रवर्तक करार पर क्रमशः 10.10.2008 और 21.12.2010 को हस्ताक्षर किए गए।

कंपनी को “चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड” के नाम और शैली के साथ 13.06.2011 को निगमित किया गया।

इसके अलावा, एमओयू के खंड संख्या (I) के अनुसार 930 मेगावाट की किरथई-II एचई परियोजना को इसके कार्यान्वयन के लिए सीवीपीपीपीएल को आवंटित किया गया था और 550 मेगावाट की डुलहस्ती जलविद्युत परियोजना को एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच 03.01.2021 को जम्मू में हस्ताक्षरित एमओयू के खंड संख्या (II) के अनुसार एनएचपीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। सीवीपीपीएल बोर्ड ने 27.08.2021 को आयोजित अपनी 61वीं बैठक में भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की मंजूरी प्राप्त करते हुए सीवीपीपीएल के शेयरधारिता पैटर्न में 49% (एनएचपीसी): 49% (जेकेएसपीडीसी) : 2% (पीटीसी) से 51% (एनएचपीसी): 49% (जेकेएसपीडीसी) में बदलाव पर विचार किया और सीवीपीपीपीएल एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनी बन गई है। तदनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच 21.11.2022 को एक पूरक प्रवर्तक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कंपनी को अब निम्नलिखित चार परियोजनाओं के विकास का कार्य सौंपा गया है:

पकल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)

किरु जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

किरथई-II जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)

दंगधुरन गांव में स्थित कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल बांध (167 मीटर ऊंचा और शीर्ष पर 305 मीटर लंबा); 309.88 क्यूमेक डिजाइन डिस्चार्ज के साथ 7.2 मीटर व्यास और 9623.7 मीटर और 9637.2 मीटर लंबाई वाली 02 हेड रेस सुरंगें; 02 सतह पर खुले सर्ज शाफ्ट, 13 मीटर व्यास और 200 मीटर ऊंचे; 6 मीटर व्यास के 02 प्रेशर शाफ्ट (ऊर्ध्वाधर); 3.9 मीटर व्यास के 04 प्रेशर शाफ्ट (क्षैतिज); पावर हाउस - भूमिगत, 166 मीटर (लं.) x 20.20 मीटर (चौ.) x 50.5

मीटर (क्षै.) वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन की 4 इकाइयों के साथ; ट्रांसफार्मर हॉल 123.6 मीटर (लं.) x 16 मीटर (चौ.) x 13.1 मीटर (क्षै.) और 04 टेल रेस टनल 5.5 मीटर व्यास, प्रत्येक 125 मीटर की लंबाई वाले।

नेट हेड - 397.30 मी। परियोजना को पूरा करने का समय शुरू होने की तारीख से 66 महीने हैं और सीसीईए द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत 8112.12 करोड़ रुपये (मार्च 2013 पीएल) है।

किरु जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

पथेरनक्की गांव में स्थित कंक्रीट ग्रेविटी बांध (सबसे गहरे नींव स्तर से 135 मीटर ऊंचा और शीर्ष पर 193 मीटर लंबा); गेटेड व्यवस्था के साथ 04 इंटेक वॉटर कंडक्टर सिस्टम; 5.5 मीटर व्यास वाले 04 भूमिगत गोलाकार स्टील लाइंड पेनस्टॉक्स/प्रेसर शाफ्ट जिनकी लंबाई 316 मीटर से 322 मीटर तक अलग-अलग है, जिनमें 586 क्यूमेक का डिज़ाइन डिस्चार्ज है; पावर हाउस - भूमिगत 182 मीटर (लं.) x 23.6 मीटर (चौ.) x 51.2 मीटर (क्षै.) जिसमें वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन की 4 इकाइयां और 7.0 मीटर व्यास की 4 टेल रेस सुरंगें हैं, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 165 मीटर से 190 मीटर तक अलग-अलग है: नेट हेड - 118 मी। परियोजना को पूरा करने का समय सरकार की मंजूरी के बाद 54 महीने हैं और सीसीईए द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत जुलाई 2018 पीएल पर 4287.59 करोड़ रुपये है।

क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

पद्यर्ना गांव में स्थित कंक्रीट ग्रेविटी बांध (नींव के सबसे गहरे स्तर से 109 मीटर ऊंचा और शीर्ष पर 195 मीटर लंबा); गेटेड व्यवस्था के साथ 04 इंटेक वॉटर कंडक्टर सिस्टम; 5.65 मीटर व्यास वाले 04 भूमिगत गोलाकार स्टील लाइन्ड पेनस्टॉक/प्रेसर शाफ्ट, जिनकी ऊर्ध्वाधर लंबाई 54 मीटर से 93 मीटर तक अलग-अलग है और कुल लंबाई (ऊर्ध्वाधर को छोड़कर) 108 मीटर से 182 मीटर तक अलग-अलग है, और जिसमें 580 क्यूमेक का डिज़ाइन डिस्चार्ज है; पावर हाउस-भूमिगत 140 मीटर (लं.) x 23.3 मीटर (चौ.) x 50 मीटर (क्षै.) जिसमें वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन की 4 इकाइयां हैं; 9.5 मीटर व्यास की 2 टेल रेस टनल, टेल रेस टनल-1 की लंबाई 2786 मीटर और टेल रेस टनल-2 की लंबाई 2963 मीटर है। नेट हेड - 103 मी है।

सरकार की मंजूरी के बाद परियोजना को पूरा करने का समय 54 महीने हैं और सीसीईए द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत 4526.12 करोड़ (सितंबर 2020 पीएल) है।

किरथई-II जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

930 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली किरथई-II हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र किश्तवाड़ जिले में किरथई, पैडर गांव के पास स्थित है। यह एक नदी चालित स्कीम है और इसमें 840 मेगावाट का मुख्य पावर हाउस और 90 मेगावाट का डैम टो पावर हाउस है। 10.5 मीटर व्यास/4.29 किमी लंबी हेडरेस सुरंग के माध्यम से जल मोड़ के लिए चिनाब नदी पर किरथई में 121 मीटर उंचाई के एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। पावर हाउस भूमिगत है जिसमें 232.08 मीटर के सकल हेड का उपयोग किया जाएगा। विद्युत उत्पादन के बाद, टेल रेस टनल के माध्यम से पानी नदी में छोड़ा जाएगा। विपथन सुरंग 10.5 मीटर व्यास/600 मीटर लंबी होगी। इसमें 4 डीसिल्टिंग चैंबर (440मीx19मीx24.87मी) होंगे। सर्ज शाफ्ट 99.87 मीटर उंचा होगा जिसका व्यास 31.6 मीटर होगा। डैम टो पावर हाउस को 5.8 मीटर व्यास वाले पेनस्टॉक के माध्यम से 10 मेगावाट की दो इकाइयों और 35 मेगावाट की 2 इकाइयों से आपूर्ति की जाएगी। डैम टो पावर हाउस के लिए 103.58 मीटर के सकल हेड का उपयोग किया जाएगा।

सरकारी मंजूरी के बाद परियोजना को पूरा करने का समय 60 महीने है और सीईए द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत 5989.75 करोड़ (अगस्त 2015 पीएल) है।

क. वित्तपोषण का स्रोत

क. सीवीपीपीपीएल परियोजनाओं के वित्तपोषण का परियोजनावार स्रोत:

परियोजना का नाम	परियोजना लागत	स्रोत-वार वित्त-पोषण (करोड़ रुपए में)			
		प्रमोटरों की ओर से @30% इक्विटी		ऋण (लोन)	
		एनएचपीसी @51%	जेकेएसपीडीसी @49%	भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	वाणिज्यिक ऋण
पकल दुल	8112.12 (मार्च-13 पीएल)	1241.15	1192.48	2500	3178.48
कीरू	4287.59 (जुलाई-18 पीएल)	656.00	630.28	-	3001.31
क्वार	4526.12 (सितम्बर-20 पीएल)	681.82	655.08	-	3119.42
किरथई-II एचईपी	5989.75* (अगस्त-15 पीएल)	916.43	880.49	-	4192.93

कुल		3495.40	3358.33	-	
-----	--	---------	---------	---	--

* किरथई-॥ एचईपी सर्वेक्षण और जांच चरण में है और परियोजना लागत अनुमानित लागत है।

ख. मार्च 2023 तक इक्विटी और अधीनस्थ ऋण की स्थिति:

करोड़ रुपए में

परियोजना का नाम	31.03.2023 तक प्राप्त इक्विटी		कुल	प्रतिशत अंश (% में)		विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण
	एनएचपीसी	जेकेएसपीडीसी		एनएचपीसी	जेकेएसपीडीसी	
पकल दुल	1241.15	1192.00	2433.15	51.01	48.99	1023.49
कीरू	656.00	500.50	1156.50	56.72	43.28	-
क्वार	262.94	52.50	315.44	83.36	16.64	-
कीरथई-॥ एचईपी	11.99	0.00	11.99	100.00	0.00	-
कुल	2172.08	1745.00	3917.08	55.45	44.55	1023.49

• आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनका पर्याप्तता

सीवीपीपीपीएल ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित, नैतिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक संरचना, नियमावली और नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध "ख" में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की भी रिपोर्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी परियोजनाओं सहित कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य मेसर्स जीएएसएम डीएएनएसआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फरीदाबाद को आउटसोर्स किया गया था।

• वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

लाभ और हानि मर्दाने

क. आय

कंपनी की तीन परियोजनाएं अर्थात् पकल दुल (1000 मेगावाट), कीरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) एचईपी सक्रिय निर्माण चरण में हैं और एक परियोजना अर्थात्, किरथई-

॥ (930 मेगावाट) मंजूरी चरण में है। वर्तमान में परिचालन (ऊर्जा की बिक्री) से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की आय 53.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 31.39 करोड़) में अन्य आय शामिल है जिसमें मुख्य रूप से कंपनी की निवेश नीति के अनुसार बैंकों के साथ एफडीआर में अधिशेष निधि के निवेश पर ब्याज शामिल है।

ख. व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निर्माण के कारण गैर-आवंटनयोग्य व्यय सहित लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में 18.92 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.33 रुपये रुपए था जिसमें 18.97% की कमी हुई है जिसका मुख्य कारण कर्मचारी लाभ व्यय में 2.25 करोड़ रुपये, मूल्यहास और परिशोधन व्यय में 0.45 करोड़ रुपये और अन्य व्यय में 0.87 करोड़ रुपये की कमी है।

ग. कर पूर्व लाभ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विनियामक स्थगन खाता शेष में कर और संचलन से पूर्व लाभ 38.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 12.56 करोड़ रुपये) था।

घ. कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाभ पर कर व्यय 13.45 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.90 करोड़ रुपए) था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर व्यय में वृद्धि अन्य आय (एफडीआर में अधिशेष निधि के निवेश पर ब्याज) में वृद्धि के कारण हुई है तथा यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.39 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 53.47 करोड़ रुपए हो गई है।

ड. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगन लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण पर लगाई गई सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण/निपटान पर उत्पन्न विनिमय अंतर और बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य या देय राशि को "विनियामक स्थगन खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है तथा उस वर्ष से समायोजित किया जाएगा जिसमें परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से राशि वसूलीयोग्य या देय हो जाएगी। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक परिसंपत्तियां सृजित की हैं और वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछले वर्ष 0.10 करोड़ रुपये) के दौरान 0.46 करोड़ रुपये की संबंधित विनियामक आय को मान्यता दी है, जो भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है।

नकदी प्रवाह

क. परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी रुपए (-) 26.34 करोड़ तथा करपूर्व लाभ और विनियमित आय लेकिन असाधारण मदों के उपरांत 38.14 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी रुपए (-) 17.28 करोड़ तथा करपूर्व लाभ और विनियमित आय लेकिन असाधारण मदों के उपरांत 12.47 करोड़ रुपए थी।

ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश क्रियाकलापों में उपयोग की गई निवल नकदी 791.89 करोड़ रुपये थी। यह मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त संपत्तियों पर व्यय और 1353.64 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं पर व्यय को प्रतिबिंबित करती है जिसे 420.47 करोड़ रुपये की सावधि जमा में शुद्ध निवेश और 141.28 करोड़ रुपये के जमा/पूँजीगत अग्रिम पर ब्याज आय से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश क्रियाकलापों में उपयोग की गई निवल नकदी 1096.12 करोड़ रुपये थी। यह मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त संपत्तियों पर व्यय और 862.64 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं पर व्यय को प्रतिबिंबित करती है जिसे 275.88 करोड़ रुपये की सावधि जमा में शुद्ध निवेश और 42.40 करोड़ रुपये के जमा/पूँजीगत अग्रिम पर ब्याज आय से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है।

ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी रुपए 904.57 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रवर्तकों से प्राप्त 480.63 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर योगदान, अधीनस्थ विभाग को भारत सरकार से प्राप्त हुए 424.92 करोड़ रुपए और लीज देनदारी के पुनर्भुगतान उस पर ब्याज की 0.98 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी रुपए 1310.17 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रवर्तकों से प्राप्त 712.79 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर योगदान, अधीनस्थ विभाग को भारत सरकार से प्राप्त हुए 598.57 करोड़ रुपए और लीज देनदारी के पुनर्भुगतान उस पर ब्याज की 1.19 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

तुलन-पत्र मद

आस्तियां

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपेअई), प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), उपयोग अधिकार आस्तियां (आरओयू), निवेश संपत्ति, अमूर्त आस्तियां, विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां.

पीपीई जिसमें भूमि, भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर आदि शामिल थे, में मूल्यहास के बाद 31 मार्च, 2023 को 107.33 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 2022 तक 92.90 करोड़ रुपए थे। प्रगति पर पूंजीगत कार्य, जिसमें हाइड्रोलिक कार्य, पावरहाउस बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी और हमारी विद्युत परियोजनाओं में एसएंडआई कार्य शामिल हैं, में 31मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः 2976.74 करोड़ रुपए और 1893.86 करोड़ रुपए थे।

उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वन भूमि सहित उपयोग संपत्ति का अधिकार (आरओयू) और अन्य पट्टे पर दी गई संपत्ति. 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 798.10 करोड़ रुपए और 807.31 करोड़ रुपए थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त संपत्ति 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 0.15 करोड़ रु और 0.15 करोड़ रुपए थी।

विकासाधीन अमूर्त आस्तियां जिनमें विकासाधीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है, 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 1.06 करोड़ रुपए और 1.06 करोड़ रुपए थीं।

ख. ऋण (मौजूदा और गैर-मौजूदा)

ऋण में हमारे कर्मचारियों को दिया गया ऋण शामिल है, जो 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 0.47 करोड़ रुपए और 0.37 करोड़ रुपए है।

ग. अन्य वित्तीय आस्तियां (मौजूदा और गैर-मौजूदा)

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ 31 मार्च, 2022 में 83.65 करोड़ रुपए की तुलना में 129.26 करोड़ रुपए थीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में हुई 54.52% की वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के कारण राज्य सरकार विभाग से वसूली योग्य दावे में हुई वृद्धि के कारण है।

घ. कर आस्तियां (मौजूदा और गैर-मौजूदा)

31 मार्च 2023 और 2022 की स्थिति के अनुसार कर आस्तियां क्रमशः 0.06 करोड़ और 0.83 करोड़ रुपए थीं, अर्थात इनमें पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 92.77% की कमी हुई है। कर आस्तियों में चालू से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के प्रावधान के अलावा अग्रिम आयकर और स्रोत पर कर कटौती शामिल है।

ड. अन्य गैर-मौजूदा आस्तियां

अन्य गैर-मौजूदा आस्तियों में मुख्य रूप से अग्रिम (पूंजी और पूंजी के अलावा), पूंजीगत अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है। 31 मार्च, 2023 और 2022 की हमारी अन्य गैर-मौजूदा आस्तियाँ क्रमशः 630.04 करोड़ रुपए और 453.89 करोड़ रुपए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में 38.81% की वृद्धि मुख्य रूप से संविदाकार को पूंजीगत अग्रिम में हुई वृद्धि के कारण है।

च. नकदी और बैंक शेष

तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार नकद और बैंक शेष में हमारे चालू खाते में नकद अधिशेष और अल्पकालिक जमा शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 और 2022 की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समतुल्य क्रमशः 480.65 करोड़ रुपए और 394.33 करोड़ रुपए थे। मार्च 2023 और मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष क्रमशः 235.65 करोड़ रुपए और 656.12 करोड़ रुपए थे।

छ. अन्य मौजूदा आस्तियां

अन्य चालू आस्तियों में मुख्य रूप से संविदाकार और आपूर्तिकर्ता को दिया गया अग्रिम, संविदाकार को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज और पूर्वसंदत्त व्यय शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 और 2022 की स्थिति के अनुसार हमारी अन्य मौजूदा आस्तियाँ क्रमशः 24.44 करोड़ रुपए और 1.83 करोड़ रुपए थीं, जिनमें 22.61 करोड़ रुपए रुपए की बढ़ोतरी मुख्य रूप से संविदाकार को अग्रिम भुगतान और उस पर अर्जित ब्याज में वृद्धि के कारण हुई है।

ज. विनियामक आस्तिगत लेखा डेबिट शेष

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा "दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन" पर जारी किए गए मार्गदर्शन टिप्पण के साथ-साथ विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर इंड-एएस 114-विनियामक आस्थगन लेखा शेष के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च

2023 और 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 0.56 करोड़ रुपए और 0.11 करोड़ रुपए था।

झ. निवल मूल्य पर रिटर्न

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3490.46 करोड़ रुपए से बढ़कर 3996.23 करोड़ रुपए हो गया जिसमें 14.49% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि, आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि और प्रतिधारित कमाई में वृद्धि है।

ञ. दीर्घकालिक उधारियां

दीर्घकालिक उधारियों में मुख्य रूप से पाकल दुल एचई परियोजना के लिए भारत सरकार से 31 मार्च 2022 तक प्राप्त हुए 208.13 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2023 तक प्राप्त हुए 384.55 करोड़ रुपए की राशि का अधीनस्थ ऋण शामिल है।

ट. अन्य वित्तीय देनदारियां (मौजूदा और गैर-मौजूदा)

अन्य वित्तीय देनदारियों में लीज देनदारी के लिए देय राशि, पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के लिए देनदारी, ईएमडी/प्रतिधारण धन आदि शामिल हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य वित्तीय देनदारियां 31 मार्च 2022 तक 134.83 करोड़ रुपए की तुलना में 194.57 करोड़ रुपए थीं।

ठ. प्रावधान (मौजूदा और गैर-मौजूदा)

प्रावधान में कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन) और प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कुल प्रावधान 31 मार्च 2022 तक 139.49 करोड़ रुपए की तुलना में 122.49 करोड़ रुपए था।

ड. अन्य गैर-मौजूदा देनदारियां

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां 31 मार्च 2022 को 395.65 करोड़ रुपए की तुलना में 667.26 करोड़ रुपए थीं, जिसमें भारत सरकार से सहायता अनुदान (अधीनस्थ-ऋण) शामिल है।

ढ. व्यापार देय राशियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार व्यापार देय राशियां 31 मार्च 2022 को 8.32 करोड़ रुपए की तुलना में 3.24 करोड़ रुपए थीं।

ण. अन्य मौजूदा देनदारियां

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार अन्य मौजूदा देनदारियां 31 मार्च 2022 को 9.53 करोड़ रुपए की तुलना में 16.17 करोड़ रुपए थीं।

तुलन-पत्र में न आने वाली मदें

क. आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार हमारी आकस्मिक देनदारियों के घटकों को दर्शाती है।

विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2022-23	2021-22
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
पूँजीगत कार्य	231.80	143.27
भूमि मुआवजा मामले		
विवादित कर मामले और अन्य मदें		
अन्य	0.03	0.05
कुल	231.83	143.32

मार्च 31, 2022 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक देनदारियां 143.32 करोड़ रुपए से 61.75% बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 231.83 करोड़ रुपए हो गईं।

ख. निवल मूल्य पर रिटर्न (शेयरधारक की इक्विटी की पीएटी औसत)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य पर रिटर्न पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के 0.15 गुना से बढ़कर 0.67 गुना हो गया, जिसमें 350.34% की वृद्धि दर्ज की गई,

जिसका मुख्य कारण अन्य आय में वृद्धि (बैंक में एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) के कारण कर के बाद मुनाफे में हुई वृद्धि है। ।

सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल:

सीवीपीपीपीएल के पूरक प्रवर्तक करार दिनांक 21.11.2022 के अनुसार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) क्रियाकलापों के लिए कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी में प्रतिनियुक्त किया जाएगा और कंपनी को शेष कर्मचारी निम्नलिखित रीति से प्रदान किए जाएंगे:

जेवीसी में समूह क और ख कर्मचारियों को एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी/संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के विभागों से समान रूप से या डीपीई मानदंडों के अनुसार जेवीसी द्वारा भर्ती के माध्यम से, जैसा लागू हो, सेकेंडमेंट/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनात किया जाएगा।

जेवीसी में समूह ग और घ कर्मचारियों का अस्सी प्रतिशत (80%) उनकी उपयुक्तता, उपलब्धता और पात्रता के अध्यक्षीन संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के निवासी होंगे।

एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल को उद्योग में व्यापक अनुभव है। भर्ती किए गए सीवीपीपीएल केंद्र के कर्मचारी करियर में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जनशक्ति का कौशल, उद्योग ज्ञान, क्षमता और परिचालन अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन किसी भी संगठन के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारा मानना है कि "लोग मूल्य सृजित करते हैं" और इस प्रकार, सीवीपीपीपीएल के मानव संसाधन विभाग का लक्ष्य तकनीकी क्षेत्रों, स्वास्थ्य मुद्दों, व्यवहार मॉडल आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके ऐसे परिवेश का निर्माण करना है।

उपरोक्त आदर्श वाक्य को कार्यान्वित करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान सीवीपीपीपीएल के कर्मचारियों को 15 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/वेबिनारों/ऑनलाइन सत्रों आदि के लिए नामांकित किया गया। दैनिक कार्यों में राजभाषा (हिंदी) के उपयोग को बढ़ावा देने और सीवीपीपीपीएल में राजभाषा (हिंदी) नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए मई, 2022 के दौरान पहली हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा, निविदाओं और खरीद से संबंधित कार्यों में लगे हमारे कर्मचारियों की सुविधा के लिए, एनआईसी के माध्यम से

"सीपीपी पोर्टल पर जलविद्युत परियोजना के प्रमुख पैकेजों की ई-टेंडरिंग" विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रौद्योगिकियों/नवाचारों से परिचित कराने और उनके ज्ञान को उन्नत करने के लिए मान्यताप्राप्त सीएडीडी केंद्र के माध्यम से प्राइमावेरा और ऑटोकैड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इन प्रौद्योगिकी-उन्मुख कार्यक्रमों के अलावा, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित एजेंसियों अर्थात योग मानव विकास ट्रस्ट और संपूर्ण आदि के माध्यम से आयोजित अन्य स्वास्थ्य-संबंधी और जीवन शैली प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए भी नामांकित किया गया था। परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए क्वार एचईपी में "तनाव मुक्त जीवन शैली" पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इसके अलावा, एनएचपीसी ने सीवीपीपीपीएल में तैनात अपने कर्मचारियों को आईएनसीओएलडी के माध्यम से मार्सिले, फ्रांस में "27वीं डैम कांफ्रेंस एंड सिम्पोजियम ऑन वाटर शेयरिंग" के लिए भी नामांकित किया है। कर्मचारियों की ओर से इन सभी कार्यक्रमों को पर्याप्त सराहना प्राप्त हुई।

औद्योगिक संबंध:

संघों से संबंधित मामलों को प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा आपसी चर्चा और निर्णय के माध्यम से संबोधित किया गया है। वर्ष के दौरान, पूरे संगठन में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी योजनाएं:

एक व्यापक प्रक्रिया संचालित की गई जिसके अंतर्गत कुल 43 कर्मचारियों को 01.04.2023 से इंजीनियर/अधिकारी (ई2) से सहायक प्रबंधक (ई3) के पद पर पदोन्नत किया गया।

कंपनी द्वारा संचालित कतिपय कर्मचारी कल्याण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- विभिन्न त्योहार मनाया जाना जैसे दिवाली, होली, ईद आदि।
- जिम, खेलकूद और अन्य मनोरंजन क्रियाकलाप आदि।

अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण:

संगठन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विनम्र योगदान दे रहा है। संगठन में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पदों के आरक्षण का पालन किया जा रहा है।

दिव्यांगजनों का कल्याण:

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई दिव्यांग कर्मचारी नहीं था।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 31.08.2023



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
(एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम)
सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

31 मार्च, 2023 को यथास्थिति वित्तीय विवरण
(अंक रुपए में)

कारपोरेट कार्यालय
चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने
रेल हेड काम्प्लेक्स
जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस (प्रा.) लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्तर वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, और यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित है (जिसे एतदपश्चात “वित्तीय विवरण” कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (“इंड एस”) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2023 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरण पर हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेगत विवेक में मौजूदा अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों पर समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और उनपर हमारी राय निर्मित करने के संदर्भ में पूरी तरह ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों में कोई अपना पृथक मत उपलब्ध नहीं कराते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान और प्रबंधन के साथ चर्चा में हमने ऐसा कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामला नहीं पाया है जिसे संप्रेषित किया जाना अपेक्षित हों।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपर्युक्तानुसार कथित अन्य सूचना को हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिन्हित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर यथावर्णित अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्त्विक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभारियों को उस मामले से अवगत कराना होगा और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के

- संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है।
 - प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना ।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मैं मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य मामले

1. एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अनुपूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) द्वारा जम्मू कश्मीर विद्युत विकास विभाग (जेकेपीडीडी) के साथ 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त अनुबंध के अनुसार, 21.11.2022 से एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। तदनुसार, इस तारीख से सीवीपीपीपीएल की एनएचपीसी की एक अनुषंगी कंपनी के रूप में बदल गई है।
2. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, इक्विटी शेयर पूंजी (आवंटन होने तक शेयर आवेदन राशि सहित) के प्रति एनएचपीसी का योगदान 2172.08 करोड़ रुपये (55.45%) है और प्रवर्तक के करार के अनुसार जेकेएसपीडीसी की भुगतान शेयर पूंजी 49% के सहमत अनुपात पर आधारित है। तथापि, 31 मार्च 2023 तक जेकेएसपीडीसी की चुकता शेयर पूंजी 1745.00 करोड़ रुपये (44.55%) है, जो प्रवर्तक के करार के अनुसार 49% के सहमत अनुपात से कम है। इसलिए, जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रवर्तक के योगदान में 341.90 करोड़ रुपये की कमी आई है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, एक विवरण “अनुबंध-क” में देते हैं।
2. कंपनी की लेखा बहियों के सत्यापन और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश

क्रम सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किसी लेखाकरण लेनदेन के लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभाव के बारे में हमें न ही सूचित किया गया है और न ही हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कुछ सामने आया है।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है?	कंपनी ने बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ कारपोरेट निकाय से कोई ऋण आहरित नहीं किया है सिवाय पकल डुल एचर्ड परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए 1023.49 करोड़ रुपए की राशि के अधीनस्थ ऋण के। इसके अतिरिक्त, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/पश्चलेखन का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ आर्थिक सहायता आदि) को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी ने केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का संबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:
- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एस के अनुरूप है।
- (ङ.) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;
- (च) वित्तीय विवरणों से संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में "अनुलग्नक ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है।
- (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि :
- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है - टिप्पणी संख्या 34 (लेखे पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां) - बिंदु सं.1(क)(i) और बिंदु सं.2(क) देखें।
- (ii) कंपनी की दीर्घकालीन संविदाओं के लिए भावी ठोस अनुमान योग्य हानियां नहीं हैं और इसलिए कंपनी पर लागू होने के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं है।

(iv) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(v) (क) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों), जिसमें में विदेशी इकाइयां ('मध्यवर्ती') भी शामिल हैं, कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्रदान नहीं की गई है अथवा ऋण पर नहीं दी गई है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या धनराशि के किसी अन्य स्रोत से), जिसमें यह इस समझ शामिल है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि अनुषंगियाँ किसी भी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष, पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से उधार देंगी या उनमें निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ख) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) से कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्राप्त नहीं हुई है जिसमें विदेशी इकाइयां ('वित्तपोषण पक्षकार') भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी सम्मिलित है कि कंपनी वित्तपोषण पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को किसी भी तरह से या उधार देंगी या उनमें निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में तर्कसंगत और उपयुक्त समझी गई हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उपखंड (v)(क) और (v)(ख) के तहत प्रस्तुतियों कोई भी तात्त्विक अनुचित विवरण शामिल है।

(vi) लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की बहियां अनुरक्षित करने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से धारक कंपनी तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों पर लागू है, और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(vii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश को घोषित नहीं किया है या उसका भुगतान नहीं किया है और वर्ष के लिए कोई अंतिम लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन : 088730)

यूडीआईएन : 23088730बीजीजेडआईजेडएफ7132

दिनांक : 10 मई, 2023

स्थान : जम्मू

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध - "क"

(हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध "क" के संदर्भ में, हम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(i) (क) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(आ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शामिल करने के लिए भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, कंपनी की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान एक बार बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल संपत्तियों, जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख, निम्नलिखित अचल संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर धारित हैं:

संपत्ति/ परियोजना का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ में)	किसके नाम पर धारित है	क्या प्रमोटर निदेशक या उनके संबंधी अथवा कर्मचारी है	धारित अवधि, जहां उचित हो रेंज निर्दिष्ट करें	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने के कारण
पकल डुल	435.47	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2015-16 से अद्यतन	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वन विभाग द्वारा उपयोग का अधिकार प्रदान किया

		सरकार	सरकार)	तिथि तक	गया।
पकल दुल	8.19	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार)	वित्तीय वर्ष 2018-19 से अद्यतन तिथि तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा भूमि के उपयोग का अधिकार दिनांक 26.06.2018 के आदेश सं. 207-एफएसटी के माध्यम से प्रदान किया गया।
पकल दुल	242.06	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (पकल दुल)	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार)	वित्तीय वर्ष 2015-16 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (पकल दुल) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका उत्परिवर्तन किया गया है।
किरू	9.98	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार)	19.05.2016 से अद्यतन तिथि तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा भूमि के उपयोग का अधिकार दिनांक 19.05.2016 के आदेश सं. 2016 को 143-एफएसटी के माध्यम से प्रदान किया गया।
किरू	134.64	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (कीरू)	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार)	वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (कीरू) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका उत्परिवर्तन किया गया है।
क्वार	3.88	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार	हां (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार)	वित्तीय वर्ष 2014-15 से अद्यतन तिथि तक	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा भूमि के उपयोग का अधिकार दिनांक 08.08.2014 के आदेश सं. 2014 को 268-एफएसटी के माध्यम से प्रदान किया गया।

क्वार	21.23	जम्मू एवं कश्मीर राज्यक्षेत्र सरकार	एवं संघ	हां (जम्मू एवं कश्मीर राज्यक्षेत्र सरकार)	एवं संघ	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीएल (पकल डुल) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का उत्परिवर्तन किया गया है।
-------	-------	-------------------------------------	---------	---	---------	--	---

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध "बेनामी संव्यवहार (परिषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। । तदनुसार आदेश के खंड 3 (i) (ड.) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस प्रकार इसके पास कोई वस्तु-सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii)(क) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय पर वर्तमान आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी की मंजूरी नहीं दी गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, अथवा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित

रजिस्टर में शामिल किसी भी अन्य पक्षकार को प्रतिभूति या गैर-प्रतिभूति ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं प्रदान किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से 3(iii)(च) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही ऋण दिया है या न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट है तथा कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जैसाकि कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी निक्षेप या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे निक्षेप माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेख का अनुरक्षण निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए, आदेश के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित निर्विवाद सांविधिक बकायों को कंपनी द्वारा समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई अन्य सांविधिक बकाया, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाए के रूप में नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर या से संबंधित कोई सांविधिक बकाया या कोई अन्य वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, बकाए के रूप में नहीं है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारियों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच और कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रारंभिक जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण को मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रयुक्त किया है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच किए जाने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी की कोई अनुषंगी और/या सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, या सहयोगी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है) में रखी गई प्रतिभूतियों के बंधक पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे

सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (17) के अंतर्गत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास प्ररूप एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, जैसाकि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(ख) और 3(xii)(ग) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लागू संव्यवहार के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है तथा संबंधित पक्षकार संव्यवहार के विवरणों का प्रकटीकरण को लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है, तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के तहत रजिस्ट्रीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने अवधि के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण पर, हम सूचित करते हैं कि, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, समयावधि में वृद्धि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजना के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर तथा धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी तुलन-पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब भी वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हों। हालांकि, हम यह सूचित करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा विमोचित कर दिया जाएगा जब वे देय हो जाती हैं।

(xx) प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार,

(क) चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27,942/- रुपये की अव्ययित राशि मौजूद है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में स्थानांतरण किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष	"जारी परियोजनाओं के अलावा" के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के लिए चिह्नित राशि	अव्ययित राशि	अधिनियम की अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	निर्दिष्ट निधि को अंतरण की निर्धारित तिथि	निर्दिष्ट निधि को अंतरण की वास्तविक तिथि	विलंब के दिनों की संख्या, यदि कोई हो
2022-23	22,95,994	27,942	शून्य	30.09.2023	अभी अंतरित की जानी है	लागू नहीं

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, चालू परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति कोई भी अव्ययित राशि नहीं है।

(xxi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन : 088730)

यूडीआईएन : 23088730बीजीजेडआईजेडएफ7132

दिनांक : 10 मई, 2023

स्थान : जम्मू

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

("अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं संबंधी" की हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखापरीक्षा की मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कार्य का उचित और कार्यकुशल संपादन सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे। इनमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण और अन्वेषण, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा तर्कसंगत वित्तीय जानकारी की समय से तैयारी शामिल है जैसा कि अधिनियम में अपेक्षा की गई है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") तथा लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जिन्हें अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया हुआ माना जाता है, के लागू होने की सीमा तक के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणी में अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाए और कार्यान्वित करें कि इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या

आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा उसका रख-रखाव किया गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में कारगर ढंग से प्रचालित किए गए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन कारगरता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियायें शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त नियंत्रण लेखा परीक्षा की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी विद्यमान है तथा मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन कारगरता का परीक्षण और मूल्यांकन करना है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षा के निर्णय, जिसमें जालसाजी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी जोखिम का आकलन शामिल होता है, पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में लेखा परीक्षा संबंधी हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध युक्तिसंगत आश्वासन देन के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां या प्रक्रियायें शामिल होती हैं जो (1) ऐसे रिकार्डों के रख-रखाव से संबंधित होती हैं जो उचित ब्यौरे परिशुद्धता और निष्पक्षता से कंपनी के लेन-देन और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्था का प्रतिबिम्बित करती हैं (2) इस आशय का उचित आश्वासन देती हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेनदेन को रिकार्ड किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों का भुगतान केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है, और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण प्रयोग या व्यवस्था के निवारण या समय से पता लगाने के लिए उचित आश्वासन देती हैं।

एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत या की संभावना या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण का अभिभावी होना त्रुटियों या जालसाजी के कारण उल्लेखनीय गलतबयानी शामिल होती है के कारण गंभीर त्रुटि या जालसाजी हो सकती है और उसका पता भी नहीं चल पाता। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं का ठीक ढंग से अनुपालन न हो पाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त साबित हो सकता है।

मत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन : 088730)

यूडीआईएन : 23088730बीजीजेडआईजेडएफ7132

दिनांक : 10 मई, 2023

स्थान : जम्मू



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
परिसंपत्तियां			
(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	1,073,261,429	929,007,042
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	29,767,382,237	18,938,593,150
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	7,980,989,706	8,073,078,713
घ) निवेश सम्पत्ति	2.4	-	-
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	1,497,102	1,525,650
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	10,641,843	10,641,843
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	-	-
ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	-
iii) ऋण	3.3	898,022	892,903
iv) अन्य	3.4	13,772,040	23,468,920
ज) गैर वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	4	633,450	8,343,104
झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	5	6,300,412,056	4,538,903,899
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां		45,149,487,885	32,524,455,224
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) मालसूची	6	-	-
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			

i) व्यापार प्राप्य	7	-	-
ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	4,806,547,039	3,943,290,654
iii) नकदी और नकदी तुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9	2,356,500,001	6,561,155,104
iv) ऋण	10	3,784,682	2,856,231
v) अन्य	11	1,278,865,416	812,983,221
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	12	-	5,174
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	244,363,187	18,305,564
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		8,690,060,325	11,338,595,948
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	5,637,108	1,059,609
कुल परिसंपत्ति		53,845,185,318	43,864,110,781
<u>इक्विटी और देयताएं</u>			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	36,923,912,860	33,364,512,860
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	3,038,427,881	1,540,073,245
कुल इक्विटी		39,962,340,741	34,904,586,105
(2) देयताएं			
<u>गैर वर्तमान देयताएं</u>			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	16.1	3,845,467,174	2,081,334,005
ii) पट्टा देयताएं	16.2	5,472,320	5,544,743
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	11,745,807	32,225,109
ख) प्रावधान	17	119,211,315	95,267,518
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	6,672,647,720	3,956,533,287
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		10,654,544,336	6,170,904,662
(3) वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			

i) ऋण	20.1	-	-
ik) पढा देयताएं	20.2	9,466,999	7,360,727
ii) व्यापार देय	20.3		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		11,976,165	9,042,014
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		20,376,950	74,153,951
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,919,132,720	1,303,171,478
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	161,682,969	95,287,002
ग) प्रावधान	22	1,105,664,438	1,299,604,842
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
(4) सीओ से निधियां	15.3	-	-
कुल वर्तमान देनदारियाँ		3,228,300,241	2,788,620,014
(4) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	-	-
कुल इक्विटी और देयताएं		53,845,185,318	43,864,110,781

एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34		
कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन) हस्ता./- (सीए वीरेन्द्र के. मैनी) साझेदार सदस्यता सं. 088730		कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से हस्ता./- (सुरेश कुमार) अध्यक्ष डीआईएन संख्या 06440021 हस्ता./- (ए के जैन) महाप्रबंधक (वित्त)	हस्ता./- (हसन नदीम) प्रबंध निदेशक डीआईएन संख्या 09653321 हस्ता./- (सुधीर आनंद) कंपनी सचिव एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू दिनांक : 10 मई, 2023			



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.)लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ
और हानि का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	-	-
ii) अन्य आय	24.2	534,669,071	313,881,017
कुल आय		534,669,071	313,881,017
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	-	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	111,421,609	133,979,358
iv) वित्त लागत	27	156,863	295,279
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	6,012,511	10,546,183
vi) अन्य व्यय	29	35,666,078	44,375,244
कुल व्यय		153,257,061	189,196,064
असाधारण मदों, नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		381,412,010	124,684,953
असाधारण मदें	-	-	-

नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		381,412,010	124,684,953
कर व्यय			
i) वर्तमान कर	30.1	134,534,873	78,969,824
ii) आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		134,534,873	78,969,824
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ		246,877,137	45,715,129
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	4,577,499	998,569
वर्ष के लिए लाभ (क)		251,454,636	46,713,698
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		-	-
- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन - निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		-	-
घटाएं : नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		-	-
उप जोड़ (क)		-	-
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश		-	-
उप जोड़ (ख)		-	-
कुल (i)=(क)+(ख)		-	-

(ii) वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल) - ऋण लिखतों में निवेश			
कुल (ii)		-	-
अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		251,454,636	46,713,698
आय (मूल और तनुकृत) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/-रुपए 34(11) प्रत्येक)			
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व		0.0681	0.0152
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात		0.0694	0.0155
वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34		
	कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से		
	हस्ता./-		हस्ता./-
कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी	(सुरेश कुमार)		(हसन नदीम)
चार्टर्ड एकाउंटेंट	अध्यक्ष		प्रबंध निदेशक
(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)	डीआईएन संख्या 06440021		डीआईएन संख्या 09653321
हस्ता./-	हस्ता./-		हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)	(ए के जैन)		(सुधीर आनंद)
साझेदार	महाप्रबंधक (वित्त)		कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 088730			एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू			
दिनांक : 10 मई, 2023			



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षित नकदी प्रवाह का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(राशि रुपये में)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में उतार-चढ़ाव सहित वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ		385,989,509		125,683,522
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		4,577,499		998,569
	कर पूर्व लाभ		381,412,010		124,684,953
	जोड़ें :				
	मूल्यहास और परिशोधन	6,012,511		10,546,183	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	156,863		295,279	
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		-		
	प्रावधान अन्य (ईएसी का निवल)		-		
	विनिमय दर अंतर (हानि)	3,701,337		998,569	
	टैरिफ समायोजन (हानि)		-		
	विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन		-		

संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)/बट्टे खाते में डाले गए दावे	1,101,871		70,405	
			<u>10,972,582</u>	<u>11,910,436</u>
			392,384,592	136,595,389
घटाएं :				
मूल्यहास के पश्चलेखित अग्रिम	-			
प्रावधान (निवल लाभ)	7,000		952,524	
निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/ हानि	-		-	
अनुषंगी कंपनियों से परामर्शी प्रभार के प्रति समायोजन	-			
लाभांश आय	-			
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान प्रभार सहित)	534,669,071		313,903,137	
विनिमय दर अंतर (लाभ)	-			
अन्य समायोजन	-		-	
उचित मूल्य समायोजन	(1,818)		(3,794)	
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	-			
			<u>534,674,253</u>	<u>314,851,867</u>
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयता समायोजना से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			(142,289,661)	(178,256,478)
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन:				
मालसूची	-			
व्यापार प्राप्तियां	-			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	(3,544,495)		(7,124,486)	

	अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान	9,206,136		95,552,521	
	नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	=		-	
			5,661,641		88,428,035
	कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		(136,628,020)		(89,828,443)
	घटाएं : कर		126,820,045		82,944,553
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		(263,448,065)		(172,772,996)
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण को आरोप्य व्यय सहित) - अनुदान का निवल		(13,536,413,902)		(8,626,406,097)
	परिसंपत्तियों की बिक्री		-		
	संयुक्त उद्यम में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-		
	सहायक कंपनियों में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-		
	सावधि जमा में निवल निवेश		4,204,655,103		(2,758,755,104)
	निवेश की बिक्री से आय		-		
	लाभांश आय		-		
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंबित भुगतान अधिभार सहित)		1,412,810,647		424,008,137
	निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		(7,918,948,152)		(10,961,153,064)

ग.	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
	इक्विटी शेयरों का निर्गम/पुनःखरीद, प्रतिभूति प्रीमियम सहित		4,806,300,000	7,127,912,860
	भुगतान किया गया लाभांश		-	
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		4,249,200,000	5,985,700,000
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां		-	
	उधार की चुकौती		-	
	ब्याज और वित्त प्रभार		(895)	(933,952)
	पट्टा देयता की मूलधन चुकौती		(9,004,695)	(10,006,245)
	पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज		(841,808)	(933,293)
	वित्तीय क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)		(9,045,652,602)	13,101,739,370
घ.	नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		863,256,385	1,967,813,310
	वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		3,943,290,654	1,975,477,344
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		4,806,547,039	3,943,290,654

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड एस 7 - "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकद और नकद समतुल्य में तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा सहित हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष शामिल हैं। नकद और नकद समकक्षों का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2023 के अनुसार

31 मार्च, 2022 के अनुसार

बैंकों के पास शेष राशि

अनुसूचित बैंकों के साथ:

- चालू खाते में	<u>371,547,039</u>	<u>49,490,654</u>
- जमा खाते में	<u>4,435,000,000</u>	<u>3,893,800,000</u>
(तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)		
हस्तगत नकदी	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	<u>4,806,547,039</u>	<u>3,943,290,654</u>

2. वित्त-पोषण क्रियाकलापों में नकदी प्रवाह में ब्याज और वित्त प्रभार में निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) की ऋण लागत शामिल है।
3. 31.03.2023 को आहरित नहीं किए गए ऋण की राशि : शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) है।
4. कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण 20,65,195/- रूपए नकदी (पिछले वर्ष 3,11,627/- रूपये) व्यय किया है।
5. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न देयताओं का मिलान:-

(राशि रूपए में)

	31/03/2023	31/03/2022
ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	3845467174	2081334005
पट्ट देयता	<u>14939319</u>	<u>12905470</u>
कुल	<u>3860406493</u>	<u>2094239475</u>

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **		
	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण	2081334005	12905470	2094239475	-	15450707	15450707
ऋण से प्राप्तियां	4249200000	-	4249200000	5985700000	(10939538)	5974760462
ऋण/पट्टा देयता की	-	(9004695)	(9004695)	-	8394301	8394301

चुकोती						
अदा किया गया ब्याज	(895)	(841808)	(842703)	-	(933293)	(933293)
अन्य गैर-नकदी संचलन			-			0
- पट्टा देयता में वृद्धि	-	11038544	11038544	-		0
- विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-		0
- ब्याज और वित्त प्रभार	895	841808	842703	-	933293	933293
- उचित मूल्य समायोजन	(2485066831)	-	(2485066831)	(3904365995)	-	(3904365995)
31 मार्च को अंतिम निवल ऋण	3845467174	14939319	3860406493	2081334005	12905470	2094239475

* ऋण के लिए टिप्पणी 16.1, 20.1 और 20.4 देखें (मद नामतः ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज - देय और देय नहीं होने वाले)।

** पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं अपेक्षित हो पुनः समूहबद्ध/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 (फर्म पंजीकरण संख्या
 003824एन)
 हस्ता./-
 (सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
 साझेदार
 सदस्यता सं. 088730

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
 हस्ता./-
 (सुरेश कुमार)
 अध्यक्ष
 डीआईएन संख्या
 06440021
 हस्ता./-
 (ए के जैन)
 महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
 (हसन नदीम)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन संख्या
 09653321
 हस्ता./-
 (सुधीर आनंद)
 कंपनी सचिव
 एफसीएस 7050

इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि
1 अप्रैल 2022 के अनुसार	15.1	33,364,512,860
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	15.1	33,364,512,860
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		3,559,400,000
31 मार्च 2023 के अनुसार	15.1	36,923,912,860

अन्य इक्विटी

(राशि रुपये में)

विवरण	पूंजी आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय			कुल
		आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी मोचन आरक्षित	बांड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	-	1,000,000,000	-	-	-	540,073,245	-	-	1540,073,245
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ			-	-	-				
1 अप्रैल 2022 को पुनः कथित शेष राशि			-	-	-	540,073,245	-	-	1540,073,245

प्रतिधारित अर्जन से अंतरण													
लाभभांश				-									-
लाभभांश पर कर				-									-
बॉन्ड मोचन आरक्षित में अंतरण				-									-
अनुसंधान और विकास कोष में अंतरण				-									-
सामान्य आरक्षित में अंतरण				-						-			-
31 मार्च 2023 के अनुसार शेष राशि				-	2,246,900,000					-	791,527,881		3,038,427,881

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 0038245एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

सदस्यता सं. 088730

हस्ता./

(ए के जैन)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(हसन नदीम)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 09653321

टिप्पणी सं. 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग निकाय

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी"), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में अधिवासित है (सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड परिसर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र-180012 है। यह कंपनी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ विद्युत की थोक बिक्री में शामिल है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अनुपूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल द्वारा जेकेपीडीसी के साथ 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

(2) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का कथन

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 10 मई, 2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है। ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए

प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन लाए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार प्रकट किया जाता है :

(i) इंड एस 16 - आशयित उपयोग से पूर्व आगम

संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को पहचानने वाली इकाई को प्रतिबंधित करता है। इसके स्थान पर, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत से घटाया जाएगा।

कंपनी को ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ii) इंड एस 37 - दुर्भर संविदा - संविदा पूर्ति की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि संविदा को "पूरा करने की लागत" में "वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है" शामिल है। वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है, संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (उदाहरण: प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदा को पूरा करने, दोनों ही से संबंधित है।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और कंपनी को ऐसी आशा नहीं है कि वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(iii) इंड एस 37 - व्यवसाय संयोजन

संशोधन में कहा गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचानयोग्य अस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को भारतीय लेखा मानकों (अवधारणात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अवधारणात्मक ढांचे में प्रदान की गई अस्तियों और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है।

इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं अथवा उनका वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है। तथापि, यूनिट स्तर पर आंकड़ों को रुपए (पूर्णांक संख्या) में प्रस्तुत किया गया है।

ड) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एएस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों :

क) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करती है।

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद को निर्धारित करती है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करती है। यह आकलन करने में कि क्या कंपनी पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते हैं। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो कंपनी पट्टे की अवधि को संशोधित करती है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल हैं।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ड) राजस्व

कंपनी इंड एस 115- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी हैं, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरें अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

कंपनी की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे - ब्याज लागत, हास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एस 114- 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार

वसूली योग्य हैं। हालांकि, मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव ऐसे शेष की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करती है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) वसूली योग्य बीमा दावा

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

ञ) कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत का मापन प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किया जाता है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हें अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। कंपनी ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, “पहली बार इंड एस अपनाये पर इंड एस में ट्रंजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीमड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ कंपनी को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति,

प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पीपीई के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित हास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

ड) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित,(अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहीत भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुर्नस्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।

च) वे आस्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है, कंपनी के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

ज) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में “स्टोर और स्पेयर “ माने जाते हैं।

झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहीत किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती हैं जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 जारी पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और

रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित आस्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।

ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में हास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो, “निर्माण में हुए व्यय के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, “निर्माण में हुए व्यय “ के तहत संचित किया जाता है और “जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एस 16- “परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर “ में “आरोप्यता” और “मापन इकाई को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और कंपनी विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो आस्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

घ) अमूर्त आस्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

ग.) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौलिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां कंपनी ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित आस्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब कंपनी आरंभ में गैर मौलिक आस्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौलिक देयता को मान्य करती है।

5.0 नियामक आस्थगित खाते

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एएस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्की के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये नियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो नियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

ड) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

6.0. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है। परन्तु, कंपनी जब यह निर्धारित करती है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो। सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

7.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के

अधीन कि संभावित रूप से कंपनी के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता है

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण लिखत' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और
- ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उक्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

- i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मक दायित्व को मानता है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां कंपनी ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करती है :

- i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।
- ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- iii) इंड एस 115-राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- iv) इंड एस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एस 116 और इंड एस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वेकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए कंपनी इंड एस 109 "वित्तीय दस्तावेज" के तहत अनुमत 'सरलीकृत-दृष्टिकोण' का पालन करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12-महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, कंपनी दस्तावेज-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12-महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति

में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

8.0 माल-सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रेप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) का मूल्यांकन लागत से कम पर या निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पश्चलेखन या हानि होती है।

9.0 वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ - हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत

राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग- शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ - हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

10.0 सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरु में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ - हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौलिक अनुदान को शुरु में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ - हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ - हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

11.0. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व-कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।

ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

12.0. राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को कंपनी तब स्वीकार करती है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व (वित्त/प्रचालन पट्टे के अधीन माने गए विद्युत स्टेशनों के अलावा) को सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 के तहत केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।
- iii) ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं किया गया राजस्व)।
- iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियम दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है।
- v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

ख) अन्य आय

- i) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।
- ii) ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर परिसमाप्त क्षतिपूर्ति/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब यह माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।
- iii) **कार्बन क्रेडिट/सीईआर/ वीईआर की बिक्री से राजस्व**
कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) के अंतरण/बिक्री से राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह अत्यधिक संभाव्य हो कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में राशि का कोई भविष्य में महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

13.0. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति-परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-परवर्ती लाभ योजना है। कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा

किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय और तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उनका व्यय किया गया हो।

14.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एस 109 - "वित्तीय लिखत" में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एस 116- 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ-साथ इसकी असंशोधित मूल्यहास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-प्प में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र और मशीनरी

- कंप्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अपशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्ष की अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर मुहैया कराया जाता है।

ड) अस्थायी निर्माण पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।

च) रुपए 5000/- या उससे कम लेकिन रुपए 750/- से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यहास, रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तु, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/- तक है, पूँजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ज) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यहास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यहास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य हास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यहास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

16.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट-(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा

जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बड़े खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।

घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।

ड) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यहास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

17.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि

विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन-देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करती है।
- ii) आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थाई अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करती है।

- iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।
- v) आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।
- vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।
- vii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियाँ और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करती है।

18.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि

विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

19.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एस 108 - प्रचालन सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य संचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है।

ग) कंपनी का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

20.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में कंपनी यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए कंपनी निम्नांकित आकलन करती है कि :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है - यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।

- कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा

- कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :

- कंपनी को संपत्ति के संचालन का अधिकार है; या
- कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करती है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष स्टैंड-अलोन कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित

करती है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, कंपनी ने गैर-लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर-लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) **कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :**

कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति से मूल्य हास किया जाता है। यह मूल्यहास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड-एएस 36- संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 16.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है,

तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करती है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।
- परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करती है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि; तथा
- खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि कंपनी द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि कंपनी का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करती है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

कंपनी अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करती है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न

देने का विकल्प अपनाया है। कंपनी इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरेखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. कंपनी एक पट्टादाता के रूप में :

कंपनी जब पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एस 115- राजस्व लागू करती है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

21.0 व्यापार संयोजन

व्यवसाय संयोजनों को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है, अधिग्रहण की तारीख कंपनी को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। अधिग्रहण में अंतरित मूल्य और अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। गुडविल को शुरु में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई निवल पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है। जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को

समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतों को वहन किए गए व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

22.0 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

23.0 प्रति शेयर आय

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत "उधारी" के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एस 7- 'नकदी प्रवाह विवरण', में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

26.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, कंपनी द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) हालिया लेखांकन घोषणाएं : जारी परन्तु अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन करते हैं और 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। प्रमुख संशोधनों का सारांश और कंपनी पर इसके प्रभाव नीचे दिए गए हैं :

i) **इंड एस 1 - वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण** - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी तात्विक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करने की अपेक्षा की गई है। अन्य जानकारी के साथ, लेखांकन नीति की जानकारी तब तात्विक होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की समुचित आशा की जा सकती है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है।

ii) **इंड एस 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां** - इस संशोधन ने श्लेखा अनुमानश की एक परिभाषा शामिल की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की भिन्नता को पहचानने में मदद करने के लिए इंड एस 8 में संशोधन को शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii) **इंड एस 12 - आयकर** - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट की व्याप्ति को सीमित कर दिया है ताकि यह उन संव्यवहारों पर लागू न हो, जो समान और समंजनकारी अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv) अन्य मानकों (इंड एस 101, इंड एस 102, इंड एस 103, इंड एस 107, इंड एस 109 और इंड एस 115) में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं हैं या कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं डालते हैं।

**तुलन-पत्र के अनुबंध के रूप में
हस्ताक्षरित**

**कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट**

**कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
हस्ता./- हस्ता./-
(सुरेश कुमार) (हसन नदीम)
अध्यक्ष प्रबंध निदेशक**

(फर्म पंजीकरण संख्या
003824एन)
हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088730

डीआईएन संख्या
06440021
हस्ता./-
(ए के जैन)
महाप्रबंधक (वित्त)

डीआईएन संख्या
09653321
हस्ता./-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव
एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू
दिनांक : 10 मई, 2023

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास						निवल ब्लॉक				
		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्ष के लिए समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार		
		आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	248352201	23982606							272334807					0		272334807	248352201
ii)	सड़कें और पुल	441490227	102077102						-1358226	542209103	43526884	16498983			60025867		482183236	397963343
iii)	भवन	192452036	82172725			238367				274386394	50821463	62959981	-238367		113543077		160843317	141630573
iv)	रेलवे साइडिंग									0		0			0		0	0
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)									0		0			0		0	0
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी									0		0			0		0	0
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	7734865	1464900							9199765	1659271	405362			2064633		7135132	6075594
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें									0		0			0		0	0
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	17469031	5850710							23319741	2500769	1232263			3733032		19586709	14968262
x)	निर्माण उपकरण	89350	19399					1		108748	3054	442			3496		105252	86296

Xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	3362791	587609							3950400	462917	125491		588408	3361992	2899874
Xii)	विद्युत प्रतिष्ठान									0		0		0	0	0
Xiii)	वाहन	18127676								18127676	7809792	1279209		9089001	9038675	10317884
Xiv)	विमान/नौकाएं									0		0		0	0	0
Xv)	फर्नीचर व फिक्सचर	42560141	6577623	534688	119755	534688	16804	49034813	13983224	3085957	3085957	3085957	-42067	17027114	32007699	28576917
Xvi)	कम्प्यूटर	43346422	7319369	503954	1218575	503954		49447216	26176864	7081808	7081808	7081808	-979720	32278952	17168264	17169558
Xvii)	संचार उपकरण	1335893	7730					1343623	516087	68779	68779	68779	20679	605545	738078	819806
Xviii)	कार्यालय उपकरण	87863345	15366689	51789	1297058	51789	-116627	101818349	27716611	6287354	6287354	6287354	-943884	33060081	68758268	60146734
	कुल	1104183978	245428462	1090431	2873756	1090431	-1456049	1345280635	175176936	99025629	99025629	99025629	-2183359	272019206	1073261429	929007042
	गत वर्ष	662849741	444560025	80000	1788537	80000	-1437251	1104183978	131228574	44875199	44875199	44875199	-926837	175176936	929007042	531621167

टिप्पणी:-

2.1.1 संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुबंध-1

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास					निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार		
		आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य									
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	0	23982606	0	0	0	272334807	0	0	0	272334807	248352201		
ii)	सड़कें और पुल	0	102077102	0	0	-1358226	541338816	42656597	16498983	59155580	482183236	397963343		
iii)	भवन	0	82172725	0	238367	0	283923649	60358718	62959981	123080332	160843317	141630573		
iv)	रेलवे साइडिंग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	7606777	1464900	0	0	0	9071677	1531183	405362	1936545	7135132	6075594		
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	17850299	5850710	0	0	0	23701009	2882037	1232263	4114300	19586709	14968262		
x)	निर्माण	1735099	19399	0	9200	0	1745298	1648803	442	-9199	105252	86296		

टिप्पणी सं. 2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 के अनुसार
i)	सड़के और पुल	325200815	334115764	(98091785)	102077102	459147692
ii)	भवन	3121359374	2322169948	(527734)	82172525	5360829063
iii)	भवन- पट्टे के अधीन	-	-	-	-	-
iv)	रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	4679894367	5516659264	-	-	10196553631
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	1428771470	1529521602	-	-	2958293072
vii)	संयंत्र और मशीनरी - सब स्टेशन	40985308	15879103	-	-	56864411
viii)	संयंत्र और मशीनरी - पारेषण लाइनें	32114490	55618563	-	-	87733053
ix)	संयंत्र और मशीनरी - अन्य	-	-	-	-	-
x)	निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	3721258	-	(174544)	587609	2959105

xii)	कम्प्यूटर	-							
xiii)	संचार उपकरण	-							
xiv)	कार्यालय उपकरण	-							
xv)	स्थापना की प्रतीक्षारत परिसंपत्तियां	-							
xvi)	सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किमी के योजना अधीनपरिसंपत्तियां	-							
xvii)	सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण शुल्क	301597517	44513226						346110743
xviii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय	-							
xvix)	निर्माण को आरोप्य व्यय (टिप्पणी-32 देखें)	9004826528	1212965141	80977775					10298769444
	घटाएं : प्रदान किया गया पूंजीगत कार्य	-							
	उप जोड़ (क)	18938471127	11031442611	(17816288)	184837236	29767260214			
	निर्माण भंडार	122023							122023
	घटाएं : निर्माण भंडार	-							

के लिए प्रावधान						
उप जोड़ (ख)	122023	-	-			122023
कुल	18938593150	11031442611	(17816288)	184837236	29767382237	
गत वर्ष	13198900920	6289566129	(308041790)	241832109	18938593150	

2.2.1 (क) 31 मार्च 2023 को सीडब्ल्यूआईपी जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	10,873,874,187	5,863,248,764	3,775,332,488	29,767,382,237
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				-
कुल	10,873,874,187	5,863,248,764	3,775,332,488	29,767,382,237

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है			कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
			3 वर्ष से अधिक	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

2.2.2 (क) 31 मार्च 2022 को सीडब्ल्यूआईपी जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षसेअधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	5,908,333,864	3,775,332,488	2,483,762,436	6,771,164,362	18,938,593,150
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	5,908,333,864	3,775,332,488	2,483,762,436	6,771,164,362	18,938,593,150

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
				-
कुल	-	-	-	-

2.2.3 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के प्रति 23,31,10,951/- रुपए (गत वर्ष 5,47,29,775/- रुपए) शामिल है।

2.2.4 उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि-उपयोग का अधिकार" पर सृजित 163,34,94,942/- रुपए (पिछली अवधि 120,71,15,004/- रुपए) के भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी 2.2 का अनुबंध
(राशि रुपए में)

संचयी ईडीसी विवरण	31.3.2023	31.03.2022
क. कर्मचारियों लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	4186838897	3692658051
भविष्य निधि में उपदान और अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	684263537	61162874
कर्मचारी कल्याण व्यय	281125629	252119362
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	1491260	1491260
उप-जोड़(क)	5153719323	4557897447
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(ख)	5153719323	4557897447
ख. अन्य व्यय		
अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में भंडार और पुर्जों का उपभोग	0	0
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर बांध/जल विनियमन प्रणाली	0	0
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर जीपीएम/अन्य विद्युत संयंत्र प्रणाली	0	0
मरम्मत-भवन	207424941	153669012
मरम्मत-मशीनरी	1301587	1301587
मरम्मत-अन्य	38139205	27275800
किराया	123419157	102005064
दरें और कर	5004879	3902615
बीमा	2283959	2151883
सुरक्षा व्यय	325171241	304991347
विद्युत प्रभार	21427599	16808380

यात्रा और परिवहन	64717680	53509411
वाहनों पर व्यय	13898509	9636797
टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	20923905	14368684
विज्ञापन और प्रचार	18198558	18114474
मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	472152	472152
मुद्रण और लेखन सामग्री	15071689	13288677
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	52959	52959
डिजाइन और परामर्श शुल्क:		
- देशीय	1555563763	1308304268
- विदेशी	50210730	50210730
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय/पर्यावरणीय व्यय	22100200	15656900
निगम का स्मामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	290329628	181043116
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	0	0
डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	0	0
ईएसी – पट्टा किराया	124185268	96647663
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां/ सामग्री पर हानि	166776	166776
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	1709500	879459
अन्य सामान्य व्यय	145361962	67394483
उप-जोड़ (ख)	3047135847	2441852237
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़ (ख)	3047135847	2441852237
ग. वित्तीय लागत		
i) निम्नलिखित पर ब्याज :		
क) भारत सरकार ऋण	0	0
ख) बाण्ड	0	0
ग) विदेशी ऋण	0	0
घ) सावधि ऋण	0	0
ड) नकद ऋण सुविधाएं/ डब्ल्यूसीडीएल	0	0
च) ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	0	0

हेजिंग लेनदेन पर हानि	0	0
ii) बाण्ड जारी करना/सेवा व्यय	0	0
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	0	0
v) अन्य वित्त प्रभार	718912	718017
vi) ईएसी- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	283214894	52167292
vii) ईएसी-प्रतिभूति जमा पर ब्याज/प्रतिधारण राशि - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	9181415	7477708
viii) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय- समय मूल्य के लिए समायोजन	0	0
ix) ईएसी- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	0	0
x) ईएसी-ब्याजव्यय-पट्टे के अधीन (इंडएएस)	2380574	2022827
उप-जोड़(ग)	295495795	62384844
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(ग)	295495795	62384844
घ. विनिमय दर अंतर (निवल)		
i) ईआरवी (डेबिट शेष)	0	0
घटाएं: ii) ईआरवी (क्रेडिट शेष)	0	0
उप-जोड़(घ)	0	0
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(घ)	0	0
ड. प्रावधान	627181	627181
उप-जोड़(ड)	627181	627181
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(ड)	627181	627181
च. मूल्यहास और परिशोधन	587250245	408721459
	28422964	23774313

उप-जोड़(च)	615673209	432495772
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(च)	615673209	432495772
छ. पूर्व अवधि व्यय (निवल)		
पूर्व अवधि व्यय	23763458	23763458
घटाएं पूर्व अवधि की आय	72206	72206
उप-जोड़(छ)	23691252	23691252
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(छ)	23691252	23691252
ज. घटाएं :प्राप्तियां और वसूलियां		
i) विद्युत के उत्पादन चालू होने से पूर्व आय	0	0
ii) ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1261715871	696368432
iii) विविध प्राप्तियां	50956445	41747150
iv) संपत्ति की बिक्री पर लाभ	146287	146287
v) पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	67720580	67600597
vi) संयंत्र और मशीनरी पर किराया प्रभार/उत्पादन	13874715	8939204
vii) ईएसी-उचित मूल्य लाभ- सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि	17202	17202
viii) व्युत्पन्न पर ईएसी-एमटीएम लाभ	0	0
ix) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर उचित मूल्य लाभ	0	0
उप-जोड़(ज)	1394431100	814818872
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(ज)	1394431100	814818872
झ. सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (झ)	2556857937	2300696667
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
उप-जोड़(झ)	2556857937	2300696667
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	10298769444	9004826528
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0	0
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	10298769444	9004826528

टिप्पणी सं. 2.3 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समयो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आई य्टी	अन्य	आई य्टी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड						3766998267	281566186	94174957	0	375741143	3391257124	3485432081
ii)	पट्टे के अधीन भवन		6621129			2722751	15453515	4472422	4485875	-2722613	6235684	9217831	7082715
iii)	निर्माण उपकरण	0						0	0	0	0	0	0
iv)	वाहन	12202365	4417553				16619918	6837707	4466719	0	11304426	5315492	5364658
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	4575199259					4575199259	0	0	0	0	4575199259	4575199259
	कुल	0	11038682	0	0	-2722751	8374270959	292876315	103127551	-2722613	393281253	7980989706	8073078713
	गत वर्ष		175430256		19379937		8365955028	205329451	104232866	-16686002	292876315	8073078713	8004575258

टिप्पणी:-

2.3.1 परिसंपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार उपयोग के अधिकार का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध 1 - संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समयो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आई य्टी	अन्य	आई य्टी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	0	0	0	0	0	0	94174957	0	375741143	3391257124	3485432081	
ii)	पट्टे के अधीन भवन	0	6621129	0	0	-2722751	15453515	4485875	-2722613	6235684	9217831	7082715	
iii)	निर्माण उपकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
iv)	वाहन	0	4417553	0	0	0	16619918	4466719	0	11304426	5315492	5364658	
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	0	0	0	0	0	4575199259	0	0	0	4575199259	4575199259	
	कुल	0	11038682	0	0	-2722751	8374270959	103127551	-2722613	393281253	7980989706	8073078713	
	गत वर्ष		175430256		19379937		8365955028	104232866	-16686002	292876315	8073078713	8004575258	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन		कटौती	अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
			आईयटी	अन्य									
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	10439090	1077344			11516434	8913440	1105892		10019332	1497102	1525650	
	कुल	10439090	1077344	0	0	11516434	8913440	1105892	0	10019332	1497102	1525650	
	पिछले वर्ष	10439090				10439090	7439259	1474181		8913440	1525650	2999831	

टिप्पणी :- 2.5.1 अमूर्त परिसंपत्ति का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध 1 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
		आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य									
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1043724	0	1077344	0	11514668	0	11514668	8911674	1105892	0	10017566	1497102	1525650
	कुल	1043724	0	1077344	0	11514668	0	11514668	8911674	1105892	0	10017566	1497102	1525650
	पिछले वर्ष	1043724				10437324		10437324	7437493	1474181		8911674	1525650	2999831

टिप्पणी सं. 2.6 - विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	लिकेज	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31 मार्च, 2023 के अनुसार
(1)	विकास के अधीन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	432201	10,641,843				10,641,843
	कुल		10,641,843	-	-	-	10,641,843
	गत वर्ष						10,641,843

2.6.1 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं		10,641,843		10,641,843
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				-
कुल	-	10,641,843	-	10,641,843

2.6.2 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित में पूर्ण किया जाना है			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

2.6.3 31 मार्च 2022 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	10641843			10,641,843
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				-
कुल	10,641,843	-	-	10,641,843

2.6.4 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	में पूरा किया जाना है			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 3.1 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
कुल		

टिप्पणी सं. 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत	-	-
कुल	-	-

व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 3.2 का अनुबंध-1 देखें।

टिप्पणी सं. 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. परिशोधित लागत पर संबंधित पार्टी को ऋण - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत * (टिप्पणी 34(7)(3.3.1 देखें)	-	-
ख. कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.3.2 देखें)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	780,882	752,821
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	117,140	140,082
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.3 देखें)	-	-
उप जोड़	898,022	892,903
ग. संविदाकार/आपूर्तिकर्ता - अच्छे माने गए - प्रतिभूत	-	-

	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	ग्राहक से बकाया के निपटान में राज्य सरकार		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
	कुल	898,022	892,903
3.3.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
	* चुकौती का ब्यौरा		
	* व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त ऋण को दर्शाता है		
3.3.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
3.3.3	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-

3.3.4	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.5	राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3.3.6	व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त सरकार को ऋण		
	- मूल धन		
	- ब्याज		
3.3.7	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
3.3.8	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.4 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य			(राशि रुपये में)
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	13,772,040	13,468,920
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.4.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	13,772,040	13,468,920
ख.	12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि (देखें टिप्पणी 3.4.2)	-	10,000,000
ग.	प्राप्य पट्टा किराया	-	-

घ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि	-	-
ङ.	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
च.	निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :		
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
छ.	व्युत्पन्न मार्क टू मार्केट परिसंपत्ति	-	-
ज.	विलंब भुगतान प्रभार के कारण प्राप्य	-	-
झ.	वसूलीयोग्य राशि	-	-
ञ	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		
	- अनुषंगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम (देखें टिप्पणी 3.4.4)	-	-
	कुल	13,772,040	23,468,920
3.4.1	संदिग्ध जमाओं के लिए हानि भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-

3.4.2 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा में शून्य रुपए (गत वर्ष 1,00,00,000 रुपए) की राशि शामिल है जिसे विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि मुहैया करवाने के लिए लिया गया है।

3.4.3 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 4 गैर-वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	-
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	-
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या -23 देखें)	633,450	8,343,104
कुल	633,450	8,343,104

टिप्पणी सं. 5 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. पूंजी अग्रिम		
- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	367,034,917	122,639,442
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के प्रति	5,095,456,789	3,421,431,727
- अन्य	803,397,094	432,257,532
घटाएं - उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के चलते बुक किया गया व्यय	-	196,727
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-
उप जोड़	6,265,888,800	3,976,131,974
ख. पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
i) जमा		
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की	-	-

	गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय		
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ग.	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	34,402,685	562,534,868
घ.	अन्य		
i)	पूँजीगत कार्यों के लिए माध्यस्थम पंचाट के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	संविदाकारों को जारी - अन्य	-	-
	न्यायालय के साथ जमा	-	-
	उप जोड़	-	-
ii)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
iii)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां/व्यय	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
	उप जोड़	-	-
iii)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	120,571	237,057
	कुल	6,300,412,056	4,538,903,899
5.1	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष		
5.2	संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	
	अंतिम शेष	-	-
5.3	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम।	-	-
5.4	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है।	-	-
5.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 मालसूची

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित)		
	भंडार और कलपुर्जे	-	-
	पारगमन में होने वाले/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-
	खुले उपकरण	-	-
	स्क्रेप मालसूची	-	-
	स्थल पर सामग्री	-	-
	संविदाकारों/फैब्रिकेटर को जारी की गई सामग्री	-	-
	कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ प्रमाणित कार्बन यूनिट (वीसीयू)	-	-
	घटाएं : अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी (टिप्पणी 6.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
6.1	अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 6.1.1 देखें)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
6.1.1	वर्ष के दौरान, मालसूची को निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) पर पश्चलेखित किया गया और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।	-	-
6.1.2	पिछले वर्षों में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और मूल्यहास के लिए भत्ते ।	-	-

टिप्पणी सं. 7 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - व्यापार प्राप्य

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	- व्यापार प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.2, 7.3, 7.4 और 7.6 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य-बिल नहीं किए गए - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.4 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य- क्रेडिट बाधित (टिप्पणी 7.2, 7.3 और 7.4 देखें)	-	-
	घटाएं : व्यापार प्राप्य के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 7.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
7.1	व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के साथ या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	-	-
7.3	उपरोक्त बिंदु 7.2 पर सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	-	-
7.4	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-7 का अनुबंध-। देखें।		
7.5	वर्तमान प्राप्तियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनकी वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान मानी जाती है।		
7.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध-।

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं.8 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान- नकद और नकद समकक्ष

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1.	बैंकों के साथ शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i)	- चालू खाते में	371,547,039	49,490,654
ii)	- जमा खाते में		
	(तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	4,435,000,000	3,893,800,000
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	भूटान	-	-
ख.	चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
ग.	हस्तगत नकदी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
	कुल	4,806,547,039	3,943,290,654

8.1	हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं।	-	-
-----	---------------------------	---	---

टिप्पणी 9: वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	3 महीने से अधिक 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा	2,356,500,001	6,561,155,104
ख.	जमा-अदा न किया गया लाभांश	-	-
ग.	जमा-अदा न किया गया ब्याज		
घ.	बैंकों के पास अन्य निर्दिष्ट शेष	-	-
	कुल	2,356,500,001	6,561,155,104

टिप्पणी सं. 10 वित्तीय आस्तियां - चालू - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) (टिप्पणी 34(8) और 10.2 देखें) *	-	-
	- ऋण प्राप्य- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी ऋण (उपार्जित ब्याज सहित) (टिप्पणी 10.4 देखें)		
	- ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	170,498	201,271
	- ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	3,614,184	2,654,960
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	3,784,682	2,856,231
ग.	ग्राहक से देय राशि के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		
	- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	अनुषंगियों/संयुक्त उपक्रमों को अग्रिम	-	-
	कुल	3,784,682	2,856,231
10.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि	-	-

	बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।		
	*चुकौती का विवरण:-		
	*व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण को दर्शाता है।		
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
10.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ता	-	
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.5	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	-	-
10.6	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

(राशि रुपये में)

टिप्पणी सं. 11 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - अन्य

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत		
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 11.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	वसूली योग्य राशि	12,224,087,907	754,543,179
	घटाएं: संदिग्ध वसूली योग्य राशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	12,224,087,907	754,543,179
ग.	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ.	विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य घटाएं : विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों पर क्षति भत्ता	-	-
ङ	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा)	-	-
च.	बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज आय (टिप्पणी 11.3 देखें)	54,777,509	58,440,042
छ.	वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ज.	लाभार्थी से वसूली योग्य ब्याज	-	-
झ.	निवेश पर अर्जित ब्याज (बांड)	-	-
ञ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि		
	- मूलधन	-	-
	- ब्याज	-	-

ट.	ग्राहकों से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर अर्जित ब्याज	-	-
ठ.	डेरिवेटिव एमटीएम परिसंपत्ति	-	-
ड.	मूल कंपनी - एनएचपीसी लिमिटेड से वसूली योग्य दावा	-	-
	कुल	1,278,865,416	812,983,221
11.1	संदिग्ध जमा पर क्षति भत्ता		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
11.2	वसूली योग्य राशि - इसमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को " केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य के सामान और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि शामिल है, जो कश्मीर में पकलदुल एचईपी, किरु एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसओ 281 दिनांकित 17.08.2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर इसके द्वारा अदा की गई नकदी सहित कंपनी के जीएसटीआर 2ए में प्रदर्शित आपूर्तिकारों के बीजकों की सीमा तक है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पहले के वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे भी पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूली योग्य राशि में शामिल किया गया है।	1,214,069,239	745,767,880
11.3	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		

	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.4	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.5	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।		
11.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	वर्तमान कर परिसंपत्ति		
क.	स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	44,335,825
ख.	घटाएं : वर्तमान कर का प्रावधान	-	44,330,651
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख)	-	5,174
	वापसी योग्य आयकर	-	-
	कुल	-	5,174

टिप्पणी सं. 13 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
क)	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा उठाई गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी 13.8 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	16,956,536	8,124,995
	उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	16,956,536	8,124,995
ग)	अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 13.7 देखें)	398,288	120,742
	उप जोड़	398,288	120,742
घ)	अर्जित ब्याज		
	अन्य		

	- अच्छे माने गए	218,958,405	-
	- संदिग्ध माने गए	-	-
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	218,958,405	-
ख.	अन्य		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	-	-
	घटाएँ : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षारत हानियां	-	74,554
	घटाएं : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.5 देखें)	-	74,554
	उप जोड़	-	-
ग)	प्रगतिधीन कार्य		
	प्रगतिधी निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
	प्रगतिधीन परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
घ)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	7,447,303	8,971,166
ड)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	53,436	13,330
च)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
ज)	अधिशेष/ अप्रचलित परिसंपत्ति (टिप्पणी 13.9 देखें)	332,633	889,281
झ)	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य	216,586	186,050
	घटाएं: माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.6 देखें)	-	-

	उप जोड़	216,586	186,050
ज)	अन्य (मुख्य रूप से ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण)	-	-
	कुल	244,363,187	18,305,564

13.1	संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.2	संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता)		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.3	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.4	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		

	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.5	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	74,554	74,554
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	74,559	74,554
13.6	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्त के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.7	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण और अग्रिम।		
13.8	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।		
13.9	निपटान के लिए धारित अधिशेष आस्तियां/अप्रचलित आस्तियां बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर दिखाई जाती हैं।		
13.10	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	नियामक विलंबित लेखा शेष		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	घटाएं : प्रावधान किया गया	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख.	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ग.	टैरिफ को मद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यहास		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	घटाएं : प्रावधान किया गया	-	-
	अंतिम शेष	-	-

घ.	मौद्रिक मदों के लिए विनिमय हानि		
	प्रारंभिक शेष	1,059,609	61,040
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	4,577,499	998,569
	वर्ष के दौरान समायोजित		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	5,637,108	1,059,609
ङ	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए विलंबित कर प्राप्य के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
च.	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उससे आगे के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	5,637,108	1,059,609
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	-	-
	जोड़े : लाभार्थियों से प्राप्य विलंबित कर	-	-
	विलंबित कर का निवल नियामक विलंबित कर शेष	5,637,108	1,059,609

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-34 (17) और 34(22) देखें।

टिप्पणी सं. 14.2 नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	मैट क्रेडिट		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी: 15.1 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/-)	5200000000	52,000,000,000	5200000000	52,000,000,000
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/)	3692391286	36,923,912,860	3336451286	33,364,512,860

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

प्रारंभिक शेष	3336451286	33,364,512,860	2479780000	24,797,800,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों/शेयर पूंजी की संख्या	355940000	3,559,400,000	856671286	8,566,712,860
घटाएं:- अवधि/ वर्ष के दौरान शेयरों का पुनर्खरीद	-	-	-	-
अंतिम शेष	3692391286	36,923,912,860	3336451286	33,364,512,860

15.1.2 कंपनी ने शेयरधारकों को शेयरधारिता के अनुपात में मत के अधिकार वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मत अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं।
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 5 प्रतिशत से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर और धारित शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नीचे दी गई है :-

	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	संख्या	(%) में	संख्या	(%) में
i) एनएचपीसी लिमिटेड	1947391286	52.74%	1839451286	55.13%
ii) जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1745000000	47.26%	1497000000	44.87%
iii) पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0.00%	0	0.00%
	3692391286	100.00%	3336451286	100.00%

15.1.4 31 मार्च 2023 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	1947391286	52.74%	-2.39%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1745000000	47.26%	2.39%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0.00%	0.00%

15.1.5 31 मार्च 2022 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	1839451286	55.13%	3.20%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	1497000000	44.87%	-3.03%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0	-0.16%

टिप्पणी सं. 15.2 अन्य इक्विटी

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(i)	आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,000,000,000	2,438,800,000
	जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	4,806,300,000	7,127,912,860
	घटाएं : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	3,559,400,000	8,566,712,860
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	2,246,900,000	1,000,000,000
(ii)	पूंजी मोचन आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iii)	बांड मोचन आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित आय में स्थानांतरण		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iv)	सामान्य आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(v)	अधिशेष/प्रतिधारित आय		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	540,073,245	493,359,547
	जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	251,454,636	46,713,698
	जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय		
	जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरण		
	घटा: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	791,527,881	540,073,245
(vi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-ऋण लिखत		

	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(vii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-इक्विटी लिखत		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
	कुल	3,038,427,881	1,540,073,245

15.2.1 भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

- (i) सामान्य आरक्षित : सामान्य आरक्षित का उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय ये लाभों के अंतरण के लिए किया जाता है क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है।
- (ii) अधिशेष/प्रतिधारित आय : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी के अविभाजित लाभ/ संचित आय की राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल है।

टिप्पणी सं. 15.3 कारपोरेट कार्यालय से निधि (अंतरण लेखा)

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	कारपोरेट कार्यालय से निधि	30,192,338,763	21,811,601,338
	सीओ (जम्मू)	3,758,188,811	1,903,342,178
	दुलहस्ती	-	-
	पकल दुल	(7,521,244,883)	(5,417,408,803)
	किरु	(2,638,403,979)	(1,824,524,665)

	क्वार	(1,345,859,162)	(618,040,498)
	चेक भुगतान लेखा	9,276,399,153	6,693,150,000
	सीओ (जम्मू)	-	-
	दुलहस्ती (चरण- II)		
	पकलदुल	(21,784,815,703)	(16,730,816,550)
	कीरू	(7,483,972,000)	(5,097,472,000)
	क्वार	(2,452,631,000)	(719,831,000)
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 16.1 वित्तीय दायित्व - गैर वर्तमान - ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	परिशोधित लागत पर		
क.	- प्रतिभूत ऋण		
	-बॉन्ड	-	-
	-सावधि ऋण	-	-
	- बैंकों से	-	-
	- अन्य (वित्तीय संस्थानों) से	-	-
ख.	- अप्रतिभूत ऋण		
	-सावधि ऋण		
	- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) (देखें टिप्पणी 16.1.3)	3,845,467,174	2,081,334,005

	- बैंक . से	-	-
	- अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	-	-
ग.	मूल कंपनी से ऋण		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत (देखें टिप्पणी 16.1.4)		
	कुल	3,845,467,174	2,081,334,005
16.1.1	ऋण अनुबंध : पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।		
16.1.2	मोचन, चुकौती और प्रतिभूतियों का विवरण:-		
	पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष से शुरू किया जाएगा और 19वें वर्ष तक जारी रहेगा अर्थात जुलाई 2033 से, परियोजना के पूरा होने के बाद ब्याज @ 1% प्रति वर्ष लिया जाएगा।		
16.1.3	सावधि ऋण - भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) उचित मूल्यांकन का निवल है। आहरित वास्तविक अधीनस्थ ऋण 1023,49,00,000/- रूपए (गत वर्ष 598,57,00,000/- रूपए) है।		
16.1.4	ऋण का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार

	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम		
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
	5 वर्ष से अधिक	10,234,900,000	5,985,700,000
	कुल	10,234,900,000	5,985,700,000

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर-वर्तमान - पट्टा देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पट्टा देयताएं	5,472,320	5,544,743
	कुल	5,472,320	5,544,743
16.2.1	पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	5,671,356	5,797,336
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		

	5 वर्ष से अधिक		
	कुल	5,671,356	5,797,336
16.2.2	पट्टा देयता में संचलन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	प्रारंभिक शेष	12,905,470	15,450,707
	पट्टा देनदारियों में वृद्धि	11,038,544	8,394,301
	वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	841,808	933,293
	घटाएं : पट्टा देनदारियों का भुगतान	9,846,503	11,872,831
	अंतिम शेष	14,939,319	12,905,470
	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.2 देखें)	9,466,999	7,360,727
	पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	5,472,320	5,544,743

टिप्पणी सं. 16.3 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बाण्ड के प्रति देय		
	- मूलधन	-	-
	प्रतिधारण राशि	11,745,807	32,225,109

	विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	-	-
	व्युत्पन्न देयता	-	-
	कुल	11,745,807	32,225,109
16.3.1	प्रतिधारण राशि का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर जमा/प्रतिधारण राशि की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	11,324,967	262,520
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	559,228	42,013,233
	5 वर्ष से अधिक	-	-
	कुल	11,884,195	42,275,753

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	<u>दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	95,267,518	64,671,505
	वर्ष के दौरान वर्धन	23,943,797	30,596,013
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	119,211,315	95,267,518

ख.	अन्य		
i)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ii)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iii)	प्रावधान-अन्य		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	119,211,315	95,267,518

17.1 प्रावधानों के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (18) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	विलंबित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
ग)	अन्य मर्दे	-	-
	विलंबित कर देयता	-	-
	घटाएं: - प्रावधानों को समायोजित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों का समायोजन		
क)	कर्मचारी लाभ योजना, संदिग्ध ऋण, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
ख)	अन्य मर्दे	-	-
ग)	मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
	आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	अग्रिम में प्राप्त आय- मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	6,672,647,720	3,956,533,287
	कुल	6,672,647,720	3,956,533,287

19.1	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान)	3,956,533,287	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,716,114,433	3,956,533,287
	घटाएं: लाभ और हानि के विवरण को अंतरित (टिप्पणी 24.2 देखें)		
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	6,672,647,720	3,956,533,287
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (वर्तमान)- (टिप्पणी संख्या-21 देखें)	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	6,672,647,720	3,956,533,287
19.1.1	अनुदान में शामिल हैं:-		
	पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया।	6,672,647,720	3,956,533,287

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
	बैंकों से - प्रतिभूत	-	-
ख.	अन्य ऋण		
	बैंक से - प्रतिभूत	-	-
ग.	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
	- बॉन्ड	-	-
	- सावधि ऋण -बैंक-प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण -बैंक-अप्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण - वित्तीय संस्थान-प्रतिभूत	-	-
	- अप्रतिभूत-सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	-	-

	- अन्य-अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	-	-
	उप जोड़ (ग)	-	-
घ.	मूल कंपनी से ऋण		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 20.2 पट्टा देयताएं - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 16.2.2 देखें)	9,466,999	7,360,727
	कुल	9,466,999	7,360,727

टिप्पणी सं. 20.3 देय व्यापार - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम (उद्यमों) की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.1 देखें)	11,976,165	9,042,014
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.3 देखें)	20,376,950	74,153,951
	कुल	32,353,115	83,195,965
20.3.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	11,976,165	9,042,014
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) के तहत दिया गया है।		
20.3.2	व्यापार देयों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-20.3 का अनुबंध-1 देखें।		
20.3.3	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों के कुल बकाया देयों में मूल कंपनी को देय		

	शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) शामिल है।
20.3.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
बॉण्ड आवेदन राशि	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.3)	1,679,491,310	620,469,470
जमा	-	-
पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.1)	320,909	4,099,842
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति देयता दायित्व	2,021,451	2,242,494
ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	-	-
उपार्जित और ऋण पर देय ब्याज	-	-
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बॉण्ड के प्रति देय		
- मूल धन	-	-
- ब्याज	-	-
धरोहर राशि जमा / प्रतिधारण राशि	216,540,916	121,750,295
मूल/ सहायक कंपनियों के कारण	15,673,895	552,379,877
शेयर आवेदन राशि के लिए देयता - वापसी योग्य सीमा तक	-	-
अदा न किया गया लाभांश (देखें टिप्पणी 20.4.1)	-	-
अदा न किया गया ब्याज (देखें टिप्पणी 20.4.1)	-	-

	विलंब भुगतान अधिभार हेतु देय	-	-
	कर्मचारियों को देय	4,627,703	1,880,324
	अन्यों को देय	456,536	349,176
	कुल	1,919,132,720	1,303,171,478
20.4.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	320,909	4,099,842
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया ब्याज	-	-
20.4.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) में दिया गया है।		
20.4.2	“अदा न किया गया लाभांश” और “अदा न किया गया ब्याज” में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बाण्ड निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की राशि को उसमें अंतरित कर दिया गया है। और वर्ष के दौरान, 3.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपए) के अप्रदत्त लाभांश को भुगतान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को किया गया है। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।		
20.4.3	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता में मूल कंपनी को देय 4,98,62,477/- रुपए की राशि शामिल है।		
20.4.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध-1

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	9837713	64177	2074275				11976165
(2) अन्य	9185346	74060	10841910	35000	240634		20376950

(3) विवादित देय - एमएसएमई								0
(4) विवादित देय - अन्य								0
कुल	19023059	138237	12916185	35000	240634	0	32353115	

31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	0	9042014	0	0	0	0	9042014
(2) अन्य	6236583		67254653	340634	0	322081	74153951
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
कुल	6236583	9042014	67254653	340634	0	322081	83195965

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
जमा/एजेंसी आधार कार्यों पर अव्ययित राशि कार्य	-	-
देय जल उपयोग शुल्क	-	-
देय होने वाली सांविधिक देनदारियां	161,682,969	95,287,002
अनुबंध देयताएं-जमा कार्य	-	-
अनुबंध देयताएं-परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संबंध	-	-

में वसूली योग्य राशि का प्रावधान		
ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	-	-
सरकार से सहायता-अनुदान - आस्थगित आय से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या-19.1 देखें)	-	-
कुल	161,682,969	95,287,002

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	<u>दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,643,724	3,074,905
	वर्ष के दौरान वर्धन	3,242,664	2,643,724
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई/ अंतरित राशि	2,643,724	3,074,905
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	3,242,664	2,643,724
ii)	<u>वेतन संशोधन के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	-	-
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
iii)	<u>निष्पादन संबंधी वेतन/ प्रोत्साहन के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	80,388,118	97,891,699
	वर्ष के दौरान वर्धन	96,569,257	74,325,179
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	89,793,197	89,036,937
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	42,525	2,791,823
	अंतिम शेष	87,121,653	80,388,118
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	1,272,879	-
	अग्रिम का निवल अंतिम शेष	85,848,774	80,388,118

iv)	सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
v)	वेतन संशोधन का प्रावधान- तीसरी वेतन संशोधन समिति		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
ख.	अन्य		
i)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
ii)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,216,573,000	1,517,174,703
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	200,000,000	300,601,703
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	1,016,573,000	1,216,573,000

iii)	<u>बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
iv)	<u>आजीविका सहायता का प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
v)	<u>माध्यस्थम पंचाट/ न्यायालय मामलों के संबंध में प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
vi)	<u>प्रावधान- अन्य</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	1,105,664,438	1,299,604,842

22.1	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।
------	--

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	78,969,812	210,022,984
	वर्ष के दौरान वर्धन	134,534,873	78,969,812
	वर्ष के दौरान समायोजित की गई	78,969,812	44,330,639
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		165,692,345
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई		
	वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	134,534,873	78,969,812
	घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	135,168,323	87,312,916
	निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	(633,450)	(8,343,104)
	(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-4 के अधीन प्रकट की गई)	633,450	8,343,104
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 प्रचालनों से राजस्व

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन राजस्व		
क.	बिक्री		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	मूल्यहास पर अग्रिम - अवधि के दौरान पश्चलेखित	-	-
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	-
	उप-जोड़ (i)	-	-
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के कारण बिक्री समायोजन	-	-
	टैरिफ समायोजन	-	-
	विनियमित विद्युत समायोजन	-	-
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित)	-	-
	ग्राहकों को छूट	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
	उप - जोड़ (क) = (i -ii)	-	-
ख.	वित्त पट्टे से आय	-	-
ग.	प्रचालन पट्टे से आय	-	-
घ.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व		

	अनुबंध आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	उप - जोड़ (घ)	-	-
ड	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	घटाएं : ग्राहकों को छूट		
	व्यापार अंतर	-	-
	उप - जोड़ (ई)	-	-
	उप-जोड़-I (क+ख+ग+घ+ड)	-	-
च.	अन्य प्रचालन राजस्व		
	स्व-उत्पन्न वीडिआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	-
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	-	-
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	-	-
	उप-जोड़-II	-	-
	कुल (I+II)	-	-

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय		
	-एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश-गैर कर योग्य	-	-

	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- कर योग्य	-	-
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5% कर मुक्त बांड) जारीकर्ता	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता	534,213,410	313,770,710
	- कर्मचारी के ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	163,903	189,826
	- ठेकेदारों को अग्रिम	565,305,269	393,309,054
	- अन्य	333,928	-
ख)	लाभांश आय		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी 34.8 देखें)	-	-
	- लाभांश - अन्य	-	-
ग)	अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय को सीधे आरोप्य व्यय का निवल)		
	विलंब भुगतान अधिभार	-	-
	व्यापार में बाधा के कारण हानि की वसूली	-	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-
	बीमा दावे से आय	-	-
	देयताएं/क्षति भत्ते/पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं होने वाले प्रावधान (टिप्पणी 24.2.1 देखें)	126,983	952,784
	ठेकेदार को जारी सामग्री		
	(i) ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	-	-
	(ii) ठेकेदारों को वसूली योग्य आधार पर	-	-

	जारी सामग्री की लागत		
	(iii) ठेकेदार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	-	-
	सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी 19 देखें)	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	-	-
	व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ	-	-
	अन्य	14,369,620	19,177,183
	उप जोड़	1,114,513,113	727,399,557
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	1,114,513,113	727,399,557
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	579,844,042	413,518,540
	घटाएं: ग्राहक/ ठेकेदारों से अग्रिम/जमा को अंतरित और जमा कार्यों के प्रति	-	-
	घटाएँ: अन्य आय का अनुदान में अंतरण	-	-
	कुल	534,669,071	313,881,017

24.2.1	देयताओं/हानि भत्तों/पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों का विवरण		
1)	खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते		
2)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		
3)	राज्य सरकार को खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		
4)	खराब और संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए		

	भत्ते		
5)	मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और ह्रास के लिए भत्ते		
6)	व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		
7)	खराब और संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते		
8)	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
9)	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
10)	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
11)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
12)	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
13)	दीर्घावधि लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
14)	पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
15)	टैरिफ समायोजन का प्रावधान		
16)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
17)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
18)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान		
19)	तीसरी पीआरसी के लिए प्रावधान		
20)	अन्य	126,983	952,784
	कुल	126,983	952,784

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद - व्यापार

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	-	-
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 25.2 उत्पादन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जल उपयोग शुल्क	-	-
भंडार और कलपुर्जा की खपत	-	-
उप जोड़	-	-
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	742,922,189	616,982,008
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	105,483,299	81,392,717
कर्मचारी कल्याण व्यय	52,066,479	55,506,775

	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	उप जोड़	900,471,967	753,881,500
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	(32,832)
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	900,471,967	753,848,668
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	789,050,358	619,869,310
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	111,421,609	133,979,358

26.1	कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास के लिए पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
26.2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान में निम्नलिखित शामिल हैं:	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	47,331,851	39,389,831
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के प्रति	46,963,439	30,831,516
26.3	वेतन और मजदूरी में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल है।		
26.4	कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के आर एण्ड डी क्रियाकलापों में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।		

टिप्पणी सं. 27 वित्त लागत

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
	बॉण्ड	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	भारत सरकार ऋण	-	-
	अल्पकालिक ऋण	-	-
	नकद ऋण सुविधाएं / डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज शुल्क	-	-
	पट्टा देयताएं	841,808	933,293
	छूट की समाप्ति-भारत सरकार ऋण	231,047,602	52,167,292
	उप जोड़	231,889,410	53,100,585
ख.	अन्य ऋण लागत		
	कॉल स्प्रेड/कूपन अदला-बदली	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-

	अन्य वित्त शुल्क	895	659
	छूट को समाप्त करना - प्रावधान और वित्तीय देनदारियों	1,738,348	2,219,088
	उप जोड़	1,739,243	2,219,747
ग.	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू शुद्ध (लाभ) / हानि		
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियों को अंतरित	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	आयकर पर ब्याज	-	-
	कुल (क + ख + ग + घ)	233,628,653	55,320,332
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	कुल	233,628,653	55,320,332
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	233,471,790	55,025,053
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	156,863	295,279

टिप्पणी संख्या 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	99,025,629	44,875,199
	मूल्यहास-उपयोग का अधिकार	103,127,551	104,232,866
	परिशोधन-अमूर्त परिसंपत्तियां	1,105,892	1,474,181
	विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 19 और 5(घ)(ii) देखें)	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): अन्य यूनिटों को/से आवंटित मूल्यहास	-	-
	उप जोड़	203,259,072	150,582,246
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	197,246,561	140,036,063
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	6,012,511	10,546,183

टिप्पणी सं. 29 अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ख.	मरम्मत और रखरखाव		
	- भवन	87,040,083	66,474,931
	- मशीनरी	-	-
	- अन्य	13,598,736	6,706,019
ग.	अन्य व्यय		
	किराया	28,429,353	56,796,234
	किराया प्रभार	21,055,443	5,803,123
	दरें और कर	5,497,646	10,568,624
	बीमा	734,034	786,496
	सुरक्षा व्यय	29,958,195	34,741,482
	विद्युत प्रभार	9,187,965	9,163,614
	यात्रा और परिवहन	17,785,830	10,759,171
	वाहनों पर व्यय	8,382,602	5,773,429
	टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	8,642,154	7,070,795
	विज्ञापन और प्रचार	1,932,177	3,781,417
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	710,931	1,124,682
	मुद्रण और लेखन सामग्री	3,681,842	2,886,807
	परामर्श शुल्क - देशीय	248,424,292	252,384,821
	परामर्श शुल्क - विदेशी	-	-
	लेखापरीक्षा व्यय (टिप्पणी 29.3 देखें)	649,000	236,000
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय संबंधी व्यय	6,443,300	1,125,000
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व	27,408,932	16,120,731

	में नहीं है		
	आस्तियों पर हानि (निवल)	1,101,871	70,405
	बीमा दावों से क्षति	-	-
	दान	25,000	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 34(13) देखें)	2,093,137	2,554,121
	सामुदायिक विकास व्यय	-	-
	निदेशकों का बैठक शुल्क	-	-
	माध्यस्थम/न्यायालय मामलों पर ब्याज	-	-
	लाभार्थी को ब्याज	-	-
	स्व-उत्पन्न किए गए वीडिआर/आरईसी पर व्यय	-	-
	विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-	-
	घटाएं: - विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	3,701,337	998,569
	प्रशिक्षण व्यय	871,674	315,508
	याचिका शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अन्य शुल्क - सीईआरसी / आरएलडीसी / आरपीसी / आईईएक्स / पीएक्सआईएल को	-	4,825
	केन्द्रीय विद्यालय के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अन्य विद्यालयों के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन/चालन व्यय	-	-
	डीजी सेट-आवासीय के अलावा अन्य परिचालन व्यय	-	-
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि	-	-
	व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-

	अन्य सामान्य व्यय	83,434,688	13,018,776
	उप जोड़	610,790,222	509,265,580
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	(1,318,361)
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	610,790,222	507,947,219
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	573,040,474	463,571,975
	घटाएं : जमा कार्यों/राज्य सरकार से वसूली योग्य	2,083,670	-
	घटाएं: पुनर्खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
	उप-जोड़ (i)	35,666,078	44,375,244
ड.	प्रावधान/क्षति भत्ता		
	व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति भत्ता	-	-
	प्रत्याशित ऋण हानि के लिए क्षति भत्ता - व्यापार प्राप्तियां	-	-
	अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	-	-
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जो/निर्माण भंडार के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जो में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति भत्ता	-	-
	परियोजना व्यय के लिए भत्ता	-	-
	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ता	-	-
	स्व-निर्मित वीडिआर की मालसूची के	-	-

	मूल्य में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता		
	कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए भत्ता	-	-
	लाभार्थियों को ब्याज (टिप्पणी 29.2 देखें)	-	-
	न्यायालय/मध्यस्थता निर्णय के प्रति ब्याज	-	-
	अन्य	-	-
	उप जोड़	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	-	-
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
		-	-
	कुल (i+ii)	35,666,078	44,375,244
29.1	पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
29.2	सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 21.02.2014 के तहत कंपनी द्वारा दायर ड्रइंग-अप आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश की अधिसूचना लंबित होने के चलते, लाभार्थी राज्यों को ब्याज के लिए वर्ष के दौरान बहियों में बताई गई राशि प्रदान की गई है, जिसका उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी मामले में भुगतान करना पड़ सकता है।		
			(राशि रुपये में)
29.2	लेखापरीक्षा व्यय का विवरण निम्नवत है:-	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

	i) सांविधिक लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षक के रूप में		
	लेखापरीक्षा शुल्क	472,000	236,000
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	-	-
	कंपनी कानून मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	177,000	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	ii) लागत लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	iii) माल और सेवा कर (जीएसटी)		
	लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	649,000	236,000
29.3	किराए में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं।		
(i)	एक माह या उससे कम की पट्ट अवधि के अलावा अन्य अल्पकालिक पट्टों पर व्यय	24,072,846	43,716,338
(ii)	कम मूल्य की संपत्ति के दीर्घकालिक पट्टे पर व्यय	-	7,193,095
(iii)	पट्टा देनदारियों के माप में शामिल नहीं होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	4,356,507	5,886,801

टिप्पणी सं. 30.1 कर व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	134,534,873	78,969,812
पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन	-	12
कुल वर्तमान कर व्यय	134,534,873	78,969,824
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
- मेट क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	-	-
आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि (कमी)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	-	-
निवल आस्थगित कर	-	-
कुल	134,534,873	78,969,824

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं : रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आयकर	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन	-	-
-नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में संचलन- रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं: नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्व (कर का निवल) और नियामक आस्थगित लेखा शेष (क) का पुनर्मापन	-	-
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-
घटाएं : इक्विटी लिखतों पर आयकर	-	-
उप जोड़ (ख)	-	-
कुल (i)=(क)+(ख)	-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
- ऋण लिखतों में निवेश	-	-
घटाएं: ऋण लिखतों में निवेश पर आयकर	-	-
कुल (ii)	-	-
कुल =(i+ii)	-	-

टिप्पणी सं. 31 नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	-
(ii)	टैरिफ को मंद किए जाने के कारण मूल्यहास	-	-
(iii)	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	4,577,499	998,569
(iv)	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन	-	-
(v)	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उसके बाद के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	-	-
(vi)	मैट क्रेडिट	-	-
	कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	4,577,499	998,569
	विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
	घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	-	-
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
	कुल	4,577,499	998,569

टिप्पणी सं. 32 वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	उत्पादन व्यय		
	भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी लाभ व्यय		
	वेतन और मजदूरी	494,180,846	417,908,696
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशादान	72,634,763	56,128,291
	कर्मचारी कल्याण व्यय	29,016,769	36,325,445
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	उप जोड़	595,832,378	510,362,432
ग.	वित्त लागत		
	निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी 2.2.3 देखें)		
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
		-	-
	नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर को	-	-
	हेजिंग लेनदेन पर हानि	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-

	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	895	659
	ईएसी को व्यय का हस्तांतरण- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	231,047,602	52,167,292
	ईएसी को व्ययों का अंतरण -सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रतिधारण धन-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2,062,454	2,561,824
	ईएसी को व्यय का अंतरण- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	-	-
	ईएसी-प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय में व्यय का अंतरण-समय मूल्य के लिए समायोजन	-	-
	उप जोड़	233,110,951	54,729,775
घ.	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	183,415,804	129,489,884
	उप जोड़	183,415,804	129,489,884
ड	अन्य व्यय		
	मरम्मत और रखरखाव :		
	-भवन	54,338,145	40,836,203
	-मशीनरी	-	-
	-अन्य	10,870,184	3,830,370
	किराया और किराया प्रभार	49,075,435	62,440,487
	दरें और कर	1,102,264	1,485,971
	बीमा	132,076	133,664
	सुरक्षा व्यय	20,179,894	25,116,433
	विद्युत शुल्क	4,619,219	4,937,229
	यात्रा और परिवहन	11,208,269	7,721,118
	वाहनों पर व्यय	4,261,712	2,079,901
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	6,583,768	5,191,145
	विज्ञापन और प्रचार	84,084	1,180,000
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	-	-

	मुद्रण और लेखन सामग्री	1,822,538	1,707,389
	डिजाइन और परामर्श शुल्क:		
	- देशीय	247,097,215	250,580,348
	- विदेशी	-	-
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय पर व्यय	6,443,300	1,125,000
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी से संबद्ध नहीं है	27,408,932	16,120,731
	बट्टे खाते में डाले गए संपत्तियां/दावे	-	25,031
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	-
	संपत्ति की बिक्री पर हानि	830,041	282,001
	अन्य सामान्य व्यय	77,966,658	7,572,618
	विनिमय दर भिन्नता (डेबिट)	-	-
	उप जोड़	524,023,734	432,365,639
च.	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	-	-
छ.	कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	अन्य आय	(231,814)	(1,498,933)
	अन्य व्यय	49,016,740	31,206,336
	कर्मचारी लाभ व्यय	193,217,980	109,506,878
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	13,830,757	10,546,179
	वित्त लागत	360,839	295,278
	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	256,194,502	150,055,738
ज.	घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां		
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	-	-
	ऋण और अग्रिम पर ब्याज	565,347,439	393,366,453
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-

	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	119,983	260
	विविध प्राप्तियां	14,144,806	18,638,042
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - सुरक्षा जमा		14,852
	ईएसी को आय का अंतरण - व्युत्पन्न पर एमटीएम लाभ		-
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर		-
	उप जोड़	579,612,228	412,019,607
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) (टिप्पणी 2.2 देखें)	1,212,965,141	864,983,861

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

		(राशि रूप में)						
		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को				
	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	गैर-वर्तमान निवेश							
क)	इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1						
ख)	ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत	3.1						
	उप जोड़							
(ii)	व्यापार प्राप्य	3.2						
(iii)	ऋण							
क)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3			-			
ख)	कर्मचारी	3.3			898,022			892,903
ग)	सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			-			
घ)	अन्य	3.3			-			
(iv)	अन्य							
	जमा	3.4			13,772,040			13,468,920

कुल वित्तीय परिसंपत्तियां					8,460,367,200	-	-	11,344,647,033
---------------------------	--	--	--	--	---------------	---	---	----------------

	वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को			
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	वित्तीय देयताएं		-	-				
(i)	दीर्घावधि ऋण	16.1			3,845,467,174			2,081,334,005
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			5,472,320			5,544,743
(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय)	16.3			11,745,807			32,225,109
(iv)	ऋण - अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			-			-
(v)	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			9,466,999			7,360,727
(vi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			32,353,115			83,195,965
(vii)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क)	ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			-			-

ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	20.4	1,919,132,720	1,303,171,478
	कुल वित्तीय देयताएं		5,823,638,135	3,512,832,027

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है

स्तर-1 : स्तर-1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकते योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को			(राशि रूप में)
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	
(i) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां								
निवेश -								
- इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	-			-			
- ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत*	3.1	-			-			
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4					0		
कुल		-	-	-	-	-	-	

टिप्पणी :

* इन लिखतों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमीए) के तहत निकाला गया है।
अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है

(राशि रूप में)									
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को				
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3		
वित्तीय परिसंपत्तियां									
(i) व्यापार प्राप्य	3.2			-					
(ii) ऋण									
क) संबंधित पक्ष को ऋण	3.3		1150699			1192427			
ख) कर्मचारी	3.3		-			-			
ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)			0			0			
घ) अन्य	3.3			-					
(iii) अन्य									
सुरक्षा जमा	3.4								
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		13,772,040			13,468,920			
वसूलीयोग्य - अन्य	3.4		-			10,000,000			
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4	0			0				
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		0	14922739	0	0	24661347	0	0	0

	वित्तीय देयताएं								
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4							
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	-		9,427,148	0			34262251
	कुल वित्तीय देयताएं		0	0	9427148	0	0	0	34262251

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
(i) व्यापार प्राप्त्य	3.2	-	-	-	-
(ii) ऋण					
क) कर्मचारी	3.3	898,022	1,150,699	892,903	1,192,427
ख) संबंधित पक्ष को ऋण	3.3	-	-	-	-
ग) सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	-	-	-	-
घ) अन्य		-	-	-	-

(ii)	अन्य								
	सुरक्षा जमा		3.4	13,772,040	13,772,040	13,468,920	13,468,920		13,468,920
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		3.4	-	-	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	वसूलीयोग्य - अन्य		3.4	-	-	-	-		-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य		3.4	-	-	-	-		-
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां			14,670,062	14,922,739	24,361,823	24,361,823		24,661,347
	वित्तीय देयताएं								
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4		3,845,467,174	3,845,467,174	2,081,334,005	2,081,334,005		2,081,334,005
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3		11,745,807	9,427,148	32,225,109	34,262,251		34,262,251
	कुल वित्तीय देयताएं			3,857,212,981	3,854,894,322	2,113,559,114	2,113,559,114		2,115,596,256

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
 - उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।

- शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

2. स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर एनएचपीसी की भारित औसत दर पर।

3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्त्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनियम	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनियम दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनियम

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है

i. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

291

ii. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर

जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किशत आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा

ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	-	-
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	898,022	892,903
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (पट्टा प्राप्य और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	13,772,040	23,468,920
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	4,806,547,039	3,943,290,654
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	2,356,500,001	6,561,155,104
ऋण - वर्तमान	3,784,682	2,856,231
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	1,278,865,416	812,983,221
कुल (क)	8,460,367,200	11,344,647,033
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		

(राशि रूप में)

व्यापार प्राप्य	-	-
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	8,460,367,200	11,344,647,033

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:
(राशि रूप में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली राशि	योग्य प्राप्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2021 को शेष	-	-	-	-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-	-	-	-
01.04.2022 को शेष	-	-	-	-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष	-	-	-	-	-

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

- विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।
- i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।
- कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(राशि रूप में)		
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिवर्तनशील दर पर	-	-
स्थिर दर	-	-
कुल	-	-

- ii. **वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:**
नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2023 को

		(राशि रूप में)				
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	10,234,900,000	-	-	-	10,234,900,000
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	14,939,319	9,466,999	5,671,356	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	1,931,132,235	1,919,248,040	11,324,967	559,228	-
व्यापार देय	20.3	32,353,115	32,353,115	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		12,213,324,669	1,961,068,154	16,996,323	559,228	10,234,900,000

31 मार्च, 2022 को

		(राशि रूप में)				
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	5,985,700,000	-	-	-	5,985,700,000
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	12,905,470	7,360,727	5,797,336	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	1,345,592,599	1,303,316,846	262,520	42,013,233	-
व्यापार देय	20.3	83,195,965	83,195,965	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		7,427,394,034	1,393,873,538	6,059,856	42,013,233	5,985,700,000

(घ) बाजार जोखिम

संवदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i)

ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	भारत ब्याज दर (%)	औसत	भारत ब्याज दर (%)	औसत
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)				
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	7.72%		3,845,467,174	7.89%
नियत दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
कुल			3,845,467,174	2,081,334,005

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

(ii) **मूल्य जोखिम:**

(क) **संपर्क**

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत से संपर्क निम्नानुसार हैं :-

	(राशि रूप में)	
विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
इक्विटी लिखत	-	-
ऋण लिखत	-	-

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) **विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है

	(राशि रूप में)	
विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय देयताएं		

विदेशी मुद्रा ऋण		
अन्य वित्तीय देयताएं	229,209,560	50,766,074
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	229209560	50766074

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे संपर्क के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है। कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) कुल ऋण	3,860,406,493	2,094,239,475

(ख) कुल पूंजी (39,962,340,741	34,904,586,105
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.10	0.06

टिप्पणी: कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और आरक्षित शामिल हैं। कुल ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उसकी वर्तमान परिपक्वता सहित पट्टा देनदारियां, अल्पकालिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड के लिए देय शामिल हैं।

टिप्पणी सं. - 33(4) :- सीवीपीपीएल के वित्तीय अनुपात

क्रम सं.	विवरण	अंश	हर	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि	प्रतिशत अंतर	अंतर के कारण
1.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	2.69	4.07	(33.80)	वर्तमान अनुपात में कमी का कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कम इक्विटी शामिल किए जाने के कारण वर्तमान परिसंपत्ति में कमी के चलते है।
2.	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.10	0.06	61.00	इस अनुपात में वृद्धि का कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उप-ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि के चलते है।

3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
4.	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	कर पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.67	0.15	350.34	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।
5.	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	प्राप्य व्यापार टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत देनदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
7.	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात	क्रय	देय औसत व्यापार	9.55	1.43	567.83	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य वित्तीय देयताओं के लिए देय व्यापार के पुनर्समूहन के चलते है ।
8.	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	निवल लाभ	प्रचालनों से राजस्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
10.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पूर्व	नियोजित पूंजी (कुल)	0.76	0.31	148.74	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की

	(प्रतिशत में)	आय	परिसंपत्तियां- वर्तमान देयताएं)					तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।
11.	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	निवेशों से उत्पन्न आय	समय भारत औसत निवेश	लागू नहीं				

टिप्पणी 1 :- कंपनी को पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक के अनुपात में किसी परिवर्तन के कारण स्पष्टीकरण देना अपेक्षित होता है।

टिप्पणी संख्या - 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं -

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **240,21,02,010 रुपये** (पिछले वर्ष **143,26,66,095 रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **2,64,41,555 रुपये** (पिछले वर्ष **1,77,97,740 रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **8,41,07,851/- रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **231,79,94,159/- रुपये** (पिछले वर्ष **1,43,26,66,095/- रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) **विवादित कर मांग**

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) **अन्य**

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **3,07,125/- रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788/- रूपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **3,07,125/- रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788 रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	2402102010	84107851	2317994159	1432666095	885328064	84107851
2.	भूमि मुआवजा मामले	--	-	--	-	--	-

3.	विवादित कर मामले	--	-	--	-	--	-
4.	अन्य	307125	-	307125	532788	(225663)	(225663)
	कुल	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बहिर्प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **शून्य रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **79,38,932 रुपये** (पिछले वर्ष **79,38,932 रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/वर्तमान परिसंपत्तियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 13 भी देखें)।
- (च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालन के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- (छ) 31.03.2023 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :
- (राशि रूपए में)**

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	0	0	0	0	0	0
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	0	0	0	0	0	0
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)	0	0	0	0	0	0
4	अन्य	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188
	कुल	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **3,51,81,330 रूपये** (पिछले वर्ष **3,51,81,330 रूपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) अन्य मामले

प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाए गए अनुसार अन्य विविध मामलों के कारण दावों **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)			
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	115,52,53,07,584	92,46,65,15,009
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	1,41,43,102	1,41,43,102
	कुल	115,53,94,50,686	92,48,06,58,111

4. अन्य प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) : कोई नहीं।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :
(राशि रुपए में)

क्रम सं	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
		समाप्त अवधि के लिए	समाप्त अवधि के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	0	0
(ii)	ऋण लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि *	0	0
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि में समायोजित राशि	0	0
(iv)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मान्यता दी गई राशि	45,77,499	9,98,569

* हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव प्रचलित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019-24 के निबंधनों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। वर्ष के लिए उधारियों की लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर भिन्नता को कंपनी की उल्लेखनीय लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति (लाभार्थियों से वसूलीयोग्य) में स्थानांतरित किया जाता है।

6. प्रचालन खंड :

- क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है।
- ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

7. इंड एस-24 “संबंधित पक्ष प्रकटन“ के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) मूल कंपनी :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत
जेकेएसपीडीसी	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष - जेकेएसपीडीसी के नामिति
2.	श्री अतुल डुल्लू	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (04.05.2022 से पद पर नहीं रहे)
3.	श्री नीतीश्वर कुमार, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (22.09.2022 से पद पर नहीं रहे)
4.	श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (30.09.2022 से पद पर नहीं रहे)
5.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (20.10.2022 से पद पर नहीं रहे)
6.	श्री वाई के चौबे	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (02.03.2023 से पद पर नहीं रहे)
7.	श्री आर.पी.गोयल	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति
8.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (02.03.2023 से)

9.	श्री रजत गुप्ता	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (09.06.2022 से पद पर नहीं रहे)
10.	श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (27.06.2022 से)
11.	श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (21.12.2022 से)
12.	सुधीर आनंद	कंपनी सचिव, सीवीपीपीपीएल

(iii) रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत

(iv) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है जो क्रमशः केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	सीवीपीपीपीएल के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	मूल कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	एनएचपीसी	धारक कंपनी
3.	जेकेएसपीडीसी	कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले शेयरधारक
4.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	मूल कंपनी (जेकेएसपीडीसी) पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) एनएचपीसी के साथ लेन-देन और शेष

(राशि रुपये में)

लेन-देन	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
• एनएचपीसी	28,53,28,090	37,57,06,519
कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लाभांश		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	332,63,00,000	447,37,12,860
प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(राशि रुपये में)

शेष	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
निम्नलिखित से प्राप्त (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	6,55,36,372	61,89,83,167
निम्नलिखित द्वारा इक्विटी में निवेश (आवंटन लंबित)		

शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	1947,39,12,860	1839,45,12,860
निम्नलिखित से प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(ii) जेकेएसपीडीसी के साथ लेनदेन और शेष :-

(राशि रुपए में)

लेन-देन	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	148,00,00,000	265,42,00,000
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-

(राशि रुपए में)

शेष:-	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)	-	-
देय (अप्रतिभूत)	-	-
इक्विटी में निवेश	1745,00,00,000	1597,00,00,000
प्राप्य ऋण और अग्रिम	-	-
देय ऋण और अग्रिम	-	-

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेन-देन और शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2023 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार- पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	21,94,362/-	-	-	-	-	-	-
2. प्रबंध निदेशक							
हसन नदीम पैन:- ABGPH4911G	50,01,312/-	-	-	-	-	-	-
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	9,56,355/-	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	25,79,445/-	-	-	-	-	-	-

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2022 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार- पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	20,31,082/-	-	-	-	-	-	-

2. प्रबंध निदेशक							
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	44,42,998/-	-	-	-	-	-	-
ए के चौधरी पैन:- AADPC5489N	66,92,636/-	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	24,27,428/-	-	-	-	-	-	-

(iv) रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

राशि रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं (नाम)	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापिसी का निवल)		रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से शेष	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	8,95,650/-	9,27,100/-	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	2,96,86,264/-	2,42,28,404/-	-	-
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	7,77,225/-	6,60,875/-	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	2,87,26,130/-	2,81,61,005/-	-	-

(v) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केन्द्र सरकार)

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023	31.03.2022 को

	को समाप्त अवधि के लिए	समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	424,92,00,000	598,57,00,000
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-

(vi) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

विवरण	(राशि रुपए में)	
	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	1023,49,00,000	598,57,00,000
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	-	-

(vii) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात जम्मू और कश्मीर सरकार)

विवरण	(राशि रुपए में)	
	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	1,95,02,258	60,947,737
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	-

कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-
--	---	---

(viii) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
जम्मू और कश्मीर सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	-	-
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	1,21,40,90,451	74,57,67,880

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

- राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटी मर्दों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्ज/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्दों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।
- कंपनी द्वारा मूल कंपनी से प्राप्त परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।
- 31.03.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को

छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

4. प्रमोटर्स (एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी) के मध्य अनुपूरक प्रमोटर समझौते पर 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसके कारण एनएचपीसी ने कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

8. प्रतिभूति के विवरण: उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	-
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	-	-
	कुल	-	-

9. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है और ऐसा अंशदान योजना के प्रचालन की तिथि अर्थात 05.06.2018 से निधि को बनाने के लिए 8 वर्ष तक। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **8,95,650/- रूपए** (पिछले वर्ष **9,27,100/- रूपए**) है।

(ii) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और

उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन $(15/26 \times \text{अंतिम आहरित मूल वेतन} + \text{मंहगाई भत्ता})$ पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा **0.20 करोड़** रुपये है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(iii) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) **उपदान:** 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचालन के साथ नीचे दिया गया है

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान	योजनागत परिसंपत्तियों का	निवल राशि दायित्व/

	मूल्य	उचित मूल्य	(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	3,33,40,954	-	3,33,40,954
वर्तमान सेवा लागत	47,42,078	-	47,42,078
ब्याज व्यय/(आय)	24,20,553	-	24,20,553
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	71,62,631	-	71,62,631
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	4,05,03,585	-	4,05,03,585

विवरण	(राशि रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2,79,97,840	-	2,79,97,840
वर्तमान सेवा लागत	45,00,751	-	45,00,751
ब्याज व्यय/(आय)	18,92,654	-	18,92,654

अदा किए गए लाभ	(10,50,291)	-	(10,50,291)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	53,43,114	-	53,43,114
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	3,33,40,954	-	3,33,40,954

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताए गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित हैं। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

विवरण	(राशि रुपए में)	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	4,05,03,585	3,33,40,954
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	4,05,03,585	3,33,40,954
गैर-वित्तपोषित योजनाएं		
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	4,05,03,585	3,33,40,954

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	7.92%	8.31%	इससे वृद्धि	8.82%	9.29%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.37%	6.47%	इससे कमी	5.36%	7.06%

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

विवरण	(राशि रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	17377977	-	17377977
वर्तमान सेवा लागत	57,03,308	-	57,03,308
ब्याज व्यय/(आय)	12,61,641	-	12,61,641
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	69,64,949	-	69,64,949
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि	-	-	-

के अतिरिक्त			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	2,43,42,926	-	2,43,42,926

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	2954231	0	2954231
ब्याज व्यय/(आय)	0	0	0
कटौती लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	14423746	0	14423746
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	17377977	0	17377977
पुनर्मापन			

योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0	0	0
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2022 को अंतिम शेष	17377977	0	17377977

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

	(राशि रुपए में)	
विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,43,42,926	1,73,77,977
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	2,43,42,926	1,73,77,977
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	2,43,42,926	1,73,77,977

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.44%	लागू नहीं	इससे वृद्धि	5.04%	लागू नहीं

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2022-23			
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	1,91,810	-	1,91,810
वर्तमान सेवा लागत	27,237	-	27,237
ब्याज व्यय/(आय)	13,925	-	13,925
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	41,162	-	41,162
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि	-	-	-

के अतिरिक्त			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	2,32,972	-	2,32,972

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1,70,803	-	1,70,803
वर्तमान सेवा लागत	9,461	-	9,461
ब्याज व्यय/(आय)	11,546	-	11,546
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	21,007	-	21,007
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि	-	-	-

के अतिरिक्त			
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	1,91,810	0	1,91,810

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	9.95%	8.04%	इससे वृद्धि	11.18%	9.04%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
छूट दर	7.39%	7.26%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) जोखिम प्रदर्शन: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्वों का छूट न प्रदान किया गया प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

उपदान, रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रुपए में)				
	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023					
उपदान	881570	826386	2340922	36454707	40503585
रोजगार-पश्च	1304	5925	191759	24143938	24342926

चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)					
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	657	5006	14105	213204	232972
कुल	883531	837317	2546786	60811849	65079483
31.03.2022					
उपदान	627007	685419	1958384	30070144	33340954
रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	535	2230	12106	176939	191810
कुल	627542	687649	1970490	30247083	33532764

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **3,26,30,879/- रुपए** (31 मार्च 2022 : **2,80,87,446/- रुपए**) है।

(4) एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में, जो वर्तमान में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के रोल पर हैं, बीमांकित मूल्यांकन से संबंधित व्यय को डेबिट/क्रेडिट सलाह के माध्यम से संबंधित वर्ष में सीवीपीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आईयूटी प्रमाण-पत्र में उसी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्ज की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है
(राशि रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
----------	-------	----------------------------------	----------------------------------

क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य विविध मामले	48,25,38,912/-	37,26,26,792/-
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जा तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	-	-

11. प्रति शेयर अर्जन:-

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	0.0681	0.0152
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	0.0694	0.0155
प्रति शेयर सम मूल्य (रूपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	24.69	4.57
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	25.15	4.67

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
-------	---------------------------------------	----------------------------------

	लिए	लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	3623405400	3011577100

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्त्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्त्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5,00,000/- रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2022 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2023 को बकाया निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)			
विवरण	31.12.2022 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2023 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्त्य (लाभार्थियों से प्राप्त्य ब्याज सहित)	-	-	-
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम	5,71,27,96,497	4,85,97,59,920	6,39,68,24,135
व्यापार/अन्य देय	29,58,66,51 5	9,51,81,891	1,71,01,53,032
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	23,87,38,101	21,41,65,104	22,57,05,986

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

13. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (टिप्पणी 29 देखें)

(i) किए गए व्ययों के विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय वाले व्यय के शीर्ष	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	20,65,195	311627
2	शिक्षा और कौशल विकास	-	-
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	-	-
4	पर्यावरण	-	-
5	कला और संस्कृति	-	-
6	पूर्व सशस्त्र बल	-	-
7	खेल	-	-
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	-	-
9	ग्रामीण विकास	-	-
10	क्षमता निर्माण	-	-
11	स्वच्छ विद्यालय अभियान	-	-
12	स्वच्छ भारत अभियान	-	-
13	आपदा प्रबंधन	-	-
14	केंद्र सरकार की निधियों को योगदान	-	-
15	प्रभाव आकलन	-	-
16	प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-
17	चल रहे क्रियाकलाप	-	2242494
	कुल राशि	20,65,195	2554121

ii. अन्य प्रकटीकरण:-

क. वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और नकद में भुगतान किए जाने वाले व्यय के विवरण व्यय की प्रकृति (पूंजी या राजस्व प्रकृति) के साथ निम्नानुसार है: -

(राशि रुपये में)

	उद्देश्य	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए			31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए		
		नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	20,65,195	-	20,65,195	311627	2242494	2554121
	कुल	20,65,195	-	20,65,195	311627	2242494	2554121

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, **शून्य रुपये** की राशि के कुल व्यय में से संबंधित पक्षकारों को **20,65,195/- रुपये** का भुगतान किया जाना शेष है जो देनदारियों से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल हैं।

- iii. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, सीएसआर पर व्यय करने के लिए आवश्यक राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 22,13,210/- रुपए थी (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के आधार पर)।
- iv. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 22,95,994/- की कुल राशि का बजट आवंटित किया था।
- v. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई 3,60,220 रुपए के आधिक्य व्यय में से 1,20,073 रुपए के समायोजन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 22,13,210 रुपए के व्यय की आवश्यकता के प्रति समायोजित किया है। इस प्रकार चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27,942 रुपये (22,13,210-1,20,073-20,65,195) अव्ययित राशि मौजूद है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के

अनुपालन में उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में स्थानांतरण किए जाने की आवश्यकता है।

14. कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	तुलन-पत्र की तारीख पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज : क) व्यापार देय: - मूल धन (टिप्पणी 20.3 देखें) - ब्याज ख) अन्य: - मूल धन (टिप्पणी 20.4 देखें) - ब्याज	1,19,76,165 - 3,20,909 -	90,42,014 -- 40,99,842 -
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में देरी के वर्ष के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(iv)	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उपार्जित और शेष अदत्त ब्याज की राशि।	-	-
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक और बाद के वर्षों में भी देय होने वाली देय ब्याज की राशि।	-	-

15. इंड एस - 116 “पट्टे” के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फनबचर की छोटी वस्तु और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
 - ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।
 - ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।
 - घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.58 प्रतिशत है।

(ii) पट्टे की प्रकृति : कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैं:

- (क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रंजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत् माना गया है

(राशि रुपये में)			
क्रम सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	2,40,72,846	4,37,16,338
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	-	71,93,095
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	43,56,507	58,86,801

(iii) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **1,29,44,493/- रुपये** (गत वर्ष **88,37,848/- रुपये**) है।

(iv) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(राशि रुपये में)		
विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	1,29,05,470/-	1,54,50,707/-
पट्टा देयताओं में वृद्धि	1,10,38,544/-	83,94,301/-
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	8,41,808/-	9,33,293/-
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	98,46,503/-	1,18,72,831/-
अंतिम शेष	1,49,39,319/-	1,29,05,470/-

16. इंड एस-27 - 'पृथक वित्तीय विवरण' के अंतर्गत प्रकटीकरण मूल कंपनी का हित:

कंपनी का नाम	प्रचालन का	प्रधान	निम्नलिखित के अनुसार
--------------	------------	--------	----------------------

	प्रधान स्थान	क्रियाकलाप	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2023	31.03.2022
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	52.74%	55.13%
जेकेएसपीडीसी	भारत	विद्युत उत्पादन	47.26%	44.87%

17. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए। प्रबंधन ने अवधारित किया है कि कंपनी को सौंपी गई परियोजना निविदा/अवार्ड/निर्माण चरण के तहत है और आज की तारीख तक कोई नकद सृजन इकाई (सीजीयू) विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई संकेत भी मौजूद नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी सीजीयू की हानि का संकेत दे।

18. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को

प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं. 10 पर प्रकट किया गया है)।**

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान : कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) **अन्य प्रावधान**

क) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के लिए जाने पर समायोजित किया जाता है।

ख) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

ग) प्रावधान - अन्य -इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

(i) संभावित बहिर्पवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

19. **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:**

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा घ13कक - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां(+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	10,59,609
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)/ देयता (-)	45,77,499
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)/ वापिस की गई (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)	45,77,499
ङ	31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)	56,37,108

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार विद्युत केंद्र की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यक्षीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में विद्युत की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की आवश्यकता के अनुसार “वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण” के संबंध में प्रकटीकरण निम्नवत हैं :

तिमाही	बैंक का नाम	मुहैया करवाई गई प्रतिभूति का विवरण	लेखाबहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक रिटर्न/ विवरण में यथा सूचित राशि	अंतर की राशि	भौतिक विसंगति के लिए कारण
जून, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

21. बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2023 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
लागू नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	प्राप्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	देय	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	अन्य बकाया देय (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

22. कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि के पंजीकरण के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, जहां सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के पास कोई आरोप या संतुष्टि अभी तक दर्ज की जानी है, अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलंब का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

23. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव:

परिवर्तन का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ/हानि के विवरण पर प्रभाव - लाभ में वृद्धि/ (लाभ में कमी)	पंजीकरण में विलंब के कारण
कार्बन क्रेडिट/ सीईआर/ वीईआर को मान्यता देने संबंधी लेखांकन नीति	लागू नहीं	लागू नहीं
मूल्यहास को प्रभारित करने के लिए आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों को मुहैया करवाई गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण कोई भौतिक प्रभाव नहीं हुआ है।	

24. धारित बेनामी संपत्ति के विवरणों के बारे में प्रकटीकरण:

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

25. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यवर्तियों”) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से”) जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी।

कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

26. कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा अन्य उधारदाताओं द्वारा स्वेच्छाकारी व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

27. राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना का.आ. 281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति योजना (आरएसजीटीपीपी) के निबंधनों के अनुसार, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार कंपनी के पकलडुल एचईपी, किरू एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करता है। तदनुसार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे उन बाजकों के लिए दायर किए जा रहे हैं जिनका कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना और पश्चातवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति बीजकों पर एसजीएसटी के लिए की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2क में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर नकद भुगतान में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता बीजकों पर एसजीएसटी, जो कंपनी के जीएसटीआर-2ए और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर भुगतान की गई नकद राशि में परिलक्षित होता है, को खातों की बहियों में राज्य कर विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 11 देखें)। इसके अलावा, 1,43,76,631/- रुपये की राशि (पिछले वर्ष : 1,42,83,679/- रुपए) के बीजक पर एसजीएसटी को, जो जीएसटीआर 2ए में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है तथा उसे उस समय राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता की जाएगी, जब वह पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुरूपी समायोजन के साथ समाशोधन (चल रही प्रक्रिया) के उपरांत जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होगी। एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 24,54,00,847/- रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

28. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अनुपूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल द्वारा जेकेपीडीडी के साथ 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

तुलन-पत्र के अनुबंध के रूप में हस्ताक्षरित

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या
003824एन)
हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088730

स्थान: जम्मू

दिनांक : 10 मई, 2023

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से


हस्ता./-	हस्ता./-
(सुरेश कुमार)	(हसन नदीम)
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या	डीआईएन संख्या
06440021	09653321
हस्ता./-	हस्ता./-
(ए के जैन)	(सुधीर आनंद)
महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव
	एफसीएस 7050



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड
(एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम)
सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

31 मार्च, 2023 तक वित्तीय विवरण
(लाख रुपए में)

कारपोरेट कार्यालय
चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने
रेल हेड काम्प्लेक्स
जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)


(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
परिसंपत्तियां			
(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	10,732.61	9,290.07
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	297,673.82	189,385.93
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	79,809.90	80,730.79
घ) निवेश सम्पत्ति	2.4	-	-
ड) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	14.97	15.25
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	106.42	106.42
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	-	-
ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	-
iii) ऋण	3.3	8.98	8.93
iv) अन्य	3.4	137.72	234.69
ज) गैर वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	4	6.34	83.43
झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	5	63,004.12	45,389.04
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां		451,494.88	325,244.55
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) मालसूची	6	-	-

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) व्यापार प्राप्य	7	-	-
ii) नकदी और नकदी तुल्य	8	48,065.47	39,432.91
iii) नकदी और नकदी तुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9	23,565.00	65,611.55
iv) ऋण	10	37.85	28.56
v) अन्य	11	12,788.65	8,129.83
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	12	-	0.05
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	2,443.63	183.06
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		86,900.60	113,385.96
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	56.37	10.60
कुल परिसंपत्ति		538,451.85	438,641.11
<u>इक्विटी और देयताएं</u>			
(1) <u>इक्विटी</u>			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	369,239.13	333,645.13
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	30,384.28	15,400.74
कुल इक्विटी		399,623.41	349,045.87
(2) <u>देयताएं</u>			
<u>गैर वर्तमान देयताएं</u>			
क) <u>वित्तीय देयताएं</u>			
i) ऋण	16.1	38,454.67	20,813.34
ik) पट्टा देयताएं	16.2	54.72	55.45
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	117.46	322.25
ख) प्रावधान	17	1,192.11	952.67
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	66,726.48	39,565.33
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		106,545.44	61,709.04
(3) <u>वर्तमान देयताएं</u>			

क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	20.1	-	-
ik) पट्टा देयताएं	20.2	94.67	73.61
ii) व्यापार देय	20.3		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		119.76	90.42
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		203.77	741.54
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	19,191.33	13,031.71
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	1,616.83	952.87
ग) प्रावधान	22	11,056.64	12,996.05
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
(4) सीओ से निधियां	15.3	(0.00)	(0.00)
कुल वर्तमान देनदारियाँ		32,283.00	27,886.20
(4) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	-	-
कुल इक्विटी और देयताएं		538,451.85	438,641.11

एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34		
कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन) हस्ता./- (सीए वीरेन्द्र के. मैनी) साझेदार सदस्यता सं. 088730		कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से हस्ता./- (सुरेश कुमार) अध्यक्ष डीआईएन संख्या 06440021 हस्ता./- (ए के जैन) महाप्रबंधक (वित्त)	कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से हस्ता./- (हसन नदीम) प्रबंध निदेशक डीआईएन संख्या 09653321 हस्ता./- (सुधीर आनंद) कंपनी सचिव एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू			
दिनांक : 10 मई, 2023			



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.)लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ
और हानि का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)


(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	-	-
ii) अन्य आय	24.2	5,346.69	3,138.81
कुल आय		5,346.69	3,138.81
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	-	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,114.22	1,339.79
iv) वित्त लागत	27	1.57	2.95
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	60.12	105.46
vi) अन्य व्यय	29	356.66	443.76
कुल व्यय		1,532.57	1,891.96
असाधारण मदों, नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		3,814.12	1,246.85
असाधारण मदें		-	-

नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		3,814.12	1,246.85
कर व्यय			
i) वर्तमान कर	30.1	1,345.35	789.70
ii) आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		1,345.35	789.70
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ		2,468.77	457.15
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	45.77	9.99
वर्ष के लिए लाभ (क)		2,514.54	467.14
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन			
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		-	-
- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन - निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		-	-
घटाएं : नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		-	-
उप जोड़ (क)		-	-
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश		-	-
उप जोड़ (ख)		-	-
कुल (i)=(क)+(ख)		-	-

(ii) वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल) - ऋण लिखतों में निवेश		-	-
कुल (ii)			
अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		2,514.54	467.14
आय (मूल और तनुकृत) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/-रुपए 34(11) प्रत्येक)			
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व		0.0681	0.0152
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात		0.0694	0.0155

वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34	
कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन) हस्ता./- (सीए वीरेन्द्र के. मैनी) साझेदार सदस्यता सं. 088730	कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से हस्ता./- (सुरेश कुमार) अध्यक्ष डीआईएन संख्या 06440021 हस्ता./- (ए के जैन) महाप्रबंधक (वित्त)	हस्ता./- (हसन नदीम) प्रबंध निदेशक डीआईएन संख्या 09653321 हस्ता./- (सुधीर आनंद) कंपनी सचिव एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू दिनांक : 10 मई, 2023		



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षित नकदी प्रवाह का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321)

(लाख रुपये में)

		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में उतार-चढ़ाव सहित वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ		3,859.89		1,256.84
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		45.77		9.99
	कर पूर्व लाभ		3,814.12		1,246.85
	जोड़ें :				
	मूल्यहास और परिशोधन	60.13		105.46	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	1.57		2.95	
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-			
	प्रावधान अन्य (ईएसी का निवल)	-			
	विनिमय दर अंतर (हानि)	37.01		9.99	
	टैरिफ समायोजन (हानि)	-		-	
	विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	-			

संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)/बट्टे खाते में डाले गए दावे	11.02		0.70	
			<u>109.73</u>	<u>119.10</u>
			3,923.85	1,365.95
घटाएं :				
मूल्यहास के पश्चलेखित अग्रिम	-			
प्रावधान (निवल लाभ)	0.07		9.53	
निवेश की बिक्री पर निवल लाभ/ हानि	-		-	
अनुषंगी कंपनियों से परामर्शी प्रभार के प्रति समायोजन	-			
लाभांश आय	-			
ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंब भुगतान प्रभार सहित)	5,346.70		3,139.03	
विनिमय दर अंतर (लाभ)	-			
अन्य समायोजन	-		-	
उचित मूल्य समायोजन	(0.02)		(0.04)	
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	-			
			<u>5,346.75</u>	<u>3,148.52</u>
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयता समायोजना से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			(1,422.90)	(1,782.57)
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन:				
मालसूची	-			
व्यापार प्राप्तियां	-			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	(35.44)		(71.24)	

	अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान	92.06		955.53	
	नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	-		-	
			56.62		884.29
	कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		(1,366.28)		(898.28)
	घटाएं : कर		1,268.20		829.45
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		(2,634.48)		(1,727.73)
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण को आरोप्य व्यय सहित) - अनुदान का निवल		(135,364.14)		(86,264.06)
	परिसंपत्तियों की बिक्री		-		
	संयुक्त उद्यम में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-		
	सहायक कंपनियों में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-		
	सावधि जमा में निवल निवेश		42,046.55		(27,587.55)
	निवेश की बिक्री से आय		-		
	लाभांश आय		-		
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क (विलंबित भुगतान अधिभार सहित)		14,128.11		4,240.08
	निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		(79,189.48)		(109,611.53)
ग.	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी				

	प्रवाह			
	इक्विटी शेयरों का निर्गम/पुनःखरीद, प्रतिभूति प्रीमियम सहित		48,063.00	71,279.12
	भुगतान किया गया लाभांश		-	
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		42,492.00	59,857.00
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां		-	
	उधार की चुकौती		-	
	ब्याज और वित्त प्रभार		(0.01)	(9.34)
	पट्टा देयता की मूलधन चुकौती		(90.05)	(100.06)
	पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज		(8.42)	(9.33)
	वित्तीय क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)		(90456.52)	131,017.39
	घ. नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		8,632.56	19,678.13
	वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		39,432.91	19,754.77
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		48,065.47	39,432.91

नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड एएस 7 - "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

नकदी प्रवाह के विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकद और नकद समतुल्य में तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा सहित हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष शामिल हैं। नकद और नकद समकक्षों का विवरण निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(लाख रुपए में)		
बैंकों के पास शेष राशि		
अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खाते में	3,715.47	494.91
- जमा खाते में	44,350.00	38,938.00
(तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)		
हस्तगत नकदी	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	48,065.47	39,432.91

2. वित्त-पोषण क्रियाकलापों में नकदी प्रवाह में ब्याज और वित्त प्रभार में निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की ऋण लागत शामिल है।
3. 31.03.2023 को आहरित नहीं किए गए ऋण की राशि : शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) है।
4. कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण 20.65 लाख रुपए नकदी (पिछले वर्ष 3.12 लाख रुपये) व्यय किया है।
5. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से उत्पन्न देयताओं का मिलान:-

	(राशि रुपए में)	
	31/03/2023	31/03/2022
ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	38,454.67	20,813.34
पट्ट देयता	149.39	129.05
कुल	38604.06	20942.39

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **		
	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण	20,813.34	129.05	20,942.39	-	154.51	154.51
ऋण से प्राप्तियां	42,492.00	-	42,492.00	59,857.00	(109.40)	59747.60
ऋण/पट्टा देयता की चुकोती	-	(90.05)	(90.05)	-	83.94	83.94
अदा किया गया ब्याज	(0.01)	(8.42)	(8.43)	-	(9.33)	(9.33)
अन्य गैर-नकदी संचलन			-			0.00
- पट्टा देयता में वृद्धि	-	110.39	110.39	-	-	0.00
- विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	-	-	-	0.00
- ब्याज और वित्त प्रभार	0.01	8.42	8.43	-	9.33	9.33
- उचित मूल्य समायोजन	(24,850.67)	-	(24,850.67)	(39,043.66)	-	(39043.66)
31 मार्च को अंतिम निवल ऋण	38,454.67	149.39	38,604.06	20,813.34	129.05	20942.39

* ऋण के लिए टिप्पणी 16.1, 20.1 और 20.4 देखें (मद नामतः ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज - देय और देय नहीं होने वाले)।

** पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं अपेक्षित हो पुनः समूहबद्ध/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इक्विटी शेयर पूंजी


विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1 अप्रैल 2022 के अनुसार	15.1	333,645.13
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2022 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	15.1	333,645.13
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		35,594.00
31 मार्च 2023 के अनुसार	15.1	369,239.13

अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	पूंजी आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय		कुल
		आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी मोचन आरक्षित	बांड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	-	10,000.00	-	-	-	5,400.74	-	15,400.74
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ								

1 अप्रैल 2022 को पुनः कथित शेष राशि										5,400.74	-	-	15,400.74
वर्ष के लिए लाभ										2,514.54	-	-	2,514.54
अन्य व्यापक आय										-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय										2,514.54	-	-	2,514.54
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि					48,063.00								48,063.00
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में से वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर ल					35,594.00								35,594.00
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के लिए उपयोग													-
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर व्यय के लिए उपयोग													-
प्रतिधारित आय को अंतरण													-
बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरित की गई राशि													-
लाभांश पर कर - पश्चलेखन													-
अनुसंधान एवं विकास कोष से पश्चलेखित की गई राशि													-



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

टिप्पणी सं. 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(1) रिपोर्टिंग निकाय

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी"), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में अधिवासित है (सीआईएन : यू40105जेके2011पीटीसी003321)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड परिसर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र-180012 है। यह कंपनी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ विद्युत की थोक बिक्री में शामिल है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अनुपूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल द्वारा जेकेपीडीडी के साथ 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

(2) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का कथन

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन के आधार पर और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 10 मई, 2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है। ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन लाए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार प्रकट किया जाता है :

(i) इंड एस 16 - आशयित उपयोग से पूर्व आगम

संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को पहचानने वाली इकाई को प्रतिबंधित करता है। इसके स्थान पर, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत से घटाया जाएगा।

कंपनी को ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ii) इंड एस 37 - दुर्भर संविदा - संविदा पूर्ति की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि संविदा को "पूरा करने की लागत" में "वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है" शामिल है। वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है, संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (उदाहरण: प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदा को पूरा करने, दोनों ही से संबंधित है।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और कंपनी को ऐसी आशा नहीं है कि वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(iii) इंड एस 37 - व्यवसाय संयोजन

संशोधन में कहा गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचानयोग्य अस्तित्वों और ग्रहण की गई देनदारियों को भारतीय लेखा मानकों (अवधारणात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अवधारणात्मक ढांचे में प्रदान की गई अस्तित्वों और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को

मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं अथवा उनका वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है। तथापि, यूनिट स्तर पर आंकड़ों को रुपए (पूर्णांक संख्या) में प्रस्तुत किया गया है।

ड) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एएस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों :

क) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करती है।

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद्द को निर्धारित करती है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करती है। यह आकलन करने में कि क्या कंपनी पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करती है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते हैं। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो कंपनी पट्टे की अवधि को संशोधित करती है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे

उद्योग की स्थिरता और जात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ड) राजस्व

कंपनी इंड एस 115- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी हैं, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

कंपनी की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे - ब्याज लागत, हास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एस 114- ' नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि, मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव ऐसे शेष की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करती है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) वसूली योग्य बीमा दावा

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

ञ) कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) की लागत का मापन प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किया जाता है।

(III) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतिया :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हें अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। कंपनी ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, “पहली बार इंड एस अपना नू पर इंड एस में ट्रंजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीम्ड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियों और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ कंपनी को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पीपीई के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी आस्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित हास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

ड) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित,(अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहीत भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुर्नस्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।

च) वे आस्तियां जिन पर कंपनी का नियंत्रण है, कंपनी के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

ज) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में “स्टोर और स्पेयर “ माने जाते हैं।

झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहित किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। आस्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती हैं जब आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 जारी पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

क) निर्माण के तहत आस्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित आस्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।

ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त आस्तियों में हास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर आस्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो, “निर्माण में हुए व्यय के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, “निर्माण में हुए व्यय “ के तहत संचित किया जाता है और “जारी पूंजीगत कार्य के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एस 16- “परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर “ में “आरोप्यता” और “मापन इकाई को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल आस्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 अमूर्त आस्तियां और विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और कंपनी विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त आस्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो आस्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त आस्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) बाद में किया गया व्यय आस्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

घ) अमूर्त आस्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त आस्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और आस्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर जो सीईआरसी शुल्क विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान “नियामक आस्थगित खाता शेष” के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

ग) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौलिक मर्दे लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां कंपनी ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित आस्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब कंपनी आरंभ में गैर मौलिक आस्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौलिक देयता को मान्य करती है।

5.0 नियामक आस्थगित खाते

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्की के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "नियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये नियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) नियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो नियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

ड) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में हानि के लिए नियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

6.0. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है। परन्तु, कंपनी जब यह निर्धारित करती है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

7.0 अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से कंपनी के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) परवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता है

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण लिखत' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ii) परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उक्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

- i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मक दायित्व को मानता है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां कंपनी ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करती है :

- i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।
- ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- iii) इंड एस 115-राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- iv) इंड एस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एस 116 और इंड एस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्य और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वेकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए कंपनी इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत-दृष्टिकोण' का पालन करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12-महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, कंपनी दस्तावेज-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12-महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

8.0 माल-सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रेप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) को लागत से कम और निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पश्चलेखन या हानि होती है।

9.0 वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ - हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग- शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ - हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की

मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।

10. सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ - हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौलिक अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ - हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ - हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

11.0. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का

सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधान का निर्धारण वर्तमान पूर्व-कर दर से भविष्य के अपेक्षित नकदी प्रवाह को ध्यान में रख कर किया जाता है ताकि देयता के विशिष्ट जोखिम इसमें कवर हो जाएं। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से पैदा होती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।

ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

12.0. राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व

- को कंपनी तब स्वीकार करती है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व (वित्त/प्रचालन पट्टे के अधीन माने गए विद्युत स्टेशनों के अलावा) को सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 के तहत केन्द्रीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।
 - iii) ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं किया गया राजस्व)।
 - iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है।
 - v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

ख) अन्य आय

- i) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।

ii) ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर परिसमाप्त क्षतिपूर्ति/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है जब यह माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

iii) कार्बन क्रेडिट/ सीईआर/ वीईआर की बिक्री से राजस्व

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीईआर) के अंतरण/बिक्री पर राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां तक यह अत्यधिक संभाव्य हो कि मान्यताप्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई व्यापक प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

13.0. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति-परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है,

जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-परवर्ती लाभ योजना है। कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय और तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उनका व्यय किया गया हो।

14.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एस 109 - "वित्तीय लिखत" में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एस 116- 'लीज' के अनुसार वित्तीय प्रभारों के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग

किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ-साथ इसकी असंशोधित मूल्यहास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-प्प में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र और मशीनरी

- कंप्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अपशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्ष की अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर मुहैया कराया जाता है।

ड) अस्थायी निर्माण पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।

च) रुपए 5000/- या उससे कम लेकिन रुपए 750/- से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यहास, रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तु, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/- तक है, पूँजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यहास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यहास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य हास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यहास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

16.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करती है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट-(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।

घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।

ड) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यहास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

17.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर

- सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन-देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करती है।
- ii) आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थाई अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करती है।
- iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।
- v) आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर आस्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर आस्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।
- vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/ डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का

हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।

vii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियाँ और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करती है।

18.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति / सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

19.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एस 108 - प्रचालन सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य संचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है।

ग) कंपनी का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

20.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में कंपनी यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए कंपनी निम्नांकित आकलन करती है कि :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है - यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।

- कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा

- कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :

- कंपनी को संपत्ति के संचालन का अधिकार है; या
- कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करती है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष स्टैंड-अलोन कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करती है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, कंपनी ने गैर-लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर-लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरु में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त

इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति से मूल्य हास किया जाता है। यह मूल्यहास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड-एएस 36- संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 16.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करती है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।
- परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करती है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि; तथा

- खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि कंपनी द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि कंपनी का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करती है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

कंपनी अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करती है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। कंपनी इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरेखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. कंपनी एक पट्टादाता के रूप में :

कंपनी जब पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया

जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एएस 115- राजस्व लागू करती है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

21.0 व्यापार संयोजन

व्यवसाय संयोजनों को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है, अधिग्रहण की तारीख कंपनी को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। अधिग्रहण में अंतरित मूल्य और अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। गुडविल को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई निवल पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है। जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतों को वहन किए गए व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

22.0 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

23.0 प्रति शेयर आय

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।

ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत "उधारी" के भीतर दिखाए जाते हैं।

ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एस 7- 'नकदी प्रवाह विवरण', में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या

- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

26.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, कंपनी द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) हालिया लेखांकन घोषणाएं : जारी परन्तु अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन करते हैं और 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं। प्रमुख संशोधनों का सारांश और कंपनी पर इसके प्रभाव नीचे दिए गए हैं :

i) **इंड एस 1 - वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण** - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी तात्विक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करने की अपेक्षा की गई है। अन्य जानकारी के साथ, लेखांकन नीति की जानकारी तब तात्विक होती है जब उससे सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करने की समुचित आशा की जा सकती है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संशोधन का प्रभाव उल्लेखनीय नहीं है।

ii) **इंड एस 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां** - इस संशोधन ने श्लेखा अनुमानश की एक परिभाषा शामिल की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की भिन्नता को पहचानने में मदद करने के लिए इंड एस 8 में संशोधन को शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii) **इंड एस 12 - आयकर** - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट की व्याप्ति को सीमित कर दिया है ताकि यह उन संव्यवहारों पर लागू न हो, जो समान और समंजनकारी अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv) अन्य मानकों (इंड एस 101, इंड एस 102, इंड एस 103, इंड एस 107, इंड एस 109 और इंड एस 115) में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं हैं या कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं डालते हैं।

**तुलन-पत्र के अनुबंध के रूप में
हस्ताक्षरित**

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या
003824एन)
हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088730

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
हस्ता./-
(सुरेश कुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या
06440021
हस्ता./-
(ए के जैन)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(हसन नदीम)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या
09653321
हस्ता./-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव
एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू, दिनांक : 10 मई, 2023

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक							
		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्ष के लिए समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार			
		आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य		
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	2483.52	239.83							2723.35					0.00			2723.35	2483.52
ii)	सड़कें और पुल	4414.91	1020.77						-13.58	5422.10					600.26			4821.84	3979.64
iii)	भवन	1924.54	821.71			2.38				2743.87					1135.44			1608.43	1416.33
iv)	रेलवे साइडिंग									0.00					0.00			0.00	0.00
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरवा)									0.00					0.00			0.00	0.00
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी									0.00					0.00			0.00	0.00
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	77.35	14.64							91.99					16.59			71.35	60.76
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें									0.00					0.00			0.00	0.00
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	174.69	58.50							233.19					25.01			195.86	149.68
x)	निर्माण उपकरण	0.89	0.19							1.08					0.03			1.05	0.86

Xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	33.63		5.87						39.50	4.63	1.25		5.88	33.62	29.00
Xii)	विद्युत प्रतिष्ठान									0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Xiii)	वाहन	181.28								181.28	78.10	12.79		90.89	90.39	103.18
Xiv)	विमान/नौकाएं									0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Xv)	फर्नीचर व फिक्सचर	425.59	5.35	65.79	5.35	1.20	0.17	490.35	139.83	494.47	261.77	70.82	-0.42	170.27	320.08	285.76
Xvi)	कम्प्यूटर	433.46	5.04	73.19	5.04	12.18		494.47	261.77	13.44	5.16	0.69	0.21	6.06	171.68	171.69
Xvii)	संचार उपकरण	13.35		0.09						1018.18	277.17	62.87	-9.44	330.60	687.58	601.46
Xviii)	कार्यालय उपकरण	878.63	0.52	153.69	0.52	12.97	-1.17	1018.18	277.17	13452.80	1751.77	990.25	-21.83	2720.19	10732.61	9290.07
	कुल	11041.84	10.91	2454.27	10.91	28.73	-14.58	13452.80	1751.77	11041.84	1312.29	448.75	-9.27	1751.77	9290.07	5316.21
	गत वर्ष	6628.50	0.80	4445.60	0.80	17.89	-14.37	11041.84	1312.29	11041.84	1312.29	448.75	-9.27	1751.77	9290.07	5316.21

टिप्पणी:-

2.1.1 संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुबंध-1

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास						निवल ब्लॉक			
		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01-अप्रैल-2022 के अनुसार		वर्ष के लिए समायोजन		31 मार्च, 2023 के अनुसार	
		आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य	अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	2483.52	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2723.35	2483.52		
ii)	सड़कें और पुल	4406.21	1020.77	0.00	0.00	0.00	-13.58	164.99	5413.40	426.57	164.99	0.00	591.56	4821.84	3979.64		
iii)	भवन	2019.92	821.71	0.00	2.39	0.00	0.00	629.61	2839.24	603.59	-2.39	0.00	1230.81	1608.43	1416.33		
iv)	रेलवे साइडिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	76.07	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	90.72	15.31	4.05	0.01	19.37	71.35	60.76		
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	178.50	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	237.01	28.82	12.32	0.01	41.15	195.86	149.68		
x)	निर्माण	17.35	0.19	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	17.45	16.49	0.00	-0.09	16.40	1.05	0.86		

टिप्पणी सं. 2.2 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 के अनुसार
i)	सड़कें और पुल	3252.01	3341.15	(980.92)	1020.77	4591.47
ii)	भवन	31213.60	23221.69	(5.28)	821.73	53608.28
iii)	भवन- पट्टे के अधीन	-				-
iv)	रेलवे साइडिंग	-				-
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	46798.93	55166.59			101965.52
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	14287.71	15295.22			29582.93
vii)	संयंत्र और मशीनरी - सब स्टेशन	409.85	158.79			568.64
viii)	संयंत्र और मशीनरी - पारेषण लाइनें	321.14	556.19			877.33
ix)	संयंत्र और मशीनरी - अन्य	-				-
x)	निर्माण उपकरण	-				-
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	37.21		(1.74)	5.88	29.59

xii)	कम्प्यूटर	-						
xiii)	संचार उपकरण	-						
xiv)	कार्यालय उपकरण	-						
xv)	स्थापना की प्रतीक्षारत परिसंपत्तियां	-						
xvi)	सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किमी के योजना अधीनपरिसंपत्तियां	-						
xvii)	सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण शुल्क	3015.97	445.13	-				3461.10
xviii)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय	-						-
xvix)	निर्माण को आरोप्य व्यय (टिप्पणी-32 देखें)	90048.29	12129.66	809.79				102987.74
	घटाएं : प्रदान किया गया पूंजीगत कार्य (टिप्पणी 2.2.4 देखें)	-						-
	उप जोड़ (क)	189384.71	110314.42	(178.15)	1848.38	297672.60		
	निर्माण भंडार	1.22			-			1.22

घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-								
उप जोड़ (ख)	1.22	-							1.22
कुल	189385.93	110314.42	(178.15)	1848.38	297673.82				
गत वर्ष	131989.01	62895.66	(3080.42)	2418.32	189385.93				

2.2.1 (क) 31 मार्च 2023 को सीडब्ल्यूआईपी जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	108,738.74	58,632.49	37,753.32	297,673.82
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				
कुल	108,738.74	58,632.49	37,753.32	297,673.82

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है			कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
			3 वर्ष से अधिक	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

2.2.2 (क) 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल	
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष		3 वर्षसेअधिक
प्रगतिधीन परियोजनाएं	59,083.34	37,753.33	24,837.62	67,711.64	189,385.93
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	59,083.34	37,753.33	24,837.62	67,711.64	189,385.93

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2023 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है			कुल	
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष		3 वर्षसेअधिक
					-
कुल	-	-	-	-	-

2.2.3 निर्माण को आरोग्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के प्रति 2331.11 लाख रुपए (गत वर्ष 547.30 लाख रुपए) शामिल है।

2.2.4 उपयोग के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि-उपयोग का अधिकार" पर सृजित 16334.95 लाख रुपए (पिछली अवधि में 12071.15 लाख रुपए) के भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी 2.2 का अनुबंध
(राशि लाख रुपए में)

संचयी ईडीसी विवरण	31.3.2023	31.03.2022
क. कर्मचारियों लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	41868.39	36926.58
भविष्य निधि में उपदान और अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	6842.64	6116.29
कर्मचारी कल्याण व्यय	2811.26	2521.19
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	14.91	14.91
उप-जोड़ क)	51537.20	45578.97
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ ख)	51537.20	45578.97
ख. अन्य व्यय		
अशक्त विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में भंडार और पुर्जों का उपभोग	0.00	0.00
मरम्मत और अनुरक्षण - अशक्त विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर बांध/जल विनियमन प्रणाली	0.00	0.00
मरम्मत और अनुरक्षण - अशक्त विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर जीपीएम/अन्य विद्युत संयंत्र प्रणाली	0.00	0.00
मरम्मत-भवन	2074.25	1536.69
मरम्मत-मशीनरी	13.02	13.02
मरम्मत-अन्य	381.39	272.76
किराया	1234.20	1020.05
दरें और कर	50.05	39.03
बीमा	22.84	21.52
सुरक्षा व्यय	3251.71	3049.91
विद्युत प्रभार	214.28	168.08

यात्रा और परिवहन	647.18	535.09
वाहनों पर व्यय	138.99	96.37
टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	209.24	143.69
विज्ञापन और प्रचार	181.99	181.14
मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	4.72	4.72
मुद्रण और लेखन सामग्री	150.72	132.89
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.53	0.53
डिजाइन और परामर्श शुल्क:		0.00
- देशीय	15555.64	13083.04
- विदेशी	502.11	502.11
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय/पर्यावरणीय व्यय	221.00	156.57
निगम का स्मामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	2903.30	1810.43
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	0.00	0.00
डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	0.00	0.00
ईएसी – पट्टा किराया	1241.85	966.48
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां/ सामग्री पर हानि	1.67	1.67
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	17.10	8.79
अन्य सामान्य व्यय	1453.62	673.94
उप-जोड़ (ख)	30471.40	24418.52
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ (ख)	30471.40	24418.52
ग. वित्तीय लागत		
i) निम्नलिखित पर ब्याज :		
क) भारत सरकार ऋण	0	0
ख) बाण्ड	0	0
ग) विदेशी ऋण	0	0
घ) सावधि ऋण	0	0
ड) नकद ऋण सुविधाएं/ डब्ल्यूसीडीएल	0	0
च) ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	0	0

हेजिंग लेनदेन पर हानि	0	0
ii) बाण्ड जारी करना/सेवा व्यय	0	0
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	0	0
v) अन्य वित्त प्रभार	7.19	7.18
vi) ईएसी- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2832.15	521.67
vii) ईएसी-प्रतिभूति जमा पर ब्याज/प्रतिधारण राशि - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	91.81	74.78
viii) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय- समय मूल्य के लिए समायोजन	0.00	0.00
ix) ईएसी- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	0.00	0.00
x) ईएसी-ब्याजव्यय-पट्टे के अधीन (इंडएएस)	23.81	20.22
उप-जोड़ ग)	2954.96	623.85
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ ग)	2954.96	623.85
घ. विनिमय दर अंतर (निवल)		
i) ईआरवी (डेबिट शेष)	0.00	0.00
घटाएं: ii) ईआरवी (क्रेडिट शेष)	0.00	0.00
उप-जोड़ घ)	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ घ)	0.00	0.00
ङ. प्रावधान	6.27	6.27
उप-जोड़ ङ)	6.27	6.27
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ ङ)	6.27	6.27
च. मूल्यहास और परिशोधन	5872.50	4087.21
	284.23	237.74

उप-जोड़ च)	6156.73	4324.95
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ च)	6156.73	4324.95
छ. पूर्व अवधि व्यय (निवल)		
पूर्व अवधि व्यय	237.63	237.63
घटाएं पूर्व अवधि की आय	0.72	0.72
उप-जोड़ छ)	236.91	236.91
घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ छ)	236.91	236.91
ज. घटाएं :प्राप्तियां और वसूलियां		
i) विद्युत के उत्पादन चालू होने से पूर्व आय	0.00	0.00
ii) ऋण और अग्रिम पर ब्याज	12617.16	6963.68
iii) विविध प्राप्तियां	509.56	417.47
iv) संपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.46	1.46
v) पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	677.21	676.01
vi) संयंत्र और मशीनरी पर किराया प्रभार/उत्पादन	138.75	89.39
vii) ईएसी-उचित मूल्य लाभ- सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि	0.17	0.17
viii) व्युत्पन्न पर ईएसी-एमटीएम लाभ	0.00	0.00
ix) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर उचित मूल्य लाभ	0.00	0.00
उप-जोड़ ज)	13944.31	8148.18
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ ज)	13944.31	8148.18
झ. सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (झ)	25568.58	23006.97
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ झ)	25568.58	23006.97
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	102987.74	90048.26
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	102987.74	90048.26

टिप्पणी सं. 2.3 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड						37669.98	2815.66	941.75	0.00	3757.41	33912.57	34854.32
ii)	पट्टे के अधीन भवन		66.22			-27.23	154.54	44.72	44.86	-27.22	62.36	92.18	70.83
iii)	निर्माण उपकरण						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन						122.02	68.38	44.67	-0.01	113.04	53.16	53.64
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार						45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	कुल	0.00	110.40	0.00	0.00	-27.23	83742.71	2928.76	1031.28	-27.23	3932.81	79809.90	80730.79
	गत वर्ष		1754.30		193.80		83659.55	2053.29	1042.33	-166.86	2928.76	80730.79	80045.76

टिप्पणी:-

2.3.1 परिसंपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार उपयोग के अधिकार का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध 1 - संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37669.98	2815.66	941.75	0.00	3757.41	33912.57	34854.32
ii)	पट्टे के अधीन भवन	0.00	66.22	0.00	0.00	-27.23	154.54	44.72	44.86	-27.22	62.36	92.18	70.83
iii)	निर्माण उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00	166.20	68.38	44.67	-0.01	113.04	53.16	53.64
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	कुल	0.00	110.40	0.00	0.00	-27.23	83742.71	2928.76	1031.28	-27.23	3932.81	79809.90	80730.79
	गत वर्ष		1754.30		193.80		83659.55	2053.29	1042.33	-166.86	2928.76	80730.79	80045.76

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आईयटी	अन्य	आईयटी	अन्य								
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	104.38	10.78				115.16	89.13	11.06	100.19	14.97	15.25	
	कुल	104.38	10.78	0.00	0.00	0.00	115.16	89.13	11.06	100.19	14.97	15.25	
	पिछले वर्ष	104.38					104.38	74.39	14.74	89.13	15.25	29.99	

टिप्पणी :- 2.5.1 अमूर्त परिसंपत्ति का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध 1 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		वर्धन		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	
		आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	115.15	89.12	11.06	0.00	100.18	14.97	15.25
	कुल	104.37	10.78	0.00	0.00	0.00	115.15	89.12	11.06	0.00	100.18	14.97	15.25
	पिछले वर्ष	104.36					104.37	74.37	14.74		89.12	15.25	29.99

टिप्पणी सं. 2.6 - विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	लिकेज	01-अप्रैल-2022 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31 मार्च, 2023 के अनुसार
(1)	विकास के अधीन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	432201	106.42				106.42
	कुल		106.42	-	-	-	106.42
	गत वर्ष						106.42

2.6.1 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं		106.42		106.42
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				-
कुल	-	106.42	-	106.42

2.6.2 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित में पूर्ण किया जाना है			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

2.6.3 31 मार्च 2022 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	106.42			106.42
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				-
कुल	106.42	-	-	106.42

2.6.4 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	में पूरा किया जाना है			कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
				-
				-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 3.1 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
कुल		

टिप्पणी सं. 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत	-	-
कुल	-	-

व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 3.2 का अनुबंध-1 देखें।

टिप्पणी सं. 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. परिशोधित लागत पर संबंधित पार्टी को ऋण - अच्छे माने गए - अप्रतिभूत *		-
(टिप्पणी 34(7)(3.3.1 देखें)	-	-
ख. कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.3.2 देखें)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	7.81	7.52
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	1.17	1.41
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.3 देखें)	-	-
उप जोड़	8.98	8.93
ग. संविदाकार/आपूर्तिकर्ता		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	-	-

	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	ग्राहक से बकाया के निपटान में राज्य सरकार		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
	कुल	8.98	8.93
3.3.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
	* चुकौती का ब्यौरा		
	* व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त ऋण को दर्शाता है		
3.3.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
3.3.3	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-

3.3.4	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.5	राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3.3.6	व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त सरकार को ऋण		
	- मूल धन		
	- ब्याज		
3.3.7	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
3.3.8	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.4 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य			(लाख रुपये में)
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	137.72	134.69
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.4.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	137.72	134.69
ख.	12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि (देखें टिप्पणी 3.4.2)	-	100.00
ग.	प्राप्य पट्टा किराया	-	-

घ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि	-	-
ङ.	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
च.	निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :		
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
छ.	व्युत्पन्न मार्क टू मार्केट परिसंपत्ति	-	-
ज.	विलंब भुगतान प्रभार के कारण प्राप्य	-	-
झ.	वसूलीयोग्य राशि	-	-
ञ	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि		
	- अनुषंगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम (देखें टिप्पणी 3.4.4)	-	-
	कुल	137.72	234.69
3.4.1	संदिग्ध जमाओं के लिए हानि भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-

3.4.2 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा में शून्य रूपए (गत वर्ष 100.00 लाख रूपए) की राशि शामिल है जिसे विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि मुहैया करवाने के लिए लिया गया है।

3.4.3 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 4 गैर-वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	-
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	-
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या -23 देखें)	6.34	83.43
कुल	6.34	83.43

टिप्पणी सं. 5 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. पूंजी अग्रिम		
- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	3,670.35	1,226.39
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
- बैंक गारंटी के प्रति	50,954.57	34,214.32
- अन्य	8,033.97	4,322.57
घटाएं - उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के चलते बुक किया गया व्यय	-	1.97
- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-
उप जोड़	62,658.89	39,761.31
ख. पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
i) जमा		
- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की	-	-

	गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय		
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ग.	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	344.03	5,625.36
घ.	अन्य		
i)	पूँजीगत कार्यों के लिए माध्यस्थम पंचाट के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	संविदाकारों को जारी - अन्य	-	-
	न्यायालय के साथ जमा	-	-
	उप जोड़	-	-
ii)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
iii)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां/व्यय	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
	उप जोड़	-	-
iii)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	1.20	2.37
	कुल	63,004	45,389
5.1	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष		
5.2	संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	
	अंतिम शेष	-	-
5.3	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम।	-	-
5.4	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है।	-	-
5.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 मालसूची

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित)		
	भंडार और कलपुर्जे	-	-
	पारगमन में होने वाले/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-
	खुले उपकरण	-	-
	स्क्रेप मालसूची	-	-
	स्थल पर सामग्री	-	-
	संविदाकारों/फैब्रिकेटर को जारी की गई सामग्री	-	-
	कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ प्रमाणित कार्बन यूनिट (वीसीयू)	-	-
	घटाएं : अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी (टिप्पणी 6.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
6.1	अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 6.1.1 देखें)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
6.1.1	वर्ष के दौरान, मालसूची को निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) पर पश्चलेखित किया गया और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।	-	-
6.1.2	पिछले वर्षों में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और मूल्यहास के लिए भत्ते ।	-	-

टिप्पणी सं. 7 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - व्यापार प्राप्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	- व्यापार प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.2, 7.3, 7.4 और 7.6 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य-बिल नहीं किए गए - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.4 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य- क्रेडिट बाधित (टिप्पणी 7.2, 7.3 और 7.4 देखें)	-	-
	घटाएं : व्यापार प्राप्य के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 7.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
7.1	व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
7.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के साथ या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	-	-
7.3	उपरोक्त बिंदु 7.2 पर सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	-	-
7.4	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-7 का अनुबंध-। देखें।		
7.5	वर्तमान प्राप्तियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनकी वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान मानी जाती है।		
7.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध-।

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2022 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्य और बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(2) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(3) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
(4) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए								-
(5) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है								-
(6) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित								-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं.8 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान- नकद और नकद समकक्ष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	बैंकों के साथ शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i)	- चालू खाते में	3,715.47	494.91
ii)	- जमा खाते में		
	(तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	44,350.00	38,938.00
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	भूटान	-	-
ख.	चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
ग.	हस्तगत नकदी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
	कुल	48,065.47	39,432.91

8.1	हस्तगत स्टाम्प शामिल है।	-	-
-----	--------------------------	---	---

टिप्पणी 9: वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	3 महीने से अधिक 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा	23,565.00	65,611.55
ख.	जमा-अदा न किया गया लाभांश	-	-
ग.	जमा-अदा न किया गया ब्याज	-	-
घ.	बैंकों के पास अन्य निर्दिष्ट शेष	-	-
	कुल	23,565.00	65,611.55

टिप्पणी सं. 10 वित्तीय आस्तियां - चालू - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत (अच्छे माने गए) (टिप्पणी 34(8) और 10.2 देखें) *	-	-
	- ऋण प्राप्य- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी ऋण (उपार्जित ब्याज सहित) (टिप्पणी 10.4 देखें)		
	- ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	1.70	2.02
	- ऋण प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	36.15	26.54
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	37.85	28.56
ग.	ग्राहक से देय राशि के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		
	- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	सहायक कंपनियों /संयुक्त उद्यमों को अग्रिम	-	-
	कुल	37.85	28.56
10.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-

	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
	*चुकौती का विवरण:-		
	*व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण को दर्शाता है।		
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
10.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ता	-	
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.5	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	-	-
10.6	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

(लाख रुपये में)

टिप्पणी सं. 11 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - अन्य

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत		
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 11.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	वसूली योग्य राशि	12,240.88	7,545.43
	घटाएं: संदिग्ध वसूली योग्य राशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	12,240.88	7,545.43
ग.	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ.	विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य घटाएं : विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों पर क्षति भत्ता	-	-
ङ	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा)	-	-
च.	बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज आय (टिप्पणी 11.3 देखें)	547.77	584.40
छ.	वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ज.	लाभार्थी से वसूली योग्य ब्याज	-	-
झ.	निवेश पर अर्जित ब्याज (बांड)	-	-
ञ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि		
	- मूलधन	-	-
	- ब्याज	-	-

ट.	ग्राहकों से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर अर्जित ब्याज	-	-
ठ.	डेरिवेटिव एमटीएम परिसंपत्ति	-	-
ड.	मूल कंपनी - एनएचपीसी लिमिटेड से वसूली योग्य दावा	-	-
	कुल	12,788.65	8,129.83
11.1	संदिग्ध जमा पर क्षति भत्ता		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
11.2	वसूली योग्य राशि - इसमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को " केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य के सामान और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि शामिल है, जो कश्मीर में पकलदुल एचईपी, किरु एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसओ 281 दिनांकित 17.08.2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर इसके द्वारा अदा की गई नकदी सहित कंपनी के जीएसटीआर 2ए में प्रदर्शित आपूर्तिकारों के बीजकों की सीमा तक है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पहले के वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे भी पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूली योग्य राशि में शामिल किया गया है।	12,140.69	7,457.68
11.3	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		

	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.4	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.5	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।		
11.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	वर्तमान कर परिसंपत्ति		
क.	स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	443.36
ख.	घटाएं : वर्तमान कर का प्रावधान	-	443.31
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख)	-	0.05
	वापसी योग्य आयकर	-	-
	कुल	-	0.05

टिप्पणी सं. 13 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
क)	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा उठाई गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी 13.8 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	169.57	81.25
	उपयोगिता प्रमाण पत्र पर बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	169.57	81.25
ग)	अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 13.7 देखें)	3.98	1.21
	उप जोड़	3.98	1.21
घ)	अर्जित ब्याज		
	अन्य		

	- अच्छे माने गए	2,189.58	-
	- संदिग्ध माने गए	-	-
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	2,189.58	-
ख.	अन्य		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
	घटाएँ : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षारत हानियां	-	-
	घटाएं : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.5 देखें)	-	0.75
	उप जोड़	-	0.75
ग)	प्रगतिधीन कार्य	-	-
	प्रगतिधीन निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
	प्रगतिधीन परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
घ)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	74.48	89.71
ड)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	0.53	0.14
च)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
ज)	अधिशेष/ अप्रचलित परिसंपत्ति (टिप्पणी 13.9 देखें)	3.33	8.89
झ)	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य	2.16	1.86
	घटाएं: माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.6 देखें)	-	-

	उप जोड़	2.16	1.86
ज)	अन्य (मुख्य रूप से ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण)	-	-
	कुल	2,443.63	183.06

13.1	संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.2	संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता)		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.3	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.4	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		

	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.5	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	0.75	0.75
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.75	
	अंतिम शेष	-	0.75
13.6	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्त के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.7	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण और अग्रिम।		
13.8	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।		
13.9	निपटान के लिए धारित अधिशेष आस्तियां/अप्रचलित आस्तियां बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर दिखाई जाती हैं।		
13.10	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	नियामक विलंबित लेखा शेष		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	घटाएं : प्रावधन किया गया	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख.	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ग.	टैरिफ को मद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यहास		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	घटाएं : प्रावधन किया गया	-	-
	अंतिम शेष	-	-

घ.	मौद्रिक मदों के लिए विनिमय हानि		
	प्रारंभिक शेष	10.60	0.61
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	45.77	9.99
	वर्ष के दौरान समायोजित		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	56.37	10.60
ङ	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए विलंबित कर प्राप्य के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
च.	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उससे आगे के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	56.37	10.60
	घटाएं : नियामक विलंबित लेखा शेष पर विलंबित कर	-	-
	जोड़े : लाभार्थियों से प्राप्य विलंबित कर	-	-
	विलंबित कर का निवल नियामक विलंबित कर शेष	56.37	10.60

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-34 (17) और 34(22) देखें।

टिप्पणी सं. 14.2 नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	मैट क्रेडिट		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी: 15.1 इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/-)	52000.00	520000.00	52000.00	520000.00
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/)	36923.91	369239.10	33364.51	333645.10

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

प्रारंभिक शेष	33364.51	333645.10	24797.80	247978.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों/शेयर पूंजी की संख्या	3559.40	35594.00	8566.71	85667.10
घटाएं:- अवधि/ वर्ष के दौरान शेयरों का पुनर्खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम शेष	36923.91	369239.10	33364.51	333645.10

15.1.2 कंपनी ने शेयरधारकों को शेयरधारिता के अनुपात में मत के अधिकार वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मत अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं।
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 5 प्रतिशत से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर और धारित शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नीचे दी गई है :-

	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	संख्या	(%) में	संख्या	(%) में
i) एनएचपीसी लिमिटेड	19473.91	52.74%	18394.51	55.13%
ii) जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	17450.00	47.26%	14970.00	44.87%
iii) पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	36923.91	100.00%	33364.51	100.00%

15.1.4 31 मार्च 2023 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	19473.91	52.74%	-2.39%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	17450.00	47.26%	2.39%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0.00%	0.00%

15.1.5 31 मार्च 2022 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	अवधि के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	18394.51	55.13%	3.20%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	14970.00	44.87%	-3.03%
3	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	0	0.00%	-0.16%

टिप्पणी सं। 15.2 अन्य इक्विटी

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
(i)	आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	10,000.00	24,388.00
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	48,063.00	71,279.13
	जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	35,594.00	85,667.13
	घटाएं : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	22,469.00	10,000.00
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार		
(ii)	पूंजी मोचन आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iii)	बांड मोचन आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित आय में स्थानांतरण		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iv)	सामान्य आरक्षित		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(v)	अधिशेष/प्रतिधारित आय		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	5,400.74	4,933.60
	जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	2,514.54	467.14
	जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय		
	जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरण		
	घटा: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	7,915.28	5,400.74
(vi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-ऋण लिखत		

	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	-	-
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार		
(vii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-इक्विटी लिखत		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
	कुल	30,384.28	15,400.74

15.2.1 भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

- (i) **सामान्य आरक्षित** : सामान्य आरक्षित का उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय ये लाभों के अंतरण के लिए किया जाता है क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है।
- (ii) **अधिशेष/प्रतिधारित आय** : अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी के अविभाजित लाभ/ संचित आय की राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल है।

टिप्पणी सं. 15.3 कारपोरेट कार्यालय से निधि (अंतरण लेखा)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
कारपोरेट कार्यालय से निधि	301,923.39	218,116.01
सीओ (जम्मू)	37,581.89	19,033.42
दुलहस्ती	-	-
पकल दुल	(75,212.45)	(54,174.08)
किरु	(26,384.04)	(18,245.25)

	क्वार	(13,458.59)	(6,180.40)
	चेक भुगतान लेखा		
	सीओ (जम्म्)	92,763.99	66,931.50
	दुलहस्ती (चरण- II)	-	-
	पकलदुल	(217,848.16)	(167,308.17)
	कीरू	(74,839.72)	(50,974.72)
	क्वार	(24,526.31)	(7,198.31)
	कुल		

टिप्पणी सं. 16.1 वित्तीय दायित्व - गैर वर्तमान - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	परिशोधित लागत पर		
क.	- प्रतिभूत ऋण		
	-बॉन्ड	-	-
	-सावधि ऋण	-	-
	- बैंकों से	-	-
	- अन्य (वित्तीय संस्थानों) से	-	-
ख.	- अप्रतिभूत ऋण		
	-सावधि ऋण		
	- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) (देखें टिप्पणी 16.1.3)	38,454.67	20,813.34
	- बैंक . से	-	-
	- अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	-	-
ग.	मूल कंपनी से ऋण		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत (देखें टिप्पणी 16.1.4)		
	कुल	38,454.67	20,813.34
16.1.1	ऋण अनुबंध : पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।		

16.1.2	मोचन, चुकौती और प्रतिभूतियों का विवरण:-		
	पकल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष से शुरू किया जाएगा और 19वें वर्ष तक जारी रहेगा अर्थात् जुलाई 2033 से, परियोजना के पूरा होने के बाद ब्याज @ 1% प्रति वर्ष लिया जाएगा।		
16.1.3	सावधि ऋण - भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) उचित मूल्यांकन का निवल है। आहरित वास्तविक अधीनस्थ ऋण 102349.00 लाख रूपए (गत वर्ष 59857.00 लाख रूपए) है।		
16.1.4	ऋण का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	-	-
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	-	-
	5 वर्ष से अधिक	102,349.00	59,857.00
	कुल	102,349.00	59,857.00

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं - गैर-वर्तमान - पट्टा देयताएं

(लाख रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पट्टा देयताएं	54.72	55.45
	कुल	54.72	55.45

16.2.1	पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	56.71	57.97
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	-	-
	5 वर्ष से अधिक	-	-
	कुल	56.71	57.97
16.2.2	पट्टा देयता में संचलन	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	प्रारंभिक शेष	129.06	154.51
	पट्टा देनदारियों में वृद्धि	110.38	83.95
	वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	8.42	9.33
	घटाएं : पट्टा देनदारियों का भुगतान	98.47	118.73
	अंतिम शेष	149.39	129.06
	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.2 देखें)	94.67	73.61
	पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	54.72	55.45

टिप्पणी सं. 16.3 वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - अन्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बाण्ड के प्रति देय		
	- मूलधन	-	-
	प्रतिधारण राशि	117.46	322.25
	विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	-	-
	व्युत्पन्न देयता	-	-
	कुल	117.46	322.25
16.3.1	प्रतिधारण राशि का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर जमा/प्रतिधारण राशि की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	113.25	2.62
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5.59	420.13
	5 वर्ष से अधिक	-	-
	कुल	118.84	422.75

(राशि रुपये में)

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	<u>दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	952.67	646.71
	वर्ष के दौरान वर्धन	239.44	305.96
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	1,192.11	952.67
ख.	अन्य		
i)	<u>प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ii)	<u>आजीविका सहायता का प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iii)	<u>प्रावधान-अन्य</u>		

	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	1,192.11	952.67

17.1 प्रावधानों के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (18) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) - गैर वर्तमान

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	विलंबित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
ग)	अन्य मर्दे	-	-
	विलंबित कर देयता	-	-
	घटाएं: - प्रावधानों को समायोजित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों का समायोजन		
क)	कर्मचारी लाभ योजना, संदिग्ध ऋण, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
ख)	अन्य मर्दे	-	-
ग)	मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
	आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	अग्रिम में प्राप्त आय- मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	66,726.48	39,565.33
	कुल	66,726.48	39,565.33
19.1	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान)	39,565.33	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	27,161.15	39,565.33
	घटाएं: लाभ और हानि के विवरण को अंतरित (टिप्पणी 24.2 देखें)		
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	66,726.48	39,565.33
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (वर्तमान)- (टिप्पणी संख्या-21 देखें)	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	66,726.48	39,565.33
19.1.1	अनुदान में शामिल हैं:-		
	पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया।	66,726.48	39,565.33

(लाख रुपये में)

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	मांग पर चुकाने योग्य ऋण बैंकों से - प्रतिभूत	-	-
ख.	अन्य ऋण बैंक से - प्रतिभूत	-	-
ग.	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता - बॉन्ड - सावधि ऋण - बैंक-प्रतिभूत - सावधि ऋण - बैंक-अप्रतिभूत - सावधि ऋण - वित्तीय संस्थान-प्रतिभूत - अप्रतिभूत-सरकार से (अधीनस्थ ऋण) - अन्य-अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	- - - - - - -	- - - - - - -
	उप जोड़ (ग)	-	-
घ.	मूल कंपनी से ऋण - सावधि ऋण - अप्रतिभूत	- -	- -
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 20.2 पट्टा देयताएं - वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 16.2.2 देखें)	94.67	73.61
	कुल	94.67	73.61

टिप्पणी सं. 20.3 देय व्यापार - वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम (उद्यमों) की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.1 देखें)	119.76	90.42

	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.3 देखें)	203.77	741.54
	कुल	323.53	831.96
20.3.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	119.76	90.42
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के तहत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) के तहत दिया गया है।		
20.3.2	व्यापार देयों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-20.3 का अनुबंध-। देखें।		
20.3.3	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों के कुल बकाया देयों में मूल कंपनी को देय शून्य रूप (गत वर्ष शून्य रूप) शामिल है।		
20.3.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
बॉण्ड आवेदन राशि	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य पूंजीगत कार्य/आपूर्ति के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.3)	16,794.92	6,204.69
जमा	-	-
पूंजीगत कार्य/आपूर्ति-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.1)	3.21	41.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति	20.22	22.42

	देयता दायित्व		
	ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	-	-
	उपार्जित और ऋण पर देय ब्याज	-	-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बॉण्ड के प्रति देय		
	- मूल धन	-	-
	- ब्याज	-	-
	धरोहर राशि जमा / प्रतिधारण राशि	2,165.39	1,217.51
	मूल/ सहायक कंपनियों के कारण	156.74	5,523.80
	शेयर आवेदन राशि के लिए देयता - वापसी योग्य सीमा तक	-	-
	अदा न किया गया लाभांश (देखें टिप्पणी 20.4.1)	-	-
	अदा न किया गया ब्याज (देखें टिप्पणी 20.4.1)	-	-
	विलंब भुगतान अधिभार हेतु देय	-	-
	कर्मचारियों को देय	46.28	18.80
	अन्यों को देय	4.57	3.49
	कुल	19,191.33	13,031.71
20.4.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	3.21	41.00
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया ब्याज	-	-
20.4.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 34(15) में दिया गया है।		

20.4.2	“अदा न किया गया लाभांश” और “अदा न किया गया ब्याज” में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बाण्ड निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने की राशि को उसमें अंतरित कर दिया गया है। और वर्ष के दौरान, 3.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपए) के अप्रदत्त लाभांश को भुगतान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को किया गया है। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।
20.4.3	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता में मूल कंपनी को देय 498.62 लाख रुपए की राशि शामिल है।
20.4.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	-	-
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
जमा/एजेंसी आधार कार्यों पर अव्ययित राशि कार्य	-	-
देय जल उपयोग शुल्क	-	-
देय होने वाली सांविधिक देनदारियां	1,616.83	952.87
अनुबंध देयताएं-जमा कार्य	-	-
अनुबंध देयताएं-परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संबंध में वसूली योग्य राशि का प्रावधान	-	-
ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	-	-
सरकार से सहायता-अनुदान - आस्थगित	-	-

	आय से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या- 19.1 देखें)		
	कुल	1,616.83	952.87

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क.	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
i)	दीर्घकालिक लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	26.44	30.75
	वर्ष के दौरान वर्धन	32.43	26.44
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई/ अंतरित राशि	26.44	30.75
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	32.43	26.44
ii)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	-	-
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
iii)	निष्पादन संबंधी वेतन/ प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	803.88	978.92
	वर्ष के दौरान वर्धन	965.69	743.25
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	897.93	890.37
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	0.43	27.92
	अंतिम शेष	871.21	803.88
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	12.73	-
	अग्रिम का निवल अंतिम शेष	858.48	803.88

iv)	<u>सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
v)	<u>वेतन संशोधन का प्रावधान- तीसरी वेतन संशोधन समिति</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
ख.	अन्य		
i)	<u>टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
ii)	<u>प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	12,165.73	15,171.75
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	2,000.00	3,006.02
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	10,165.73	12,165.73

iii)	<u>बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
iv)	<u>आजीविका सहायता का प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
v)	<u>माध्यस्थम पंचाट/ न्यायालय मामलों के संबंध में प्रावधान</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
vi)	<u>प्रावधान- अन्य</u>		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	11,056.64	12,996.05

22.1	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।
------	--

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	789.70	2,100.23
	वर्ष के दौरान वर्धन	1,345.35	789.70
	वर्ष के दौरान समायोजित की गई	789.70	443.31
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		1,656.92
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई		
	वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	1,345.34	789.70
	घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	<u>1,351.68</u>	<u>873.13</u>
	निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	(6.34)	(83.43)
	(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-4 के अधीन प्रकट की गई)	6.34	83.43
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 प्रचालनों से राजस्व

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन राजस्व		
क.	बिक्री		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	मूल्यहास पर अग्रिम - अवधि के दौरान पश्चलेखित	-	-
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	-
	उप-जोड़ (i)	-	-
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के कारण बिक्री समायोजन	-	-
	टैरिफ समायोजन	-	-
	विनियमित विद्युत समायोजन	-	-
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित)	-	-
	ग्राहकों को छूट	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
	उप - जोड़ (क) = (i -ii)	-	-
ख.	वित्त पट्टे से आय	-	-
ग.	प्रचालन पट्टे से आय	-	-
घ.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व		

	अनुबंध आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	उप - जोड़ (घ)	-	-
ड	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	घटाएं : ग्राहकों को छूट		
	व्यापार अंतर	-	-
	उप - जोड़ (ई)	-	-
	उप-जोड़-I (क+ख+ग+घ+ड)	-	-
च.	अन्य प्रचालन राजस्व		
	स्व-उत्पन्न वीडिआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	-
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	-	-
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	-	-
	उप-जोड़-II	-	-
	कुल (I+II)	-	-

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय		
	-एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश-गैर कर योग्य	-	-

	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- कर योग्य	-	-
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5% कर मुक्त बांड) जारीकर्ता	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता	5,342.13	3,137.71
	- कर्मचारी के ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	1.64	1.88
	- ठेकेदारों को अग्रिम	5,653.05	3,933.09
	- अन्य	3.34	-
ख)	लाभांश आय		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी 34.8 देखें)	-	-
	- लाभांश - अन्य	-	-
ग)	अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय को सीधे आरोप्य व्यय का निवल)		
	विलंब भुगतान अधिभार	-	-
	व्यापार में बाधा के कारण हानि की वसूली	-	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-
	बीमा दावे से आय	-	-
	देयताएं/क्षति भत्ते/पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं होने वाले प्रावधान (टिप्पणी 24.2.1 देखें)	1.27	9.53
	ठेकेदार को जारी सामग्री		
	(i) ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	-	-
	(ii) ठेकेदारों को वसूली योग्य आधार पर	-	-

	जारी सामग्री की लागत		
	(iii) ठेकेदार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	-	-
	सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी 19 देखें)	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	-	-
	व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ	-	-
	अन्य	143.70	191.78
	उप जोड़	11,145.13	7,273.99
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	11,145.13	7,273.99
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	5,798.44	4,135.18
	घटाएं: ग्राहक/ ठेकेदारों से अग्रिम/जमा को अंतरित और जमा कार्यों के प्रति	-	-
	घटाएँ: अन्य आय का अनुदान में अंतरण	-	-
	कुल	5,346.69	3,138.81

24.2.1	देयताओं/हानि भत्तों/पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों का विवरण		
क)	खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते		
ख)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		
ग)	राज्य सरकार को खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		
घ)	खराब और संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए		

	भत्ते		
ड)	मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और ह्रास के लिए भत्ते		
च)	व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		
छ)	खराब और संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते		
ज)	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
झ)	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
ञ)	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
ट)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
ठ)	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
ड)	दीर्घावधि लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
ढ)	पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
ण)	टैरिफ समायोजन का प्रावधान		
त)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
थ)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
द)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान		
ध)	तीसरी पीआरसी के लिए प्रावधान		
न)	अन्य	1.27	9.53
	कुल	1.27	9.53

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद - व्यापार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	-	-
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 25.2 उत्पादन व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जल उपयोग शुल्क	-	-
भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
उप जोड़	-	-
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	7,429.22	6,169.82
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,054.84	813.92
कर्मचारी कल्याण व्यय	520.66	555.07

	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	उप जोड़	9,004.72	7,538.81
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	(0.33)
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	9,004.72	7,538.48
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	7,890.50	6,198.69
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	1,114.22	1,339.79

26.1	कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास के लिए पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
26.2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान में निम्नलिखित शामिल है:	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	473.32	393.89
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के प्रति	469.64	308.31
26.3	वेतन और मजदूरी में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल है।	-	-
26.4	कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के आर एण्ड डी क्रियाकलापों में नियोजित कर्मचारियों के संबंध में शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।		

टिप्पणी सं. 27 वित्त लागत

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		

	बॉण्ड	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	भारत सरकार ऋण	-	-
	अल्पकालिक ऋण	-	-
	नकद ऋण सुविधाएं /डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज शुल्क	-	-
	पट्टा देयताएं	8.42	9.33
	छूट की समाप्ति-भारत सरकार ऋण	2,310.48	521.67
	उप जोड़	2,318.90	531.00
ख.	अन्य ऋण लागत		
	कॉल स्प्रेड/कूपन अदला-बदली	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	0.01	0.01
	छूट को समाप्त करना - प्रावधान और वित्तीय देनदारियों	17.38	22.19
	उप जोड़	17.39	22.20
ग.	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू शुद्ध (लाभ) / हानि		
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए	-	-

	विनिमय अंतर		
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियों को अंतरित	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	आयकर पर ब्याज	-	-
	कुल (क + ख + ग + घ)	2,336.29	553.20
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	कुल	2,336.29	553.20
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	2,334.72	550.25
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	1.57	2.95

टिप्पणी संख्या 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	990.25	448.75
	मूल्यहास-उपयोग का अधिकार	1,031.28	1,042.33
	परिशोधन-अमूर्त परिसंपत्तियां	11.06	14.74
	विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 19 और 5(घ)(ii) देखें)	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-

	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): अन्य यूनिटों को/से आवंटित मूल्यहास	-	-
	उप जोड़	2,032.59	1,505.82
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	1,972.47	1,400.36
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	60.12	105.46

टिप्पणी सं. 29 अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ख.	मरम्मत और रखरखाव		
	- भवन	870.40	664.75
	- मशीनरी	-	-
	- अन्य	135.99	67.06
ग.	अन्य व्यय		
	किराया	284.29	567.97
	किराया प्रभार	210.55	58.03
	दरें और कर	54.97	105.69
	बीमा	7.34	7.86
	सुरक्षा व्यय	299.58	347.41
	विद्युत प्रभार	91.88	91.64
	यात्रा और परिवहन	177.85	107.59
	वाहनों पर व्यय	83.83	57.73
	टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	86.42	70.71
	विज्ञापन और प्रचार	19.32	37.82
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	7.11	11.25
	मुद्रण और लेखन सामग्री	36.82	28.87
	परामर्श शुल्क - देशीय	2,484.24	2,523.85
	परामर्श शुल्क - विदेशी	-	-
	लेखापरीक्षा व्यय (टिप्पणी 29.3 देखें)	6.49	2.36
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय संबंधी व्यय	64.43	11.25
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व	274.09	161.21

में नहीं है		
आस्तियों पर हानि (निवल)	11.03	0.70
बीमा दावों से क्षति	-	-
दान	0.25	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 34(13) देखें)	20.93	25.54
सामुदायिक विकास व्यय	-	-
निदेशकों का बैठक शुल्क	-	-
माध्यस्थम/न्यायालय मामलों पर ब्याज	-	-
लाभार्थी को ब्याज	-	-
स्व-उत्पन्न किए गए वीडिआर/आरईसी पर व्यय	-	-
विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-	-
घटाएं: - विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-
विनिमय दर अंतर (निवल)	37.02	9.98
प्रशिक्षण व्यय	8.72	3.15
याचिका शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अन्य शुल्क - सीईआरसी / आरएलडीसी / आरपीसी / आईईएक्स / पीएक्सआईएल को	-	0.05
केन्द्रीय विद्यालय के संचालन/चालन व्यय	-	-
अन्य विद्यालयों के संचालन/चालन व्यय	-	-
अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन/चालन व्यय	-	-
डीजी सेट-आवासीय के अलावा अन्य परिचालन व्यय	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि	-	-
व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
अन्य सामान्य व्यय	834.35	130.19

	उप जोड़	6,107.90	5,092.66
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	(13.19)
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	6,107.90	5,079.47
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	5,730.40	4,635.71
	घटाएं : जमा कार्यों/राज्य सरकार से वसूली योग्य	20.84	-
	घटाएं: पुनर्खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
	उप-जोड़ (i)	356.66	443.76
ड.	प्रावधान/क्षति भत्ता		
	व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति भत्ता	-	-
	प्रत्याशित ऋण हानि के लिए क्षति भत्ता - व्यापार प्राप्तियां	-	-
	अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	-	-
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जो/निर्माण भंडार के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जो में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति भत्ता	-	-
	परियोजना व्यय के लिए भत्ता	-	-
	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ता	-	-
	स्व-निर्मित वीडिआर की मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए	-	-

	भत्ता		
	लाभार्थियों को ब्याज (टिप्पणी 29.2 देखें)	-	-
	न्यायालय/मध्यस्थता निर्णय के प्रति ब्याज	-	-
	अन्य	-	-
	उप जोड़	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	-	-
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
		-	-
	कुल (i+ii)	356.66	443.76
29.1	पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
29.2	सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 21.02.2014 के तहत कंपनी द्वारा दायर ड्रइंग-अप आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश की अधिसूचना लंबित होने के चलते, लाभार्थी राज्यों को ब्याज के लिए वर्ष के दौरान बहियों में बताई गई राशि प्रदान की गई है, जिसका उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी मामले में भुगतान करना पड़ सकता है।		
			(लाख रुपये में)
29.3	लेखापरीक्षा व्यय का विवरण निम्नवत है:-	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) सांविधिक लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षक के रूप में		
	लेखापरीक्षा शुल्क	4.72	2.36

	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	-	-
	कंपनी कानून मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	1.77	
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	ii) लागत लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	iii) माल और सेवा कर (जीएसटी)		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	6.49	2.36
29.4	किराए में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं।		
(i)	एक माह या उससे कम की पट्ट अवधि के अलावा अन्य अल्पकालिक पट्टों पर व्यय	240.72	437.17
(ii)	कम मूल्य की संपत्ति के दीर्घकालिक पट्टे पर व्यय	-	71.93
(iii)	पट्टा देनदारियों के माप में शामिल नहीं होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	43.57	58.87

टिप्पणी सं. 30.1 कर व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,345.35	789.70
पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन	-	-
कुल वर्तमान कर व्यय	1,345.35	789.70
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
- मेट क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	-	-
आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि (कमी)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	-	-
निवल आस्थगित कर	-	-
कुल	1,345.35	789.70

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं : रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आयकर	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन	-	-
-नियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में संचलन- रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं: नियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	-	-
रोजगारपश्च निर्धारित लाभ दायित्व (कर का निवल) और नियामक आस्थगित लेखा शेष (क) का पुनर्मापन	-	-
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश	-	-
घटाएं : इक्विटी लिखतों पर आयकर	-	-
उप जोड़ (ख)	-	-
कुल (i)=(क)+(ख)	-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
- ऋण लिखतों में निवेश	-	-
घटाएं: ऋण लिखतों में निवेश पर आयकर	-	-
कुल (ii)	-	-
कुल =(i+ii)	-	-

टिप्पणी सं. 31 नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	-
(ii)	टैरिफ को मंद किए जाने के कारण मूल्यहास	-	-
(iii)	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	45.77	9.99
(iv)	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन	-	-
(v)	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उसके बाद के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	-	-
(vi)	मैट क्रेडिट	-	-
	कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	45.77	9.99
	विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
	घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	-	-
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
	कुल	45.77	9.99

टिप्पणी सं. 32 वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	उत्पादन व्यय		
	भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी लाभ व्यय		
	वेतन और मजदूरी	4,941.80	4,179.09
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशादान	726.35	561.28
	कर्मचारी कल्याण व्यय	290.17	363.25
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	उप जोड़	5,958.32	5,103.62
ग.	वित्त लागत		
	निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी 2.2.3 देखें)		
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
		-	-
	नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर को	-	-
	हेजिंग लेनदेन पर हानि	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-

	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	0.01	0.01
	ईएसी को व्यय का हस्तांतरण- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	2,310.48	521.67
	ईएसी को व्ययों का अंतरण -सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रतिधारण धन-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	20.62	25.62
	ईएसी को व्यय का अंतरण- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	-	-
	ईएसी-प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय में व्यय का अंतरण-समय मूल्य के लिए समायोजन	-	-
	उप जोड़	2,331.11	547.30
घ.	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1,834.16	1,294.90
	उप जोड़	1,834.16	1,294.90
ड	अन्य व्यय		
	मरम्मत और रखरखाव :		
	-भवन	543.38	408.36
	-मशीनरी	-	-
	-अन्य	108.70	38.30
	किराया और किराया प्रभार	490.75	624.41
	दरें और कर	11.02	14.86
	बीमा	1.32	1.34
	सुरक्षा व्यय	201.80	251.16
	विद्युत शुल्क	46.19	49.37
	यात्रा और परिवहन	112.08	77.21
	वाहनों पर व्यय	42.62	20.80
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	65.84	51.91
	विज्ञापन और प्रचार	0.84	11.80
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	-	-

	मुद्रण और लेखन सामग्री	18.23	17.07
	डिजाइन और परामर्श शुल्क:		
	- देशीय	2,470.97	2,505.80
	- विदेशी	-	-
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय पर व्यय	64.43	11.25
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी से संबद्ध नहीं है	274.09	161.21
	बट्टे खाते में डाले गए संपत्तियां/दावे	-	0.25
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	-
	संपत्ति की बिक्री पर हानि	8.30	2.82
	अन्य सामान्य व्यय	779.67	75.73
	विनिमय दर भिन्नता (डेबिट)	-	-
	उप जोड़	5,240.23	4,323.65
च.	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	-	-
छ.	कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	अन्य आय	(2.32)	(14.99)
	अन्य व्यय	490.17	312.06
	कर्मचारी लाभ व्यय	1,932.18	1,095.07
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	138.31	105.46
	वित्त लागत	3.61	2.95
	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	2,561.95	1,500.55
ज.	घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां		
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	-	-
	ऋण और अग्रिम पर ब्याज	5,653.47	3,933.66
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-

	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	1.20	-
	विविध प्राप्तियां	141.45	186.38
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - सुरक्षा जमा	-	0.15
	ईएसी को आय का अंतरण - व्युत्पन्न पर एमटीएम लाभ	-	-
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर	-	-
	उप जोड़	5,796.12	4,120.19
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) (टिप्पणी 2.2 देखें)	12,129.65	8,649.83

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय लिखत और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	वित्तीय परिसंपत्तियां							
	गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	गैर-वर्तमान निवेश							
क)	इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1						
ख)	ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत"	3.1						
	उप जोड़							
(ii)	व्यापार प्राप्य	3.2						
(iii)	ऋण							
क)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3						
ख)	कर्मचारी	3.3			8.98			8.93
ग)	सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3						
घ)	अन्य	3.3						
(iv)	अन्य							
	जमा	3.4						
	ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			137.72			134.69

(लाख रूप में)

	वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	वित्तीय देयताएं							
(i)	दीर्घावधि ऋण	16.1			38,454.67			20,813.34
(ii)	पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2		54.72				55.45
(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय)	16.3		117.46				322.25
(iv)	ऋण - अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1		-				-
(v)	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2		94.67				73.61
(vi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3		323.53				831.96
(vii)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क)	ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4		-				-
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	20.4		19,191.33				13,031.71
	कुल वित्तीय देयताएं			58,236.38				35,128.32

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है

स्तर-1 : स्तर-1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

		(लाख रूपए में)					
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) निवेश -							
- इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	-			-		
- ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत*	3.1	-			-		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4					0	
कुल		-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

* इन लिखतों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।
अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को			31 मार्च, 2022 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
(i) वित्तीय परिसंपत्तियां							
व्यापार प्राप्य	3.2			-			
(ii) ऋण							
संबंधित पक्ष को ऋण	3.3		11.51			11.92	
कर्मचारी	3.3		0.00			-	
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)			0.00			0	
घ) अन्य	3.3			-			
(iii) अन्य							
सुरक्षा जमा	3.4		137.72			134.69	
12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		0			100	

(लाख रूपए में)

	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4										
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4										
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		0	149.23		0	246.61					
	वित्तीय देयताएं											
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4	0		0	0						0
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)		-		94.27	0						342.62
	कुल वित्तीय देयताएं	16.3	0	0.00	94.27	0	0				0	342.62

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

(लाख रूपए में)					
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	3.2	-	-	-	-

(ii)	ऋण								
क)	कर्मचारी	3.3	8.98	11.51	8.93				11.92
ख)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3	-	-	-				-
ग)	सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	-	-	-				-
घ)	अन्य		-	-	-				-
(ii)	अन्य								
	सुरक्षा जमा	3.4	137.72	137.72	134.69				134.69
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	-	-	100.00				100.00
	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4	-	-	-				-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4	-	-	-				-
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		146.70	149.23	243.62				246.61
	वित्तीय देयताएं								
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	38,454.67	38,454.67	20,813.34				20,813.34
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	117.46	94.27	322.25				342.62
	कुल वित्तीय देयताएं		38,572.13	38,548.94	21,135.59				21,155.59

टिप्पणी :-

1. वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
 - उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
2. स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर एनएचपीसी की भारित औसत दर पर।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन
(क) वित्तीय जोखिम कारक
कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्त्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनियम	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनियम दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनियम

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है

i. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii. नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेड रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	-	-
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	8.98	8.93
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (पट्टा प्राप्य और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	137.72	234.69
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	48,065.47	39,432.91
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	23,565.00	65,611.55
ऋण - वर्तमान	37.85	28.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	12,788.65	8,129.83
कुल (क)	84,603.67	113,446.47
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	-	-
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	84,603.67	113,446.47

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:

(लाख रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	प्राप्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2021 को शेष	-	-		-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-		-	-
01.04.2022 को शेष	-	-		-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-		-	-
31.03.2023 को शेष	-	-		-	-

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्घवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।
- ii. कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

	(लाख रूपए में)	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिवर्तनशील दर पर	-	-
स्थिर दर	-	-
कुल	-	-

ii. **वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:**

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2023 को

(लाख रूपए में)						
वित्तीय देयताओं संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी की सं.	31.03.2023 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	102,349.00	-	-	-	102,349.00
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	149.39	94.67	56.71	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	19,311.33	19,192.49	113.25	5.59	-
व्यापार देय	20.3	323.53	323.53	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		122,133.25	19,610.69	169.96	5.59	102,349.00

31 मार्च, 2022 को

							(लाख रूपए में)
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक	
ऋण	16.1 और 20.1	59,857.00	-	-	-	59,857.00	
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	129.06	73.61	57.97	-	-	
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	13,455.91	13,033.16	2.62	420.13	-	
व्यापार देय	20.3	831.96	831.96	-	-	-	
कुल वित्तीय देयताएं		74,273.93	13,938.73	60.59	420.13	59,857.00	

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i)

ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

(लाख रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार		31 मार्च, 2022 के अनुसार	
	भारत ब्याज दर (%)	भारत औसत ब्याज दर (%)	भारत औसत ब्याज दर (%)	
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूप)				
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूप)	7.72%		7.89%	20,813.34
नियत दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
कुल		38,454.67		20,813.34

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

(ii) **मूल्य जोखिम:**

(क) **संपर्क**

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है।

निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत से संपर्क निम्नानुसार है :-

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
इक्विटी लिखत	-	-
ऋण लिखत	-	-

(iii) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) **विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है

(राशि रूप में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
अन्य वित्तीय देयताएं	2,292.10	507.66
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	2,292.10	507.66

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे संपर्क के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है। कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(लाख रूपए में)

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(क) कुल ऋण	38,604.06	20,942.40
(ख) कुल पूंजी	399,623.41	349,045.87
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.10	0.06

टिप्पणी: कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और आरक्षित शामिल हैं। कुल ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उसकी वर्तमान परिपक्वता सहित पढा देनदारियां, अल्पकालिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड के लिए देय शामिल हैं।

टिप्पणी सं. - 33(4) :- वित्तीय अनुपात

क्रम सं.	विवरण	अंश	हर	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि	प्रतिशत अंतर	अंतर के कारण
क.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	2.69	4.07	33.80	वर्तमान अनुपात में कमी का कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कम इक्विटी शामिल किए जाने के कारण वर्तमान परिसंपत्ति में कमी के चलते है।
ख.	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.10	0.06	61.00	इस अनुपात में वृद्धि का कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा उप-ऋण जारी करने के परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि के चलते है।
ग.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
घ.	इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	कर पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.67	0.15	350.34	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।

ड.	मालसूची टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
च.	प्राप्य व्यापार टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत देनदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
छ.	देय व्यापार टर्नओवर अनुपात	क्रय	देय औसत व्यापार	9.55	1.43	567.83	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य वित्तीय देयताओं के लिए देय व्यापार के पुनर्समूहन के चलते है ।
ज.	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
झ.	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	निवल लाभ राजस्व	प्रचालनों से राजस्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ञ.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	ब्याज और करों से पूर्व आय	नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्तियां- वर्तमान देयताएं)	0.76	0.31	148.74	इस अनुपात में वृद्धि का कारण अन्य आय में वृद्धि के चलते पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि (बैंक के साथ एफडीआर में निवेशित अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) है।
ट.	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	निवेशों से उत्पन्न आय	समय भारत औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी 1 :- कंपनी को पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक के अनुपात में किसी परिवर्तन के कारण स्पष्टीकरण देना अपेक्षित होता है।

टिप्पणी संख्या - 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं -

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **240,21,02,010 रुपये** (पिछले वर्ष **143,26,66,095 रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **2,64,41,555 रुपये** (पिछले वर्ष **1,77,97,740 रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **8,41,07,851/- रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **231,79,94,159/- रुपये** (पिछले वर्ष **1,43,26,66,095/- रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) **विवादित कर मांग**

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) **अन्य**

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **3,07,125/- रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788/- रूपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **3,07,125/- रूपये** (पिछले वर्ष **5,32,788 रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	2402102010	84107851	2317994159	1432666095	885328064	84107851
2.	भूमि मुआवजा मामले	--	-	--	-	--	-

3.	विवादित कर मामले	--	-	--	-	--	-
4.	अन्य	307125	-	307125	532788	(225663)	(225663)
	कुल	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **शून्य रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **79,38,932 रुपये** (पिछले वर्ष **79,38,932 रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/वर्तमान परिसंपत्तियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित में दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 13 भी देखें)।
- (च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- (छ) 31.03.2023 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2023 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभागों	0	0	0	0	0	0
2	राज्य सरकार के विभागों या स्थानीय निकायों	0	0	0	0	0	0
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईस)	0	0	0	0	0	0
4	अन्य	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188
	कुल	2402409135	84107851	2318301284	1433198883	885102401	83882188

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति 3,51,81,330 रुपये (पिछले वर्ष 3,51,81,330 रुपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) शामिल है। प्रबंधन के आकलन के अनुसार शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) अन्य मामले

प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाए गए अनुसार अन्य विविध मामलों के कारण दावों शून्य रूप (पिछले वर्ष शून्य रूप) को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(राशि रूप में)			
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	115,52,53,07,584	92,46,65,15,009
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	1,41,43,102	1,41,43,102
	कुल	115,53,94,50,686	92,48,06,58,111

4. अन्य प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) : कोई नहीं।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :
(राशि रूप में)

क्रम सं	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	0	0
(ii)	ऋण लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि *	0	0
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि में समायोजित राशि	0	0
(iv)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मान्यता दी गई राशि	45,77,499	9,98,569

* हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव प्रचलित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019-24 के

निबंधनों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। वर्ष के लिए उधारियों की लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर भिन्नता को कंपनी की उल्लेखनीय लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति (लाभार्थियों से वसूलीयोग्य) में स्थानांतरित किया जाता है।

6. प्रचालन खंड :

- क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है।
- ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

7. इंड एस-24 “संबंधित पक्ष प्रकटन“ के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) मूल कंपनी :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत
जेकेएसपीडीसी	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष - जेकेएसपीडीसी के नामिति
2.	श्री अतुल डुल्लू	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (04.05.2022 से पद पर नहीं रहे)
3.	श्री नीतीश्वर कुमार, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (22.09.2022 से पद पर नहीं रहे)
4.	श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (30.09.2022 से पद पर नहीं रहे)
5.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (20.10.2022 से पद पर नहीं रहे)
6.	श्री वाई के चौबे	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति

		(02.03.2023 से पद पर नहीं रहे)
7.	श्री आर.पी.गोयल	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति
8.	श्री विश्वजीत बासु	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (02.03.2023 से)
9.	श्री रजत गुप्ता	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (09.06.2022 से पद पर नहीं रहे)
10.	श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (27.06.2022 से)
11.	श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (21.12.2022 से)
12.	सुधीर आनंद	कंपनी सचिव, सीवीपीपीपीएल

(iii) सीवीपीपीपीएल के रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत

(iv) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है जो क्रमशः केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	संबंधित पक्ष का नाम	सीवीपीपीपीएल के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	मूल कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	एनएचपीसी	धारक कंपनी

3.	जेकेएसपीडीसी	कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले शेयरधारक
4.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	मूल कंपनी (जेकेएसपीडीसी) पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) एनएचपीसी के साथ लेन-देन और शेष

(राशि रुपये में)

लेन-देन	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
• एनएचपीसी	28,53,28,090	37,57,06,519
कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लाभांश		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	332,63,00,000	447,37,12,860
प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(राशि रुपये में)

शेष	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
निम्नलिखित से प्राप्य (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय (अप्रतिभूत)		

• एनएचपीसी	6,55,36,372	61,89,83,167
निम्नलिखित द्वारा इक्विटी में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	1947,39,12,860	1839,45,12,860
निम्नलिखित से प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(ii) जेकेएसपीडीसी के साथ लेनदेन और शेष :-

(राशि रुपए में)

लेन-देन	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	148,00,00,000	265,42,00,000
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-

(राशि रुपए में)

शेष:-	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)	-	-
देय (अप्रतिभूत)	-	-
इक्विटी में निवेश	1745,00,00,000	1597,00,00,000
प्राप्य ऋण और अग्रिम	-	-

देय ऋण और अग्रिम	-	-
------------------	---	---

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेन-देन और शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2023 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार- पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	21,94,362/-	-	-	-	-	-	-
2. प्रबंध निदेशक							
हसन नदीम पैन:- ABGPH4911G	50,01,312/-	-	-	-	-	-	-
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	9,56,355/-	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	25,79,445/-	-	-	-	-	-	-

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2022 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार- पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							

सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	20,31,082/-	-	-	-	-	-	-
2. प्रबंध निदेशक							
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	44,42,998/-	-	-	-	-	-	-
ए के चौधरी पैन:- AADPC5489N	66,92,636/-	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:- AFIPA4889E	24,27,428/-	-	-	-	-	-	-

(iv) रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

(राशि रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं (नाम)	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापसी का निवल)		रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से शेष	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	8,95,650/-	9,27,100/-	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	2,96,86,264/-	2,42,28,404/-	-	-
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	7,77,225/-	6,60,875/-	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	2,87,26,130/-	2,81,61,005/-	-	-

(v) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केन्द्र सरकार)

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	424,92,00,000	598,57,00,000
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-

(vi) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	1023,49,00,000	598,57,00,000
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	-	-

(vii) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात जम्मू और कश्मीर सरकार)

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	1,95,02,258	60,947,737

कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-

(viii) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(राशि रुपए में)		
विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
जम्मू और कश्मीर सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	-	-
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	1,21,40,90,45 1	74,57,67,880

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटरी मर्दों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्दों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

- ख. कंपनी द्वारा मूल कंपनी से प्राप्त परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।
- ग. 31.03.2023 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।
- घ. प्रमोटरों (एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी) के मध्य अनुपूरक प्रमोटर समझौते पर 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसके कारण एनएचपीसी ने कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

8. प्रतिभूति के विवरण: उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	-
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	-	-
	कुल	-	-

9. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है और ऐसा अंशदान योजना के प्रचालन की तिथि अर्थात् 05.06.2018 से निधि को बनाने के लिए 8 वर्ष तक। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से

पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय 8,95,650/- रुपए (पिछले वर्ष 9,27,100/- रुपए) है।

(ii) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व है:

(क) **योजनाओं का विवरण**

(i) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन ($15/26 \times$ अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(iii) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) उपदान: 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	3,33,40,954	-	3,33,40,954
वर्तमान सेवा लागत	47,42,078	-	47,42,078
ब्याज व्यय/(आय)	24,20,553	-	24,20,553
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	71,62,631	-	71,62,631
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	4,05,03,585	-	4,05,03,585

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का	योजनागत	निवल राशि

	वर्तमान मूल्य	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2,79,97,840	-	2,79,97,840
वर्तमान सेवा लागत	45,00,751	-	45,00,751
ब्याज व्यय/(आय)	18,92,654	-	18,92,654
अदा किए गए लाभ	(10,50,291)	-	(10,50,291)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	53,43,114	-	53,43,114
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	3,33,40,954	-	3,33,40,954

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताए गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(राशि रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	4,05,03,585	3,33,40,954
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	4,05,03,585	3,33,40,954
गैर-वित्तपोषित योजनाएं		
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	4,05,03,585	3,33,40,954

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	7.92%	8.31%	इससे वृद्धि	8.82%	9.29%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.37%	6.47%	इससे कमी	5.36%	7.06%

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(iii)

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2022-23			

01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	17377977	-	17377977
वर्तमान सेवा लागत	57,03,308	-	57,03,308
ब्याज व्यय/(आय)	12,61,641	-	12,61,641
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	69,64,949	-	69,64,949
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	2,43,42,926	-	2,43,42,926

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	2954231	0	2954231

ब्याज व्यय/(आय)	0	0	0
कटौती लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	14423746	0	14423746
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	17377977	0	17377977
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	0	0	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0	0	0
अनुभव (लाभ)/हानि	0	0	0
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0	0	0
अंशदान :-			
- नियोक्ता	0	0	0
- योजना प्रतिभागी	0	0	0
हितलाभ भुगतान	0	0	0
31.03.2022 को अंतिम शेष	17377977	0	17377977

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(राशि रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2,43,42,926	1,73,77,977
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	2,43,42,926	1,73,77,977
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	2,43,42,926	1,73,77,977

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.44%	लागू नहीं	इससे वृद्धि	5.04%	लागू नहीं

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2022-23 तथा 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	1,91,810	-	1,91,810
वर्तमान सेवा लागत	27,237	-	27,237

ब्याज व्यय/(आय)	13,925	-	13,925
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	41,162	-	41,162
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	2,32,972	-	2,32,972

(राशि रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1,70,803	-	1,70,803
वर्तमान सेवा लागत	9,461	-	9,461

ब्याज व्यय/(आय)	11,546	-	11,546
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	21,007	-	21,007
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	1,91,810	0	1,91,810

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव
-------	----------------------------------

	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	9.95%	8.04%	इससे वृद्धि	11.18%	9.04%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
छूट दर	7.39%	7.26%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) जोखिम प्रदर्शन: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है -

- क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्वों का छूट न प्रदान किया गया प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

उपदान, रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

(राशि रुपए में)					
विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2023					
उपदान	881570	826386	2340922	36454707	40503585
रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	1304	5925	191759	24143938	24342926
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	657	5006	14105	213204	232972
कुल	883531	837317	2546786	60811849	65079483
31.03.2022					
उपदान	627007	685419	1958384	30070144	33340954
रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	535	2230	12106	176939	191810
कुल	627542	687649	1970490	30247083	33532764

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **3,26,30,879/- रुपए (31 मार्च 2022 : 2,80,87,446/- रुपए)** है।

(घ) एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में, जो वर्तमान में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के रोल पर हैं, बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित व्यय को डेबिट/क्रेडिट सलाह के माध्यम से संबंधित वर्ष में सीवीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आईयूटी प्रमाण-पत्र में उसी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है
(राशि रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य विविध मामले	48,25,38,912/-	37,26,26,792/-
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	-	-

11. प्रति शेयर अर्जन:-

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	0.0681	0.0152
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - मूल और कम किया गया	0.0694	0.0155
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु	24.69	4.57

विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)		
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	25.15	4.67

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारत औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारत औसत संख्या	3623405400	3011577100

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5,00,000/- रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2022 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2023 को बकाया निम्नानुसार है :

विवरण	(राशि रुपए में)		
	31.12.2022 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2023 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित)	-	-	-

पूँजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/ आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यो को अग्रिम	5,71,27,96,497	4,85,97,59,920	6,39,68,24,135
व्यापार/अन्य देय	29,58,66,515	9,51,81,891	1,71,01,53,032
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	23,87,38,101	21,41,65,104	22,57,05,986

(ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

13. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (टिप्पणी 29 देखें)

(i) किए गए व्ययों के विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय वाले व्यय के शीर्ष	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	20,65,195	311627
2	शिक्षा और कौशल विकास	-	-
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	-	-
4	पर्यावरण	-	-
5	कला और संस्कृति	-	-
6	पूर्व सशस्त्र बल	-	-
7	खेल	-	-
8	राष्ट्रीय कल्याण निधि	-	-
9	ग्रामीण विकास	-	-
10	क्षमता निर्माण	-	-
11	स्वच्छ विद्यालय अभियान	-	-
12	स्वच्छ भारत अभियान	-	-
13	आपदा प्रबंधन	-	-

14	केंद्र सरकार की निधियों को योगदान	-	-
15	प्रभाव आकलन	-	-
16	प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-
17	चल रहे क्रियाकलाप	-	2242494
	कुल राशि	20,65,195	2554121

ii. अन्य प्रकटीकरण:-

क. वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और नकद में भुगतान किए जाने वाले व्यय के विवरण व्यय की प्रकृति (पूँजी या राजस्व प्रकृति) के साथ निम्नानुसार है: -

(राशि रुपये में)

	उद्देश्य	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए			31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए		
		नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान किया गया (क)	नकद में भुगतान किया जाना है (ख)	कुल (क+ख)
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	20,65,195	-	20,65,195	311627	2242494	2554121
	कुल	20,65,195	-	20,65,195	311627	2242494	2554121

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, शून्य रुपये की राशि के कुल व्यय में से संबंधित पक्षकारों को 20,65,195/- रुपये का भुगतान किया जाना शेष है जो देनदारियों से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल हैं।

iii. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, सीएसआर पर व्यय करने के लिए आवश्यक राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 22,13,210/- रुपए थी (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के आधार पर)।

- iv. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु 22,95,994/- की कुल राशि का बजट आवंटित किया था।
- v. बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई 3,60,220 रुपए के आधिक्य व्यय में से 1,20,073 रुपए के समायोजन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 22,13,210 रुपए के व्यय की आवश्यकता के प्रति समायोजित किया है। इस प्रकार चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27,942 रुपये (22,13,210-1,20,073-20,65,195) अव्ययित राशि मौजूद है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में स्थानांतरण किए जाने की आवश्यकता है।
14. कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(i)	तुलन-पत्र की तारीख पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज : क) व्यापार देय: - मूल धन (टिप्पणी 20.3 देखें) - ब्याज ख) अन्य: - मूल धन (टिप्पणी 20.4 देखें) - ब्याज	1,19,76,165 - 3,20,909 -	90,42,014 -- 40,99,842 -
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में देरी के वर्ष के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान	-	-

	नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;		
(iv)	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उपार्जित और शेष अदत्त ब्याज की राशि।	-	-
(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक और बाद के वर्षों में भी देय होने वाली देय ब्याज की राशि।	-	-

15. इंड एस - 116 “पट्टे” के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फनबचर की छोटी वस्तुं और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
- ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।

घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.58 प्रतिशत है।

(ii) **पट्टे की प्रकृति :** कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैं:

(क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।

(ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रंजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।

(घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत् माना गया है

(राशि रुपये में)			
क्रम सं.	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	2,40,72,846	4,37,16,338
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	-	71,93,095
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	43,56,507	58,86,801

(iii) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **1,29,44,493/- रुपये** (गत वर्ष **88,37,848/- रुपये**) है।

(iv) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष	1,29,05,470/-	1,54,50,707/-
पट्टा देयताओं में वृद्धि	1,10,38,544/-	83,94,301/-
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	8,41,808/-	9,33,293/-
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	98,46,503/-	1,18,72,831/-
अंतिम शेष	1,49,39,319/-	1,29,05,470/-

16. इंड एस-27 - 'पृथक वित्तीय विवरण" के अंतर्गत प्रकटीकरण मूल कंपनी का हित:

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रधान क्रियाकलाप	निम्नलिखित के अनुसार स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2023	31.03.2022
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	52.74%	55.13%
जेकेएसपीडीसी	भारत	विद्युत उत्पादन	47.26%	44.87%

17. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए। प्रबंधन ने अवधारित किया है कि कंपनी को सौंपी गई परियोजना निविदा/अवार्ड/निर्माण चरण के तहत है और आज की तारीख तक कोई नकद सृजन इकाई (सीजीयू) विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई संकेत भी मौजूद नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी सीजीयू की हानि का संकेत दे।
18. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं. 10 पर प्रकट किया गया है)।**

क) **कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :**

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) **तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :** कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) **अन्य प्रावधान**

क) **प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :**

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे

प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

ख) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

ग) प्रावधान - अन्य - इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

(i) संभावित बहिर्पवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

19. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में “विनियामक आस्थगित लेखा” और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां(+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	10,59,609
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)/ देयता (-)	45,77,499
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)/ वापिस की गई (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)	45,77,499
ड	31.03.2023 को अंतिम शेष (क+घ)	56,37,108

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार विद्युत केंद्र की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है। हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यक्षीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में विद्युत की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

20. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की आवश्यकता के अनुसार “वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण” के संबंध में प्रकटीकरण निम्नवत हैं :

तिमाही	बैंक का नाम	मुहैया करवाई गई प्रतिभूति का विवरण	लेखाबहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक रिटर्न/ विवरण में यथा सूचित राशि	अंतर की राशि	भौतिक विसंगति के लिए कारण
जून, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मार्च, 2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

21. बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2023 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2022 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
लागू नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	प्राप्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	देय	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

धारित शेयर

लागू नहीं अन्य बकाया देय शून्य लागू नहीं शून्य लागू नहीं
(निर्दिष्ट किया जाना है)

22. कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि के पंजीकरण के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, जहां सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के पास कोई आरोप या संतुष्टि अभी तक दर्ज की जानी है, अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलंब का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

23. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव:

परिवर्तन का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ/हानि के विवरण पर प्रभाव - लाभ में वृद्धि/ (लाभ में कमी)	पंजीकरण में विलंब के कारण
कार्बन क्रेडिट/ सीईआर/ वीईआर को मान्यता देने संबंधी लेखांकन नीति	लागू नहीं	लागू नहीं
मूल्यहास को प्रभारित करने के लिए आवासीय कार्यालय में कर्मचारियों को मुहैया करवाई गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन	लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण कोई भौतिक प्रभाव नहीं हुआ है।	

24. धारित बेनामी संपत्ति के विवरणों के बारे में प्रकटीकरण:

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

25. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (“मध्यवर्तियों”) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि

के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से”) जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी।

कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

26. कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा अन्य उधारदाताओं द्वारा स्वेच्छाकारी व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

27. राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना का.आ. 281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित “जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति योजना (आरएसजीटीपीपी) के निबंधनों के अनुसार, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार कंपनी के पकलडुल एचईपी, किरू एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करता है। तदनुसार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे उन बाजकों के लिए दायर किए जा रहे हैं जिनका कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना और पश्चातवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति बीजकों पर एसजीएसटी के लिए की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2क में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर नकद भुगतान में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता बीजकों पर एसजीएसटी, जो कंपनी के जीएसटीआर-2ए और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर भुगतान की गई नकद राशि में परिलक्षित होता है, को खातों की बहियों में राज्य कर विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 11 देखें)। इसके अलावा, 1,43,76,631/- रुपये की राशि (पिछले वर्ष : 1,42,83,679/- रुपए) के बीजक पर एसजीएसटी को, जो जीएसटीआर 2ए में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है तथा उसे उस समय राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता की जाएगी, जब वह पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुसूची समायोजन के साथ समाशोधन (चल रही प्रक्रिया) के उपरांत जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होगी। एसजीएसटी

की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 24,54,00,847/- रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

28. एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के 2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अनुपूरक प्रवर्तक करार पर एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल द्वारा जेकेपीडीडी के साथ 21.11.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त करार के अनुसार, एनएचपीसी के पास सीवीपीपीपीएल के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व है और उसने उस तारीख से सीवीपीपीपीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।

**तुलन-पत्र के अनुबंध के रूप में
हस्ताक्षरित**

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या
003824एन)
हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088730

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
हस्ता./-
(सुरेश कुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या
06440021
हस्ता./-
(ए के जैन)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
(हसन नदीम)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या
09653321
हस्ता./-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव
एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू
दिनांक : 10 मई, 2023

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड
कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) दूरभाष नं.:0191-2479531; ई-मेल
आईडी:cs@cvppindia.com

सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

प्रतिनिधि फॉर्म - एमजीटी 11

**[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]**

सदस्य (सदस्यों) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आईडी:	

मैं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के
इक्विटी शेयरों का सदस्य होने के नाते,

एतद्वारा निम्नलिखित को

1. नाम:

2. पता:

3. हस्ताक्षर:

सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड
कॉम्प्लेक्स जम्मू -180012 (जम्मू और कश्मीर) में मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न
11.00 बजे होने वाली कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक में मुझे/हमें और मेरी/हमारी ओर से
उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और यथा
इंगित ऐसे संकल्पों के संबंध में तत्संबंधी किसी स्थगन पर मत देने (मतदान में) के लिए
नियुक्त करता हूं।

साधारण कार्य के लिए संकल्प	
1	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ को प्राप्त करने, विचार करने और अंगीकृत करना।
2	वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना।

..... सितम्बर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए। .

1/- रुपए का रसीदी
टिकट लगाए

सदस्य के हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:

1. प्रतिनिधि का यह फार्म प्रभावी होने के लिए विधिवत भरा हुआ होना चाहिए और कंपनी की बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।
2. अपनी प्राथमिकता को इंगित करना वैकल्पिक है। आपका प्रतिनिधि उस तरीके से मतदान करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे।
3. प्रतिनिधि की नियुक्ति किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेने से नहीं रोकेगी, यदि वह इसका इच्छुक है तो।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) दूरभाष नं.:0191-2479531; ई-मेल आईडी: cs@cvppindia.com

सीआईएन: यू40105जेके2011पीटीसी003321

उपस्थिति पर्ची

मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को आयोजित 12वीं वार्षिक आम बैठक।

शेयरधारक का नाम और पता	
शेयरों की संख्या	

मैं एतद्वारा सीवीपीपीपीएल कॉर्पोरेट कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012 (जम्मू-कश्मीर) में मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 11 बजे आयोजित कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में
सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया उपस्थिति पर्ची भरें।

सीवीपीपीएल का रूट मानचित्र :

